लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सची/CONTENTS

अंक 7, मंगलवार, 20 नवम्बर, 1973/29 कार्तिक, 1895 (शक)

No. 7, Tuesday, November 20, 1973/ Kartika 29, 1895 (Saka)

ता० प्र० सं० S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
121	दिल्ली-मेरठ शटल में डीजल इंजन लगाना	Dieselization of Delhi-Meerut Shuttle	1
122	ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अमरीकी सहायता	U.S Aid for Electri ication of Villages	2
123	कालटेक्स द्वारा अशोधित तेल के आयात में कमी	Reduction in Import of Crude Oil by Caltex	5
124	दिल्ली से सौराष्ट्र क्षेत्र तक सीधी रेलगाड़ी	Direct Train from Delhi to Saurashtra Region	9
125	मथुरा में तेलशोधक कारखाना	Oil Refinery at Mathura . . .	10
126	उड़ीसा में बांसपानी-जाखपुरा रेल सम्पर्क के लिए सर्वेक्षण	Survey for Banspani-Jakhpura Rail Link in Orissa	11
127	औषध उद्योग के लिए आयातित कच्चा माल उपलब्ध न होना	Non-availability of Imported Raw Material for the Drug Industry	12
128	रूपसा-तालवन्द नैरो गेज लाइन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) का वन्द होना	Closure of Rupsa-Talband Narrow Gauge Line (South Eastern Railway)	13
129	सिगनल संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण	Modernisation of Signalling Communication System	14
130	गंगा को कावेरी से मिलाना	Linking of Ganges with Cauvery .	15

किसी नाम पर अंकित यह+ इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

†The Sight marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on he floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
131	बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों को नए बुक स्टालों का आवंटन	Allotment of New Book Stalls to Co-operative Societies of Unemployed Graduates	17
132	माल गोदाम (पश्चिम रेलवे) में ड्यूटी लिस्टों का प्रदर्शन किया जाना	Display of Duty Lists in Goods Sheds (Western Railway)	17
133	गोदावरी के जल-प्रवाह को कावेरी बेसिन से जोड़ने की परियोजना	Project for Diversion of Godavari Waters to Cauvery Basin . .	18
134	अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि का उर्वरकों पर प्रभाव	Impact of Increase in the Price of Crude Oil on Fertilize.s	18
135	मद्रास तेल शोधक कारखाने में मोटर स्पिरिट और नेपथा का उत्पादन	Production of Motor Spirit and Naphtha at Madras Oil Refinery . .	19
136	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा खरीदी गई अप्रयुक्त पड़ी मशीनें	Machines Purchased by D.E.S.U. lying idle	19
137	फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर द्वारा कोचीन में नई परियोजना आरम्भ करने के लिए तैयार किया गया तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन	Techno-Economic Feasibility Report Prepared by FACT for a New Project at Cochin	20
138	आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ, पूर्वोत्तर रेलवे शाखा की मांगें	Demands of All India Loco Running Staff, North Eastern Railway Branch.	20
139	आपात काल में राज्यों द्वारा बिजली की सप्लाई	Supply of Power by States in Emergencies	21
140	कोचीन उर्वरक कारखाने, प्रथम चरण की अनुमानित लागत में वृद्धि	Increase in the Estimated Cost of Cochin Fertilizer Project, Phase-I	21
अता० प्र० सं० U S. Q. No.			
1202	केरल में सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects in Kerala	22
1204	विदेशी औषध फर्मों से लाभ संबंधी विवरणों का प्राप्त होना	Receipt of Profitability returns from Foreign Drug firms . . .	23
1205	वेलियम टेबलेट तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पादों के मूल्य पर पुनर्विचार	Review of prices of Valium Tablets and other such Products . .	24
1206	गोलचा प्रोपर्टीज लिमिटेड के ऋणदाताओं को अदायगी	Payment to Creditors of Golcha Properties Limited	24

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1207	'सागर सम्राट' और बम्बई पत्तन के बीच माल तथा यात्री लाने ले जाने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का अमरीकी फर्म के साथ करार	ONGC contract with an American firms for ferrying goods and passengers between" ,Sagar Samrat" and Bombay Harbour	25
1208	बाढ़ से प्रभावित राज्यों को केन्द्र द्वारा अनाज का आवंटन	Central Allocation of Foodgrains to Flood Affected States . . .	26
1210	बड़ौदा में फ्रेंच कूप जल पंपिंग प्रणाली के खराब हो जाने के बारे में जांच	Probe into collapse of French Well Water Pumping System in Baroda .	27
1211	पश्चिम बंगाल के प्लास्टिक उद्योग में संकट	Crisis in Plastic Industry of West Bengal	27
1212	आणविक बिजली-घरों से क्षेत्रीय ग्रिडों को बिजली देने की व्यवस्था	Provision of Electricity from Nuclear Power Stations to Regional Grids .	28
1213	गुजरात में कास्टिक सोडा बनाने हेतु आशय-पत्र जारी करना	Issue of Letters of Intent for manufacture of Caustic Soda in Gujarat .	28
1214	पांचवीं परियोजना में निष्पादन हेतु उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं	Irrigation Projects in Orissa for Fifth Plan	29
1215	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का कार्यकरण	Working of the MRTP Commission .	30
1216	कोटा के जे० के० सिंथेटिक्स को नाइलोन स्टेपल फाइबर बनाने के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licences to J.K. Synthetics of Kota for manufacture of Nylon Staple Fibre	30
1217	उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव	Vidhan Sabha Elections in U.P. . .	31
1218	पेट्रोल पम्पों तथा सर्विस स्टेशनों के संचालन हेतु बेरोजगार इंजीनियरों तथा विज्ञान-स्नातकों की सोसाइटी	Society of Unemployed Engineers and Science Graduates for running Petrol Pumps and Service stations . .	31
1219	बिहार के पालामऊ जिले में उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Plant at Palamau in Bihar.	31
1220	तेल तथा गैस के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए कनाडा से ऋण	Loan from Canada for Research and Development of Oil and Gas . .	32

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1221	नेशनल रेयन कारपोरेशन पर कापड़िया बंधुओं का नियंत्रण	Control of Kapadias over National Rayon Corporation . . .	32
1222	एकाधिकार गृहों की आस्तियां और लाभ	Assets and Profits of Monopoly Houses	32
1223	उर्वरक संयंत्र के लिए जापान से येन का ऋण	Yen Credit from Japan for Fertilizer Plants	33
1224	नई दिल्ली स्टेशन पर यात्री सहायक केन्द्र	Passenger Guide Centre at New Delhi Station	33
1225	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा आसाम के चाय-बागानों को उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilizers by F.C.I. Tea Gardens in Assam . . .	33
1226	पेट्रोलियम के उत्पादों की मांग और सप्लाई की स्थिति	Demands and Supply Position of Petroleum Products . . .	34
1227	आगामी पांच वर्षों के दौरान नये उर्वरक संयंत्र	New Fertilizer Plants during next Five Years	34
1228	गुजरात के राजकोट, जूनागढ़ और जामनगर जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण	Electrification of Villages in Rajkot, Junagarh and Jamnagar Districts of Gujarat	35
1229	वेतन आयोग के प्रतिवेदन से उत्पन्न असंगतियों को दुरुस्त करना	Rectification of Anomalies arising out of Pay Commission's Report . .	35
1230	भीमकुण्ड बांध परियोजना	Bhimkund Dam Project .	36
1231	भुवनेशवर में रेलवे सेवा आयोग	Railway Service Commission at Bhubaneshwar	36
1232	उड़ीसा में परादीप पर उर्वरक यूनिट का चालू किया जाना	Commissioning of the Fertilizer Unit at Paradip in Orissa . . .	37
1233	रेल के द्वारा ढोये जाने वाले माल से होने वाली आय में कमी	Fall in Railway Cargo Revenue .	37
1234	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की शाखा लाइनों की यात्री गाड़ियों का अक्टूबर, 1973 में रद्द किया जाना	Cancellation of Branch Line Passenger Trains on N.E. Frontier Railway during October, 1973 . . .	38
1235	चौथी योजना में सम्मिलित की गई सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं	Irrigation and Power Projects included in Fourth Plan	38
1236	पठानकोट जोगिंदर नगर लाइन का पुनः चलाया जाना	Re-opening of Pathankot-Joginder Nagar line	39
1237	बख्तियारपुर-राजगीर लाइन का बढ़ाया जाना	Extension of Bhakhtiyarpur-Rajgir Line	39

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1238	रेलवे में परिवीक्षाधीन तथा सेवारत अधिकारियों के लिए 'ह्यूमन इंजीनियरिंग' को एक विषय के रूप में आरम्भ किया जाना	Introduction of Human Engineering as Subject for Probationers and Serving Officers in Railways . . .	40
1239	रेलवे की नियतकालिक समीक्षा के लिए परिवहन नीति तथा समन्वय संबंधी समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee on Transport Policy and Co-ordination for Periodical Review of the Railways	40
1240	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन	Reorganisation of Oil and Natural Gas Commission	41
1241	बिजली की मांग को पूरा करने के लिए 'पम्प्ड स्टोरेज' प्रतिष्ठानों की स्थापना	Setting up of Pumped Storage installations for Meeting Power Demands .	42
1242	गुजरात में तापीय और पन बिजली परियोजनाओं के लिए विद्युत उपकरणों की सप्लाई	Supply of power equipment for Thermal and Hydel Power Projects in Gujarat	42
1243	वाणिज्यिक विभाग के पर्यवेक्षी ढांचे के पदों का दर्जा बढ़ाना	Upgradation of Supervisory structure of Commercial Department . .	43
1244	औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की औषधियों के मूल्यों के संबंध में सिफारिश	Recommendations of the Bureau of Industrial Costs and Prices regarding prices of medicines. . . .	44
1245	आल इंडिया रेलवे एम्पलाइज कनफेडरेशन द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike notice served by All India Railway Employees Confederation. .	45
1246	फर्टिलाइज़र एण्ड केमिकलस त्रावनकोर की उद्योगमंडल परियोजना के चौथे चरण का विस्तार	Fourth stage expansion of Udyogmandal Project of F.A.C.T. . .	45
1247	खजौली तथा जयनगर स्टेशनों के मध्य कोरतुआ को और कमतोल तथा जोगीआडा के मध्य मरेथा को 'हाल्ट स्टेशन' बनाना	Opening of Halts at Koratua between Khajauli and Jaynagar Stations and at Muraitha between Kamtaul and Jogiara	46
1248	'मिलियन्स इन टुथ पेस्ट एण्ड टेलकम पाउडर—कोलगेट कैरीज लूट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned "Millions in tooth paste and Talcum powder—Colgate carries loot"	46
1249	फर्टिलाइज़र एण्ड केमिकल्स (ट्रावनकोर) उद्योग मण्डल द्वारा निष्पादित की जा रही विभिन्न परियोजना के मूल्य में असामान्य वृद्धि	Phenomenal increase in cost of various projects being executed by FACT Udyogmandal	46

अता० प्र० सं० U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1250	केरल में थन्निरमुक्कम बांध निर्माण का दूसरा चरण	Second stage of Thannirmukkam Bund in Kerala	47
1251	स्यालदाह और हावड़ा स्टेशनों पर प्लेटफार्म/यात्रा टिकटों की बिक्री	Sale of Platform Tickets/Journey Tickets at Sealdah and Howrah ..	47
1252	गुजरात में विद्युत संकट	Power crisis in Gujarat . . .	48
1253	दिल्ली में खाना बनाने की गैस की कमी	Shortage of Cooking Gas in Delhi	48
1254	मुजफ्फरपुर में रेलवे सेवा आयोग की स्थापना	Setting up of Railway Service Commission at Muzaffarpur . . .	49
1255	बिहार में बागमती नदी परियोजना का बांध	Barrage of Bagmati River Project in Bihar	49
1256	पत्तरातु स्थित बिजली संयंत्र के लिए फालतू पुर्जे	Spare parts for Patratu region .	49
1257	मध्य प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के उपाय	Preventive measures to control floods in Madhya Pradesh . . .	50
1258	बरवाडीह-डेहरी लाइन पर गाड़ियों का देरी से चलना	Late running of trains on Barwadih-Dehri line	50
1259	ऐल्यूमीनियम उद्योगों द्वारा विद्युत का उत्पादन	Generation of Power by Aluminium Industries	51
1260	बी०डी० एण्ड जी०सी० (गोमाह, बरवाडीह, डेहरी, डालटनगंज) लाइन पर मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाना	Running Mail/Express Service on B.D. and G.C. line (Gomoh, Barwadih, Dehri, Dalton Ganj) . .	51
1261	गुजरात में खाना बनाने की गैस की कमी	Shortage of Cooking Gas in Gujarat	51
1262	उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण	Electrification of villages in U.P. .	52
1263	कंपनी कार्य विभाग द्वारा उत्पादों के निर्माण में एकाधिकार का अध्ययन	Study of Product Concentration Undertaken by the Department of Company Affairs	52
1264	राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति	Power Supply Position in States . .	53
1265	विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन	Restructure of Power Boards . .	54
1266	गोहाटी से कासगंज तक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव	Proposal to run Express train from Gauhati to Kasganj . . .	55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1267	टी०टी०आई०, गार्ड, ड्राइवर, फायरमैन, खलासी और ब्रेकमैन को दी जाने वाली सुविधाओं में समानता	Uniformity in respect of Facilities provided to T.T.I., Guard, Driver, Fireman, Khallasi and Brakeman . .	55
1268	नमक के भाड़े की अलग-अलग दरें समाप्त करने के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Abolition of Different Freight Rates for Salt .	55
1269	अन्तर्राज्यीय जल निकासी योजनाएं	Inter-State Water Drainage Schemes .	56
1270	रेलवे प्रतिनिधिमंडल का ऋण के लिए न्यूयार्क का दौरा	Visit of Railway Delegation to New York for Loan	56
1271	आसाम के लिए नई रेलगाड़ी चलाना	Introduction of a New Train for Assam	57
1272	यात्रियों के लिये बीमा योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव	Proposal to introduce Insurance Scheme for Passengers	57
1273	"न्यू थ्योरी' आन आयल मे रिवोलूशेनाइज आउटपुट" शीर्षक से समाचार	Press Report News captioned "New Theory on Oil may Revolutionise Output"	57
1274	चालू वर्ष के दौरान रेलवे को हुई हानि	Losses suffered by Railways during current year	58
1275	दक्षिण रेलवे में हड़तालों में वृद्धि	Increase in strike on Southern Railway	58
1276	पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में बड़े पैमाने पर तेज परिवहन संबंधी योजनाएं	Schemes for mass rapid transport during Fifth Five Year Plan Period . .	60
1277	सरकार और विदेशी तेल कंपनियों के बीच अपने तेलशोधक कारखानों और विपणन के मामले में मतभेद	Differences between Government and foreign Oil Companies about refineries and marketing interest .	60
1278	मथुरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के परिणामस्वरूप वातावरण दूषित होने के बारे में अध्ययन करने के लिए समिति का गठन	Committee to study question of pollution of atmosphere consequent on the setting up of Mathura Oil Refinery .	60
1279	गत पांच महीनों में पश्चिम रेलवे में बिना टिकट यात्री	Ticketless travellers on Western Railway during the last five months . .	61

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1280	पश्चिम रेलवे में गत पांच मास में तकनीकी और कर्मचारियों की गलतियों से हुई दुर्घटनायें	Accidents due to technical defects and human failures on the Western Railway during the last five months .	61
1281	गत पांच महीनों में पूर्वोत्तर रेलवे में तोड़फोड़ की गतिविधियों के कारण दुर्घटनायें	Accidents as a result of subversion activities on N.E. Railway during the last five months	62
1282	गत पांच मास में पश्चिम रेलवे में जंजीर खींचने की घटनाएं	Chain pulling cases on Western Railway during the last five months . .	63
1283	लोको कर्मचारियों के लिए अधिक पद	More posts for loco staff . .	63
1284	नई रेलवे लाइन बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ जानकारी के बारे में भारत और इराक के बीच समझौता	Agreement between India and Iraq for Technical Expertise for construction of new Railway line . . .	64
1285	वैगनों की कमी	Shortage of wagons . .	64
1286	भारत में काम कर रही विदेशी फर्में तथा उनके प्रबंध के लिये भारतीय कानून का लागू होना	Foreign firms operating in India and application of Indian law for their management	65
1287	राजभाषा (विधायी) आयोग के सदस्यों के बारे में ब्यौरा	Particulars of the Members of the Official Languages (Legislative) Commission	66
1288	वर्ष 1972 और 73 में सोनारपुर-केनिंग और बरुईपुर डायमंड हार्बर सेक्शन पर संचार व्यवस्था का ठप्प होना	Failure of communications in Sonarpur Canning and Baruipur-Diamond Harbour Sections in 1972 and 1973 .	66
1289	सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में नेहाटी और काकीनाडा के बीच एब्सोल्यूट परमिसिव ब्लाक प्रणाली शुरू करना	Absolute Permissive Block System between Naihati and Kankinara on Sealdah Division (Eastern Railway) .	67
1290	सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में पुराने दूर संचार संयंत्रों को ठीक करना	Rectification of old signal and Telecommunication Installations in Sealdah Division (Eastern Railway) .	67
1291	विदेशी उर्वरक कम्पनियों द्वारा मांगी गई रियायतें	Concessions sought by Foreign Fertilizer Companies	68
1292	विदेशी सहयोग से पांच उर्वरक कारखाने लगाने का प्रस्ताव	Proposal to set up five Fertilizer Plants with Foreign Collaboration .	68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1293	कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स विशाखापत्तनम के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by employees of the Coromandel Fertilizers, Vishakapatnam .	69
1294	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में बाणसागर परियोजना का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Bansagar Project in Fifth Plan	69
1295	पांचवीं योजना में गांवों को सिंचाई और बिजली प्रजनन सुविधायें देने संबंधी योजनाएं	Schemes for providing Irrigation and Power generation facilities to villages in Fifth Plan	69
1296	आयल इण्डिया लिमिटेड के अधिकांश शेयरों का सरकार द्वारा अधिग्रहण	Acquisition by Government of majority shares of Oil India Limited . .	70
1297	बंगलादेश में मेघना नदी पर भाइराह रेल-पुल का चालू किया जाना	Opening of Bhairah Railway Bridge on Meghna river in Bangladesh .	70
1299	उच्चतम न्यायालय में सरकारी मुकदमों की पैरवी करने के लिए 1971, 72 और 73 में रखे गये अधिवक्ता	Advocates engaged by Government during 1971, 1972 and 1973 to plead their cases in Supreme Court . .	70
1300	गत तीन वर्षों में लाइसेंस-प्रदत्त पैट्रो-रसायनिक उद्योग	Petro-Chemical Industries licensed in the last three years . . .	71
1301	वर्ष 1971-72 और 1972-73 में टूट-फूटे रेल डिब्बे	Unserviceable Railway Wagons in 1971-72 and 1972-73	71
1302	1971-72 और 1972-73 के दौरान माल-डिब्बों की सप्लाई तथा मांग	Supply and Demand of Wagons during 1971-72 and 1972-73 . . .	72
1303	राजस्थान में रेलवे अस्पताल	Railway Hospitals in Rajasthan .	72
1304	राजस्थान विद्युत मंडल से विलम्ब शुल्क की वसूली	Recovery of Demurrages charges from Rajasthan Electricity Board . .	73
1305	सोमेश्वर स्टेशन पर फंसे हुए यात्री	Stranded Passengers at Someshwar Station	73
1306	फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर के कोचीन डिवीजन में काम	Work on the Cochin Division of F.A.C.T.	74
1307	गत 6 महीनों में रेलगाड़ियां रद्द किये जाने के कारण यात्रियों से होने वाली आय में कमी होना	Loss in Passenger Earnings due to Cancellation of Trains during the last Six Months	74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1308	रेलवे विभाग के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का गठन	Constitution of Hindi Salahkar Samiti for Railways	74
1309	रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन की कालावधि में परिवर्तन	Change in Schedule of Publication of Railway Time Table . . .	75
1310	स्वीकृति के लिए विचाराधीन विद्युत परियोजनाओं संबंधी योजनायें	Power Projects Schemes Pending for Clearance	75
1311	कूलिंग वाटर रिजर्वायर के दूषित हो जाने के कारण बदरपुर तापीय बिजलीघर का बन्द किया जाना	Closure of Badarpur Thermal Power Station due to contamination of Cooling Water Reservoir . .	76
1312	जांच कार्य को निपटाने के लिए एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का पुनर्गठन	Re-organisation of the MRTP Commission to cope with the Investigation work	76
1313	अक्टूबर, 1973 में बम्बई में हुए वार्षिकोत्सव समारोह में भारतीय औषध निर्माता एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा दिए गये भाषण में उठाई गई बातें	Points raised in the Speech made by President of the Indian Drugs Manufacturers Association at the Annual Day Celebrations in October, 1973 at Bombay	77
1314	विदेशी औषध फर्मों द्वारा निर्मित औषधियों के निर्यात का अध्ययन	Study of Export of Drugs by Foreign Drug Firms	78
1315	अरब की खाड़ी के देशों से भारत द्वारा आयातित अशोधित तेल के बढ़ते हुए मूल्यों के बारे में जांच	Inquiry into Rising Prices of Gulf Crude Oil Imported by India . .	78
1316	नई विद्युत योजना	New Power Plan .	78
1317	कर्नाटक में कालिन्दी पनबिजली परियोजना चरण-2 से सम्बद्ध प्रेषण प्रणाली परियोजना	Transmission System Scheme Associated with Kalindi Hydro-Electric Project in Karnataka	79
1318	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तमिलनाडु से नई सिंचाई योजनाएं	New Irrigation Scheme from Tamil Nadu for Fifth Plan . . .	79
1319	"वी०आई०पीज० कांज डिलें आफ ट्रेन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News-item captioned 'V.I.Ps. cause Delay of Trains'	80
1320	खम्भात के बेसिन में कोयले के बीच में तेल के निक्षेप का होना	Presence of Oil Pools inside Coal in Cambay Basin	80
1321	भाखड़ा बिजलीघर में आग	Fire in Bhakra Power House	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1322	पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मिलावट संबंधी मामले	Cases of Adulteration of Petrol and Petroleum Products . . .	81
1323	धनबाद (पूर्व रेलवे) के सी०आई० आर० निरीक्षकों द्वारा मामलों का पता लगाया जाना	Detection of Cases by C.I.R. Inspectors of Dhanbad (Eastern Railway) .	81
1324	प्रशासनिक कार्यालयों और वर्कशाप आदि कर्मचारियों के बीच काम के घंटों में असमानतायें	Disparities in Working Hours between Staff of Administrative Offices and Workshop etc.	81
1325	अनुसचिवीय कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में आॅल इंडिया रेलवेज एम्पलाइज़ कन्फेडरेशन द्वारा ज्ञापन	Memorandum by All India Railway Employees Confederation regarding upgradation of Ministerial Staff .	82
1326	धनबाद डिवीज़न (पूर्व रेलवे) में सिगनलरों के रिक्त पड़े पद	Posts of Signallers lying vacant in Dhanbad Division (Eastern Railway)	82
1327	पश्चिम रेलवे (अजमेर डिवीज़न) के संवर्ग की समीक्षा करने संबंधी नियम	Rules for Review of Cadre (Ajmer Division) Western Railways . .	83
1328	चौथी योजना के दौरान तेलशोधन क्षमता के लक्ष्य	Target of refining capacity during Fourth Plan	83
1329	अधिकतम बिजली उत्पन्न करना सुनिश्चित करने के लिए नई पद्धति	New System to ensure Peak Power Generation	83
1330	विद्युत् उपकरणों का आयात	Import of Power Equipment .	84
1331	तूतीकोरिन तापीय परियोजना	Tuticorin Thermal Project . .	84
1332	टकरु जांच समिति द्वारा किये गये काम की प्रगति	Progress of Work done by the Takru Enquiry Committee . . .	85
1333	समुद्री कटाव को रोकने के तरीके	Methods to Fight Sea Erosion .	85
1334	रेलवे गेरेज लेंडिंग और लोडिंग श्रमिकों की मांग	Demands of Railway Garage Landing and Loading Workers . . .	86
1335	"न्यू स्कीम फार फारेन आयल कंपनीज़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned 'New Scheme for Foreign Oil Companies' . . .	86
1338	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के आयात में कमी	Reduction in Import of Crude Oil by Foreign Oil Companies . .	86
1339	अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग	Utilisation of Unutilised Irrigation Potential	87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1340	आगामी पांच वर्षों में अपेक्षित विद्युत प्रजनन तथा परिषण उपकरण और मशीनरी की उपलब्धता	Availability of Power Generation and Transmission Equipments and Machinery required during Next Five Years	87
1341	गार्डनरीच में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन	Agitation by Staff of South Eastern Railway Head Office at Garden Reach	88
1342	दूसरे दर्जे के स्थानों को समाप्त किया जाना	Withdrawal of Second Class Accommodation	88
1343	दक्षिण रेलवे पर एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों को डीज़ल से चलाने संबंधी सरकारी निर्णय	Government decision on dieselisation of Express/Mail trains on Southern Railway	88
1344	सहायक भंडार नियन्त्रक (उत्तर रेलवे) के पद के लिये उम्मीदवारों का चयन	Selection of candidates for post of Assistant Controller of Stores (Northern Railway)	89
1345	सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Irrigation Projects	89
1346	दिल्ली में अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की संख्या	Strength of Lower Courts and High Court in Delhi . . .	90
1347	भूतापीय बिजली के लिये संयुक्त राष्ट्र-संघ की सहायता से हिमाचल प्रदेश में खुदाई	Drilling in Himachal Pradesh for Geo-Thermal Power with U.N. Assistance	90
1348	गुन्टाकुल डिवीज़न (पश्चिम रेलवे) में सिगनल तथा दूर संचार विभाग के 'मेंटेनरों' के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgradation of posts of maintainers of S. & T. Department, Guntakul Division (Southern Railway) . .	91
1349	स्वीकृत मानदन्ड के अनुसार पश्चिम रेलवे में सिगनल कर्मचारियों की संख्या	Strength of Signal Staff on Western Railway according to approved Yardstick	91
1350	पश्चिम रेलवे की आर० जे० बी० डिवीज़न के इलेक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल सिगनल मेन्टेनर्स के वर्गीकरण में परिवर्तन	Change of Classification of ESMs and MSMs of RJT Division (Western Railway)	91
1352	मारुति लिमिटेड द्वारा एजेंटों से ली गयी जमा राशि तथा अन्य साधनों से लिये गये ऋण	Deposits from Agents and Loans from other sources taken by Maruti Ltd.	92

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGES
1353	कपाड़िया ग्रुप के नवनिर्वाचित निदेशकों द्वारा नेशनल रेयन के प्रबंध का अधिग्रहण	Taking over the Management of National Rayon by Newly elected Directors belonging to Kapadia Group .	93
1354	गंडक योजना की नहरों तथा सहायक नदियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त जल निष्कासन मार्गों का अभाव	Lack of adequate Drainage outlet in areas covered by canals and distributories of Gandak Scheme .	93
1355	यात्री गाड़ियों के समय पर न चलने के बारे में शिकायतें	Complaints about non-punctuality of passenger trains	93
1356	उर्वरक कारखानों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग न किया जाना	Non-utilisation of installed capacity in fertiliser units	94
1357	लोको कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप रद्द की गई गाड़ियां	Trains cancelled due to strike by Locomen	96
1358	अलाभप्रद रेल लाइनें	Uneconomic Railway Lines . .	96
1359	सितम्बर, 1973 के दौरान कोयली तेलशोधक कारखाने का बन्द होना	Closure of the Koyali Refinery Plant during September, 1973 . . .	97
1360	मद्रास तेलशोधक कारखाने में मोटर स्पिरिट तथा नेप्था का उत्पादन	Production of Motor Sprit and Naphta at the Madras Oil Refinery .	97
1361	रामेश्वरम् एक्सप्रेस गाड़ी तथा दक्षिण जाने वाली अन्य गाड़ियों के साथ वातानुकूलित डिब्बों का जोड़ा जाना	Attaching of A.C. Coach to Rameswaram Express train and other South bound trains	98
1362	शोलापुर डिवीज़न के रेल कर्मचारियों की मांग	Demands of Railway employees of Sholapur Division	98
1363	भारतीय रेलवे के संकेत तथा दूर संचार कर्मचारियों के समान पद-नाम	Uniform Designations for S. & T. Staff on Indian Railways . .	98
1364	गुम हुई तथा उचन्त खाते डाली गयी भविष्य निधि की राशियों के अनिर्णीत मामले	Pending cases in respect of Provident Fund missing and in suspense .	99
1365	गाज़ियाबाद तथा मेरठ के बीच दोहरी रेल लाइन	Double Track between Ghaziabad and Meerut	99
1366	दानापुर (खगौल) में कार्य करने तथा रहने वाले रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/नगर परिपूर्ति भत्ता	HRA/CCA to Railway Employees working and residing at Danapur (Khagaul)	100

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1367	दामोदर घाटी निगम के प्रबंधकों, दामोदर घाटी निगम कर्मचारी संघ तथा दामोदर घाटी निगम स्टाफ एसोसिएशन के बीच कर्मचारियों की मांगों पर त्रिपक्षीय करार	Tripartite agreement among management of D.V.C. Employees Association and D.V.C. Staff Association	100
1368	दूसरी श्रेणी समाप्त किये जाने के परिणामस्वरूप रेल कर्मचारियों की यात्रा के लियें दर्जे का निर्धारण	Class of entitlement to Railway Employees on Abolition on Second Class	101
1369	दामोदर घाटी निगम का सीधा सरकारी नियन्त्रण में लिया जाना	Taking over of D.V.C. by Government under their direct control . .	101
1370	कास्टिक सोडा बनाने वाले नये कारखानों की स्थापना	Setting up of new Caustic Soda Factories	101
1371	देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी	Shortage of Petroleum Products in the country	102
1372	असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोराम और अरुणाचल राज्यों में नई रेल लाइन	New Railway line in Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram and Arunachal States .	103
1373	नारायणपुर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर उपरि पुल	Overbrdige at the Narayanpur Railway Station (North Eastern Railway) .	103
1374	नारायणपुर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर एक शेड का निर्माण	Construction of a Shed at the Narayanpur Railway Station (N.E. Railway)	104
1375	कोयली तेलशोधक कारखाने का विस्तार	Expansion of the Koyali Oil Refinery	104
1376	जल उपलब्ध न होने के कारण कोयली तेल शोधक कारखाने का बन्द होना	Closure of Koyali Refinery for non-availability of water . . .	104
1377	द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुजरात में बन्द की गई रेल लाइनों को पुनः चालू करना	Restoration of Railway lines in Gujarat dismentled during Second World War	105
1378	बंगला देश को अशोधित तेल की सप्लाई हेतु टेंडर देने के लिये भारतीय तेल निगम द्वारा अपनाई गई त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया	Faulty procedure adopted by I.O.C. while submitting tenders for Supply of Crude Oil to Bangladesh . .	105
1379	केरल में बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति	Implementaion of major and medium Irrigation Schemes in Kerala . .	105

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1380	केरल में नई सिंचाई और सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं	New Irrigation and Irrigation-*cum*-Power Projects in Kerala . .	106
1381	एर्णकुलम-त्रिवेन्द्रम लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Ernakulam Trivandrum line into Broad Gauge line . .	106
1382	केरल में कलाडा सिंचाई परियोजना	Kallada Irrigation Project in Kerala	106
1383	पंजाब सरकार का कोटा परमाणु विद्युत संयंत्र से बिजली दिये जाने का अनुरोध	Punjab Government's request for Allocation of Power from Kota Atomic Power Plant	107
1384	राजस्थान को फालतू बिजली का पंजाब के उपभोग के लिये दिया जाना	Sharing of Surplus Power of Rajasthan with Punjab	107
1385	थीन बांध	Thien Dam . . .	108
1386	रेलवे डिजाइन इंजीनियरों (दूसरी श्रेणी के अधिकारियों) को विशेष वेतन का बहाल किया जाना	Restoration of Special Pay to Railway Design Engineers (Class II Officers)	108
1388	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हैसियत को और अधिक आकर्षक बनाने संबंधी प्रस्ताव	Proposal to make Position of High Court Judges more Attractive . .	108
1389	'रूपी ट्रैवलर चैकों' से यात्री किरायों तथा सामान शुल्क का भुगतान	Payment of Passenger Fares and Luggage Charges through Rupee Traveller Cheques	109
1390	भारतीय रेलवे में डिब्बों का वर्गिकरण	Classification of Compartments on Indian Railways	109
1391	पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल-संचार	Rail Communication in North-Eastern Region	110
1392	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयात किये गये अशोधित तेल के मूल्यों का पुनरीक्षण	Revision of prices of crude oil imported by Foreign Oil Companies . .	110
1393	"ड्राप इन रेवेन्यू अर्निंग ट्रैफिक आफ रेलवे" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	Drop in Revenue Earning Traffic of Railways	111
1394	असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स/स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) की मांगों का पूरा किया जाना	Fulfilment of demands of ASM/SMs' Association (North Eastern Railway)	111
1395	कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करना	Violation of provision of Companies Law	111
1396	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही तेल शोधनशालाओं का रख रखाव	Maintenance of the oil refineries by foreign companies . . .	112

3 8 LSS—2

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
1397	औषधियां बनाने वाली विदेशी फर्मों द्वारा पूंजी निवेश	Capital Investment of foreign drug firms	112
1398	ब्रैडी एण्ड कम्पनी, बम्बई के प्रबन्धकों पर आरोप	Charges against the management of Brady and Co., Bombay . .	114
1399	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कदाचार	Malpractices by Foreign Oil companies	114
1400	'केप्रोलेक्टम' की कमी की पूर्ति के लिये इसका आयात	Import of caprolactum to meet its shortage	115
1401	जुवारी स्थित उर्वरक कारखाने में कार्य को स्थगित करने के लिये गोवा सरकार का अनुरोध	Request from Government of Goa for suspension of work on fertilizer factory at Juwari	116
1402	उड़ीसा में चुनाव	Elections in Orissa .	116
	सभा की बैठक का समय	Timing of the House	117
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matter of Urgent Public Importance . . .	117
	देश में अखबारी कागज की भारी कमी	Acute shortage of newsprint in the country.	117
	श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. V. Vishwanathan	117
	श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral	118
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	127
	सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई (श्री एस० राधाकृष्णन्)	Arrest and Release of Member (*Shri S. Radhakrishnan*) .	128
	समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee	129
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377 . . .	130
	अलीगढ़ जेल में एक हरिजन सत्याग्रही की मृत्यु का समाचार	Reported death of a Harijan Satyagrahi in Aligarh Jail	
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Reports of University Grants Commission	30
	प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar	30
	श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H.N. Mukerjee	131
	श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra	133
	श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi	134
	श्री राजा राम शास्त्री	Shri Raja Ram Shastri .	135
	श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder .	135
	श्री अनन्त प्रसाद धूसिया	Shri Anant Prasad Dhusia .	136

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बासिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडाला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारड़गा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्. श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनोराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (वलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रणपद (कृषनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच विहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूमिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एम० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंडुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (वलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढवाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीरवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
वाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मनन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरुलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री० के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मादी, श्री पोलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदा बक्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानवेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादूर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एम० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्री मती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्रीनागेश्वर (मछिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी श्री बी० एन० (निरायलगूडा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडि-वनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुद्दूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय. श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चंद्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एम० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोबीचे टिट्टपलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द्र नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयुरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिल)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्यय (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डा० सेरदीश राय

श्री इरा सेझियान

महा सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री श्री मती इन्दिरा गांधी

कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पसवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम्
नौवहन और परिवार मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरूल हसन
सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

विषय	SUBJECT	पृष्ट PAGES
प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में चर्चा	Discussion re. Reports of Tariff Commission . . .	137
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	137
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	138
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	139
श्री वसन्त साटे	Shri Vasant Sathe . .	139
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	140
श्री नरेंद्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve .	141
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan . .	142
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	Shri Raghunandan Lal Bhatia	144
डा० कैलास	Dr. Kailas . .	144
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta . .	145
प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय	Prof. D. P. Chattopadhaya	145

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 20 नवम्बर, 1973/29 कार्तिक, 1895 (शक)

Tuesday, November 20, 1973/Kartika 29, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : कल हम प्रधान मंत्री को उनके 56वें जन्म दिन पर बधाई देने के लिए, उनकी प्रतीक्षा करते रहे परन्तु वह अचानक ही कहीं चली गईं । हम उन्हें उनके 56वें जन्म दिन की शुभ कामनाएं भेज देंगे ।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

दिल्ली-मेरठ शटल में डीजल इंजन लगाना

*121. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-पलवल शटल में डीजल इंजन लगाया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो मेरठ शटल में डीजल इंजन न लगाए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली और पलवल के बीच चलने वाली पांच जोड़ी शटल गाड़ियों में से दो जोड़ी गाड़ियां डीजल इंजनों से चलायी जा रही हैं, अर्थात् 373/374 कम अश्व शक्ति वाले डीजल इंजनों से चलायी जाती हैं और 379/380 गाड़ियां 21/22 दक्षिण एक्सप्रेस के नयी दिल्ली में रुकने की अवधि में मुख्य लाइन डीजल इंजनों से चलायी जाती है ।

(ख) 1 एन एम/2 एन एम नयी दिल्ली–मेरठ/शटल गाड़ियों का डीजलीकरण व्यावहारिक नहीं है क्योंकि कम अश्व शक्ति वाले डीजल इंजनों की कर्षण क्षमता केवल 10 सवारी डिब्बों के लिए उपयुक्त है, जब कि 1 एन एम/2 एन एम में 15 डिब्बे होते हैं और मुख्य लाइन के डीजल इंजन मुख्यतया माल गाड़ियों और लम्बी दूरी की मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ।

38 LSS/73—3

Shri Yamuna Prasad Mandal: Sir, the hon. Minister is aware that the 2NM Shuttle-gets heavily crowded from Meerut and Muradnagar itself and therefore thousand of employees who have to live in Ghaziabad because lack of accommodation here cannot come by this train. So, whether 15 coaches would be attached to this train instead of ten ?

Mr. Speaker : How this question is relevant ?

Shri Yamuna Prasad Mandal : May I know whether more bogies are not being provided due to lack of commuters?

Mr. Speaker : You had asked about diesel engines. How this question is relevant ?

Shri Mohammed Shafi Qureshi : The Shuttle engine is of 700 horse power only and its maximum capacity is 10 coaches. Therefore it cannot exceed 10 coaches.

Shri Shankar Dayal Singh : This question, though ordinary one, can assume greater importance. I may therefore be allowed to ask the number of diesel, steam and electric locomotives ?

Mr. Speaker : I would not allow it.

Shri Shankar Dayal Singh : May I know whether most of the trains would be diesel is edas price of diesel has not gone up, the trains may run faster and coal-shortage may also be met ?

Shri Mohammed Shafi Qureshi : The Railways plan to replace diesel locomotives with steam locomotives more and more.

U. S. Aid For Electrification of Villages

*122 **Shri Chandu Lal Chandrakar :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the U.S.A. has given any aid for the electrification of Indian villages ;

(b) if so, the amount thereof and the conditions attached thereto; and

(c) the number of villages likely to be benefited thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheswer Prasad): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes, Sir.

(b) A grant of Rs. 105 crores in rupees has been made available to the Rural Electrification Corporation (a Company set up in 1969 under the administrative control of Ministry of Irrigation & Power) by the United States of America through the Agency for International Development. The grant is for the purpose of making loans available by the Corporation to the State Electricity Boards for rural electrification schemes undertaken by them, and for loans to Rural Electric Co-operatives that are set up in the country. According to the agreement between the Rural Electrification Corporation and the U.S. AID, the grant is subject to a matching contribution of Rs. 45 crores being made by the Government of India. Half yearly reports on activities, operations and transactions of the Corporation are to be sent to U.S. AID during the first five years of its operation. The balance

sheets and profit and loss account statement are also to be made available to U.S. AID annually. The representatives of U. S. AID are permitted to observe the operations of the Corporation including inspection and audit of any records and accounts in respect of funds provided by it.

(c) The loans given by the Rural Electrification Corporation are financed from funds comprising the grant as well as funds given by the Government of India. It is, therefore, not possible to indicate the number of villages to be benefited solely from the grant portion, received from the U.S.A. The Corporation has so far sanctioned 532 rural electrification schemes for State Electricity Boards and one scheme each for five rural electric co-operatives set up in the country. The total loan amount sanctioned is Rs. 274.38 crores. These schemes which are scheduled for completion over a period of three to five years envisage electrification of about 47,470 villages.

Shri Chandulal Chandrakar : May I know whether regarding rural electrification a policy has been adopted in respect of bigger States so that then villages may get more power where there is acute power shortage at present ?

Minister of Irrigation and Power (Shri K. C. Pant) : The general attitude is to assist in case of villages which have been electrified, so that power may reach there. That is why the terms of loans in respect of backward areas are soft whereas in advanced areas they are hard.

Shri Chandulal Chandrakar: May I know whether more funds would be made available to electrify Adivasi and Harijan areas ?

Shri K. C. Pant: Electrification of Harijan colonies is the special feature of this scheme. Tribal blocks do not appear to be there but they are included in ordinary backward areas. 54 Schemes were sanctioned in 1973 under the Scheme covering 6052 Harijan colonies and loans amounting to 2.64 crores were granted. So far 1360 colonies had been electrified according to the report available with the Commission.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने कहा है कि 3—5 वर्ष में लगभग 47,470 गांवों में बिजली आ जाएगी । इस योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के कितने गांवों में बिजली लग जाएगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 47,470 गांवों में 6,056 गांव पश्चिम बंगाल के भी शामिल हैं ।

One hon. Member : Kindly give statewise breakup.

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इसे सभा पटल पर रख दें ।

श्री बी० के० दासचौधरी : मंत्री महोदय के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अब तक 274.33 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, तो इन में से भारत सरकार और यू० एस० ए० आई० डी० की सहायता सहित पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के पूर्वी राज्यों के लिए कितनी राशि रखी गई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह जानकारी तो वह दे चुके हैं . . .

श्री बी० के० दासचोधरी : वह तो गांवों का बताया है । मैं राशि के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पहली बात तो यह है कि भारत सरकार अनुदान के रूप में सहायता नहीं देती बल्कि सहायता इक्विटी या ऋण के रूप में होती है ।

पश्चिम बंगाल के लिए 24.45 करोड़ रुपये हैं, बिहार के लिए 21.7 करोड़ और असम के लिए 5.8 करोड़ रुपये हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : जब पांच वर्ष बाद यू० एस० ए० आई० डी० की सहायता बन्द हो जाएगी, तब सरकार क्या करेगी । यह कार्यक्रम इस सहायता के बन्द होने के बाद भी चलता रहे, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी ?

श्री के० सी० पन्त : एक प्रकार से तो इस वर्ष भी उक्त निगम के समक्ष यही समस्या है । पांच वर्ष की अवधि के अन्तिम वर्ष कुल राशि में कमी हुई है और भारत सरकार अपने भाग से 16 करोड़ रुपये अतिरिक्त मंजूर करने जा रही है । भविष्य के लिए, इस समय विश्व बैंक के साथ प्रारंभिक बातचीत की जा रही है ।

Shri Nathuram Ahirwar : May I know whether the funds given to Madhya Pradesh for rural electrification have been utilised fully and that more funds have been asked for ? If so, the reaction of Government thereto ?

Shri K. C. Pant : As I had already stated in reply to Shri Patel's question, talks are going on with World Bank at present, but since they are at preliminary stage, I cannot say anything more now. The amount sanctioned has not yet been utilised fully. Only 120 crores have been disbursed out of 170 crores by the end of Fourth Plan. Out of this disbursement would be made out of this amount. Regarding future provision, enough amount would be there in the Fifth Plan i.e. 400 Crores.

श्री पी० आर० शिनाय : क्या अमरीकी कथित सहायता रुपया-निधि में से दी जाएगी जो अमरीका अन्यत्र कहीं प्रयोग नहीं कर सकता ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सहायता भारत में पी० एल० 480 निधि में से दी जाएगी ।

श्री समर गुह : इस विभाग के भूतपूर्व मंत्री, डा० के० एल० राव ने अनेक बार कहा था कि इस क्षेत्र में देश का विकास समान नहीं है और उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा जो देश के पूर्व में हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं । इस कारण और इस कारण भी कि ग्रामीण विद्युतीकरण सघन खेती के लिए अत्यावश्यक है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी और अमरीकी सहायता में से भारत के पूर्वी क्षेत्र में शीघ्रता से ग्रामीण विद्युतीकरण करने हेतु कोई विशेष प्रावधान किया गया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऋण देने के मामले में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पिछड़े राज्यों में योजनाओं पर अधिक बल देता है ।

ये सभी राज्य, अर्थात्, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा इस दृष्टि से पिछड़े राज्य हैं और 50 प्रतिशत से अधिक योजनाएं इन्हीं के लिए मंजूर

की गई हैं । इस सूची में माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित तीनों राज्य इस सूची में शामिल हैं । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रत्येक योजना मंजूर करने में व्यवहार्यता का भी ध्यान रखा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुख्तियार सिंह मल्लिक ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं बहुत संगत प्रश्न पूछना चाहता हूं जो अभी तक किसी ने नहीं पूछा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल संगत प्रश्नों की ही अनुमति देता हूं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा प्रश्न तो बहुत ही संगत प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि विशेषकर आपके क्षेत्र के बारे में अनेक प्रश्न पूछे जा चुके हैं । अगला प्रश्न ।

कालटेक्स द्वारा अशोधित तेल के आयात में कमी

*123. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मल्लिक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्य कर रही पेट्रोलियम उत्पादक विदेशी कम्पनी कालटेक्स ने भारत में अशोधित तेल के अपने आयात में कटौती करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खान) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि कालटेक्स भारत में ईरान से तेल का आयात करती है, लेकिन वह अन्य खाड़ी देशों से इस क्षेत्र के अपने संबद्ध और ग्राहकों के लिए बड़ी मात्रा में तेल मंगाती है । इसलिए उसने यह सूचना दी है कि अरब तेल उत्पादक देशों द्वारा तेल के उत्पादन एवं सप्लाई में कटौती कर देने के कारण उनकी तेल की कुल उपलब्धियों में कमी हो जाएगी तथा इसलिए उनके पास उन की समस्त शोधनशालाओं, भारत की शोधनशाला को सम्मिलित करते हुए, को उनके द्वारा प्राप्त घटी हुई कच्चे तेल की कुल सप्लाई को समानुपाती आधार पर देने के अलावा और कोई चारा नहीं है । लेकिन उसने यह आश्वासन दिया है कि वह भारत के लिए की गई कच्चे तेल की सप्लाई किसी ऐसे अन्य देश को नहीं करेगी जिसके लिए तेल निर्यात पर अरब सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(ग) अभी तक तीन तेल कम्पनियों के, कालटैक्स को सम्मिलित करते हुए, कच्चे तेल की प्राप्ति में की गई कटौती, के यथार्थ ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं । लेकिन कच्चे तेल के आयात की क्षति पूर्ति के लिए, अन्य स्रोतों से कच्चे तेल की अतिरिक्त मात्रा में आयात करने के यथा संभव प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं पूछना चाहता था कि इसके परिणामस्वरूप होने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? आयातित अशोधित तेल में कमी के कारण उर्वरकों के उत्पादन में कितनी कमी होगी और क्या यह सच है कि पेट्रोल की 70 प्रतिशत खपत सरकार और सरकारी एजेंसियों की है और सरकार ने इस खपत को घटाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं और अब तक उनका क्या परिणाम निकला है ।

श्री शाहनवाज़ खां : अभी हम निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते कि अशोधित तेल की सप्लाई में कितनी कमी होगी । हमें आशा है कि हम अन्य साधनों से अशोधित तेल मंगवा कर आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे । विदेशी कम्पनियां भी अभी निश्चित रूप से नहीं बता सकी कि वे कितनी कमी करेंगी हमें आशा है कि हम अन्य साधनों से आवश्यकता की पूर्ति कर पायेंगे । जहां तक पेट्रोल के प्रयोग में कमी करने के लिये कार्यवाही करने का संबंध है, सभी सरकारी विभागों को पेट्रोल के प्रयोग में अत्यधिक कमी करने के लिये आवश्यक निदेश जारी किये गये हैं ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही के फलस्वरूप देश में पेट्रोल की खपत में कोई विशेष कमी की गई है ? क्या सरकार देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त भण्डार अलग रखने का विचार कर रही है ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी यह कहना कठिन है कि कितनी कमी हुई है परन्तु कुछ संकेतों से इतना स्पष्ट है कि पेट्रोल के प्रयोग में बहुत कमी हो गई है । जैसाकि मैंने बताया है कि सरकार ने सभी विभागों को पेट्रोल की खपत में भारी कमी करने के आदेश जारी किये हैं । और उनको क्रियान्वित किया जा रहा है ।

Shri Narendra Singh Bisht : I would like to know whether rationing in petrol could be introduced instead of increasing the prices in order to reduce the consumption of petrol ?

Shri Shah Nawaz Khan : It is under consideration and we can think over it.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की है कि पेट्रोल की कृत्रिम कमी न हो जो सरकार द्वारा कोई निर्णय लिये जाने तक कर दी जाती है ?

श्री शाहनवाज़ खां : पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि करने के कारण पेट्रोल की उपलब्धता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । लोगों को आवश्यकताएं काफी हद तक पूरी की जा रही हैं । ।

Shri Madhu Limaye : There is shortage of petroleum products as well as foreign exchange. 15 lakh ton or 7½ per cent crude goes waste in our refineries which is treated as a loss. Can't we reduce it to 1 per cent which is international ? We can save money and have more petroleum peoducts at the same time.

Shri Shah Nawaz Khan : I think that wastage in our refineries is not too much as compared to the wastage in other refineries of the world. Even then if there is scope to reduce the losses I shall look into it.

Shri Madhu Limaye : I am telling that international loss is only one per cent whereas there is seven percent in Indian refierneries. He is not aware of it. There is economic crisis in our country. There is loss of Rs. 40 crores . Why don't you get me a reply to my question?

Mr. Speaker : What have you gained by snubbing the Minister.

माननीय सदस्य नम्रतापूर्वक भी इस बात की ओर ध्यान दिला सकते थे। बात करने का यह क्या तरीका है ?

Shri Madhu Limaye. : I had asked politely but he has not replied. Only then I had to snub him you should also do it,

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस प्रकार के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। आपको शिष्टाचार बर्तना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Courtesy does not mean that the hon'ble Minister should give a vague reply. Tell him to do his duty.

Shri Shah Nawaz Khan : I have stated that the losses in our refineries are not much more than those in other parts of the world.

Shri Atal Bihari Vajpayee : How Much ?

Shri Shah Nawaz Khan : He has said that losses are one percent in other parts of the world and seven percent in our country. If it is so, I shall look into it and try to check them.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम जानना चाहते हैं कि क्या कालटैक्स कम्पनी भारत के लिये ऐक ऐसे देश से अशोधित तेल का आयात करता था जिसने कटौती नहीं की है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि कालटैक्स कम्पनी भारत को अशोधित तेल की सप्लाई में कमी करने की क्यों वकालत करती है ?

अध्यक्ष महोदय : एक चीज़ तो स्पष्ट है कि श्री शाहनवाज खां माननीय सदस्यों से कोई बात नहीं छिपाते।

श्री शाहनवाज खां : कालटैक्स कम्पनी ईरान से 12.5 लाख टन अशोधित तेल आयात करती है जिसने कोई कटौती नहीं की है। परन्तु तथ्य यह है कि भारत के अतिरिक्त इस क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी उनके तेल शोधक कारखाने हैं। उन्होंने कहा है कि अशोधित तेल की उपलब्धता में समुचित कटौती के कारण सभी तेलशोधक कारखानों में यथानुपात कटौती की जायेगी और इस लिये उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह कैसे सम्भव है ? कालटैक्स कम्पनी भारत सरकार के साथ किये गये विशिष्ट करार के अनुसार कार्य करती है। सरकार इस स्थिति को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक उसने कालटैक्स की अधीनता न स्वीकार कर ली हो ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत सामान्य प्रश्न है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : May I know whether it is a fact that no reduction has been affected in the purchase of crude and even then it has been affected in the supplies to be made to India. Has it been done to penalise India ?

श्री शाहनवाज खां : कालटैक्स कम्पनी भारत स्थित तेल शोधक कारखानों के लिये ईरान से अशोधित तेल आयात करती है परन्तु वह इस क्षेत्र में अन्य तेल शोधक कारखानों के लिये खाड़ी के अन्य देशों से काफी बड़ी मात्रा में आयात करती है। इस लिये उन्होंने कहा है कि सप्लाई में समुचय कटौती के कारण वे कटौती करेंगे। यह स्थिति है।

श्री दिनेश सिंह : इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के लिये मिलने वाला अशोधित तेल अन्य देशों को भेजा जा रहा है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : भारत सरकार इस स्थिति को कैसे सहन कर सकती है ?

श्री एच० एम० पटेल : यदि इस कम्पनी ने कटौती लागू न की होती तो हमारे तेलशोधक कारखानों को अपना पूरा कोटा मिलता । अतः जब वे यथानुपात कटौती करते हैं तो उसका अर्थ यह है कि वे हमारे लिये आने वाला कुछ अशोधित तेल अन्य देशों के तेल शोधक कारखानों को भेज रहे हैं । यह बात भारत के हित में नहीं है और इसे स्वीकार नही किया जाना चाहिये । जब कालटैक्स कम्पनी के साथ करार किया गया था तो क्या उसमें कोई ऐसी बात थी कि इस प्रकार की कोई कटौती की जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : यह विशिष्ट ढंग से पूछा गया विशिष्ट प्रश्न है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी देंगे ।

श्री एच० एम० पटेल : इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहियें ।

श्री दिनेश सिंह : तेल उत्पादक देशों ने कहा है कि भारत को तेल की सप्लाई में कटौती नहीं की जायेगी । फिर भी आयात करने वाली वे कम्पनियां कटौती कर रही हैं । भारत सरकार का या तो अशोधित तेल का आयात करने के लिये कोई अन्य तरीका निकालना चाहिये या वे इस बात को सुनिश्चित करें कि कोई कटौती नहीं की जायेगी ।

श्री पी० आर शिनाय : सब से अच्छी बात यह होगी कि तेलशोधक कारखाने को अपने नियंत्रण में ले लिया जाये ।

श्री शाहनवाज खां : जैसाकि मैं ने पहले बताया है कि यदि कोई कटौती की गई तो हम पहले ही अन्य साधनों से अशोधित तेल प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यदि वे हमारी सप्लाई में कटौती नहीं कर रहे तो ये आयात करने वाली कम्पनियां 30 प्रतिशत की या जितनी भी है, कटौती क्यों कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : हम इस बात की जांच करेंगें (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : भारत सरकार और कालटैक्स कम्पनी के बीच जो करार हुआ है वह क्या है ? क्या यह कम्पनी उस करार के उपबंधों का उल्लंघन कर रही है ; क्या भारत सरकार की अनुमति से उस करार का अधिलंघन किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव यह है कि यदि आपके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो आप एक या दो दिन बाद इस विषय पर इस सभा में वक्तव्य दे दीजिये ।

श्री वसंत साठे : इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की जाये ।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस वक्तव्य के बाद इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे दूंगा।

Shri Madhu Limaye : There is a discussion under rule 193 in my name . In case the Minister of Petroleum is ready for a discussion today then my discussion may be postponed for a day or two. But this issue must be discussed because we are not getting any satisfactory reply.

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव अच्छा है । मैं इस पर विचार करूंगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Where is Petroleum Minister ? He has allowed to the general to remain here so that he may not have to face the House.

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों की उपस्थिति में भी 30 प्रतिशत की कमी हो गई है ।

दिल्ली से सौराष्ट्र क्षेत्र तक सीधी रेलगाड़ी

*124. **श्री अरविन्द एन० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गुजरात राज्य में सोराष्ट्र क्षेत्र तक सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) सीधे जाने वाले यातायात की दृष्टि से औचित्य न होने के अलावा सौराष्ट्र क्षेत्र और दिल्ली के बीच सीधी गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि मार्ग के संतृप्त खंडों में लाइन क्षमता की और दिल्ली क्षेत्र में टर्मिनल सुविधाओं का अभाव है ।

Shri Arvind M. Patel : I would like to know whether any steps are being taken to extend the line capacity and terminal facilities ?

Shri Mohd. Shafi Quareshi : We have decided to provide third terminal in Delhi which was very badly required. As soon as it is ready through train between Saurashtra and Delhi will be feasible.

Shri Arvind M. Patel : Will the hon'ble Minister be pleased to state whether after the coustruction of broad gauge line which will be laid between Delhi and Okha, this line will also operate or not ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : This can also be considered after completion of Viramgon—Okha broadgauge line.

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने कहा हैं कि अन्य बातों के अतिरिक्त यातायात की कमी के कारण कोई औचित्य नहीं है । क्या यह सच नहीं है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर , राजकोट, भावनगर, कच्छ आदि कई महत्वपूर्ण नगर और यूनिट हैं जहां वाणिज्यिक दृष्टि से ही नहीं अपितु रक्षा की दृष्टि से भी सौराष्ट्र और राजधानी के बीच अधिक यातायात होना महत्वपूर्ण बात है ? फिर मंत्री महोदय हमें हर बार यह क्यों कह देते हैं कि यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है ? वह इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि जब रेलवे लाइन बन जायेंगी, यातायात अपने आप बढ़ जायेगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : दिल्ली से महसाना और ओखा से परे के स्टेशनों को जाने वाले यात्रियों का हिसाब यह है कि सभी श्रेणियों में औसत रूप में अन्त तक जाने वाले 25 यात्री होते हैं । उदाहरण के लिय पोरबन्दर-दिल्ली 2-टायर स्लीपिंग कोच में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार केवल 54 प्रतिशत सीटें बुक होती हैं । इन आंकड़ों से पता चलता है कि यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है । परन्तु मैं माननीय सदस्य

को आश्वासन देता हूं कि सरकार इस गाड़ी को अर्थात अहमदाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस को इस पूरे मार्ग पर डीज़ल से चलाने का विचार कर रही है। इससे सौराष्ट्र से दिल्ली आने वाले यात्रियों को भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी।

श्री पी० जी० मावलंकर : वह अनुमान के आधार पर आंकड़े दे रहे हैं। लाइन बिछाये बिना यह बात कैसे कही जा सकती है कि यातायात पर्याप्त नहीं होगा ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : यातायात सम्बन्धी अपेक्षाओं के बारे में समुचित सर्वेक्षण किया गया है।

Shri Lalji Bhai : I would like to know the affect of a through train between Saurashtra and Delhi if it is introduced, on Chetak Express in terms of time and other things? Chetak train has become express since 1st September. Which will run from Delhi to Udaipur. The train that follows Chetak runs without any passenger I want to know whether that train will also be run before Chetak ?

Shri Mohd: Shafi Qureshi : This is a suggestion and we shall consider it.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि दिल्ली में तीसरा टर्मिनल कहां पर बनाया जायेगा अथवा स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी: हम ने निर्णय कर लिया है। न्यू निज़ामुद्दीन तीसरा टर्मिनल होगा।

मथुरा में तेल शोधक कारखाना

*125. **श्री० एस० एम० बनर्जी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

मथुरा तेल शोधक कारखाने में कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा और इस कारखाने की क्षमता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मथुरा शोधनशाला की क्षमता प्रतिवर्ष 6 मिलियन मीटरी टन होगी, शोधनशाला कैम्पलैक्स के चालू होने पर 1,100 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या प्रारम्भिक निर्माण कार्य वास्तव में आरम्भ हो गया है ? मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रधान मंत्री ने शिलान्यास किया है। कार्य भी आरम्भ हो जाना चाहिये नहीं तो कोई शिलान्यास के पत्थर को भी उठा ले जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कार्य कब आरम्भ होगा ?

श्री शाहनवाज खां : इस समय परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि वास्तविक निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा ?

श्री शाहनवाज खां : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार तेल शोधक कारखाने में 1978 में उत्पादन आरम्भ हो जाएगा। उस समय तक सभी कार्य पूरे हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आशा है आप पुनः चुने जाएंगे ।

डा० हरि-प्रसाद शर्मा : मथुरा में तेल शोधक कारखाने की स्थापना का निर्णय राजस्थान और उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये अपने अपने दावों को ध्यान में रखते हुये किया गया था । क्या मंत्री महोदय सभा को बता सकेंगे कि राजस्थान में कौन से कारखाने स्थापित किये जाएगें ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न मथुरा के बारे में है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, may I know whether it is proposed to set up any other ancillary industries in that area along with the refinary ? Is there any scheme in this regard.

Mr. Speaker : Let it be constructed first.

Shri Atal Bihari Vajpayee : If any scheme has been made I would like to know its details secondly, what would be the source of supply of crude to this refinary ?

Shri Shah Nawaz Khan : Crude would be imported from Middle East Countries.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, first part of my question has not been answered.

Shri Shah Nawaz Khan : Generally ancillary industries are set-up at the places where refinary is set-up . After the construction of refinary ancillary industries would come -up there.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I have been put off by a vague reply. It has been said that ancillary industries are set-up where refinary is constructed and that such industries would be set-up . Is it a way of Planning ?

Mr. Speaker : Neither refinary has been set-up as yet not have other things come up It would be done after the availability of crude.

उड़ीसा में बांसपानी-जाखपुरा रेल सम्पर्क के लिए सर्वेक्षण

*126. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'हिन्दुस्तान स्टेंडर्ड' दिनांक 5 जुलाई, 1972 में प्रकाशित समाचार के अनुसार उड़ीसा में बांसपानी-जाखपुरा रेल सम्पर्क के लिए इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण का जो कार्य 1972 के मानसून के पश्चात प्रारम्भ किया जाना था, उसके अभी तक प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या आधार ढांचे के विकास और रेल सम्पर्क के निर्माण की सम्भाव्यता की जांच के लिए नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए बजट में आवश्यक धनराशि का उपबन्ध किया गया है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) प्रस्तवित बांसपानी-जाखपुरा रेल सम्पर्क के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण का काम 1973-74 के बजट में शामिल कर लिया गया था । दक्षिण पूर्व रेलवे ने सर्वेक्षण के लिए अनुमान प्रस्तुत कर दिया है और आशा है उसे शीघ्र ही मंजूरी मिल जाएगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अर्जुन सेठी : प्रस्तावित रेल लाइन के सर्वेक्षण का कार्य 1964-65 में आरम्भ किया गया था । चूंकि इस क्षेत्र के इंफास्ट्रक्चर की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर ही इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिये अंतिम सर्वेक्षण का कार्य आश्रित है, मैं जानना चाहता हूं कि यह अध्ययन दल कितना समय लेगा तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शीघ्र से शीघ्र कब तक कर लिया जाएगा ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : इस्पात विभाग के साथ कुछ और चर्चा किये जाने के परिणामस्वरूप, ज्ञात होता है कि अध्यन दल की रिपोर्ट को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने के लिये एक अन्य बैठक बुलाई जा रही है । मेरे विचार से वह बहुत शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे । जहां तक रेलवे विभाग का सम्बन्ध है हम इस कार्य को आरम्भ करने के लिये तैयार हैं । इसको 1973-74 के बजट में सम्मिलित किया गया है ।

श्री अर्जुन सेठी : चूंकि इसे 1973-74 के बजट में सम्मिलित कर लिया गया है अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस लाइन के निर्माण के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मूलतः इस पर 46 करोड़ पये खर्च होने का अनुमान था । अब अध्ययन दल इस मामले की जांच कर रहा है तथा हमें यह ज्ञात नहीं कि वास्तव में इस पर कितनी लागत आएगी । जहां तक यातायात सर्वेक्षण का सवाल है । हमने इसके लिये बजटीय व्यवस्था कर दी है । इस समय मेरे पास इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि हम इस पर कितनी धनराशि खर्च करेंगे । मैं माननीय सदस्य को यह आंकड़े उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री अनादिचरण दास : यह जानकर प्रसन्नता होती है कि रेलवे बोर्ड ने बांसपानी जखपुरा रेलवे लाइन का यातायात सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस लाइन का निर्माण कार्य वास्तव में किस तिथि को आरम्भ हो जाएगा ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है । यह पांचवीं योजना में पूरी हो जायेगी ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : कोई व्यवहार्यता प्रतिवेदन न होने की स्थिति में यातायात सर्वेक्षण आरम्भ करने का निर्णय किस प्रकार किया गया जैसा कि बजट भाषण में रेल मंत्री ने उल्लेख किया था ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : इससे विदित होता है कि रेलवे विभाग इस लाइन को पूरा कराने में कितना इच्छुक है । दोनों कार्य साथ-साथ किये जा सकते हैं । व व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन करते हैं तथा हम यातायात सर्वेक्षण करते हैं ।

औषध उद्योग के लिए आयातित कच्चा माल उपलब्ध न होना

*127. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कच्चा माल न मिलने के कारण औषध उद्योग को काफी कठिनाइयां हो रही है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो सका है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग की मांग पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Jagannath Mishra : It seems from the reply of the hon. Minister that Drug Industry has not facing any kind of shortage and difficulties and that all is going on smoothly. In view of this I am constrained to ask as to how much raw material was imported from foreign countries during the last three years. What was our target of drug production and to what extent we could achieve it ?

Shri Shah Nawaz Khan : We imported drugs worth Rs. 35 crores in 1971-72 and worth Rs. 30.89 crores in 1972-73. Our internal demand was met with this import.

Dr. Laxminarain Pandeya : It has been stated in the reply given by the hon. Minister that there is no shortage and that the drug industry has not been facing any difficulty. May I know whether it is a fact that in the absense of the raw material for sulpha drugs these drug manufacturers have been facing serious difficulties since the import of this material is not being done regularly ?

Shri Shah Nawaz Khan : The demand of the licenced capacity of the country is being met and we have not received any complaints regarding any shortage.

रूपसा-तालाबंद नैरो गेज लाइन (दक्षिण पूर्व रेलवे) का बन्द होना

*128. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे का रुपसा-तालाबन्द नैरो गेज सैक्शन अलाभकारी और घाटे वाला सैक्शन है;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन ने इस सैक्शन को बन्द करने का अन्तिम निर्णय केवल इसीलिए किया है कि यह सैक्शन अलाभकारी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां। अब ऐसा खण्ड केवल रुपसा और बंगरीपांसी के बीच में है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : मंत्री महोदय ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया है। क्या अन्य रेलवे में विशेषकर महाराष्ट्र क्षेत्र में भी इस प्रकार की अलाभप्रद लाइनें आरम्भ की गई हैं ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : प्रश्न उड़ीसा के बारे में है अतः इस सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र : यदि मुझे महाराष्ट्र के बारे में स्थिति का पता हो तभी मैं उड़ीसा के बारे में कोई मांग कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु मूल प्रश्न उड़ीसा के बारे में है, महाराष्ट्र के बारे में नहीं।

श्री श्याम सुन्दर माहापात्र : मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विशेष लाइन पर डी० एस० खड़गपुर के द्वारा माल तथा यात्री गाड़ियों का चलाया जाना बन्द कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने अच्छी जानकारी दी है ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी।

सिगनल संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

*129. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सिगनल संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और विदेशों से उपकरणों के आयात में कमी करके इसके प्रयोजनार्थ अपेक्षित उपकरणों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, जैसा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने रेलवे के संबन्ध में अपने प्रतिवेदन (जनवरी, 1970) में सिफारिश की थी; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए रेलवे बोर्ड ने कोई चरण-बद्ध कार्यक्रम तैयार किया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) रेलों में सिगनल और दूर-संचार का आधुनिकीकरण एक स्वीकृत नीति है और संरक्षा, यातायात और वित्तीय पहलुओं के आधार पर रेलों में उत्तरोत्तर नवीनतम तकनीकों को लागू किया जा रहा है ।

अन्य निर्माताओं के साथ-साथ सिगनल उपस्करों के दो सुस्थापित निर्माताओं द्वारा भी आधुनिक बिजली सिगनल उपस्करों का देश में निर्माण शुरू किया गया है । इनके अलावा रेलवे के कुछ सिगनल कारखानों में भी कुछ महत्वपूर्ण मदों का निर्माण किया जा रहा है ।

मैसर्स इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बैंगलूर और हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दूर-संचार उपस्करों का निर्माण किया जा रहा है । इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कुछ ऐसे सिगनल और दूर-संचार उपस्करों का भी देश में निर्माण करने की व्यवस्था कर रही है जिनका अब आयात किया जा रहा है ।

(ख) जी हां ।

श्री नारायण चन्द पराशर : इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त किये जाने के लिये चरणवार कार्य-क्रम का आश्वासन दिलाए जाने की दृष्टि से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई अवधि निर्धारित की गई है, जैसे कि पांचवीं योजना के अन्त तक, जैसी प्रशासनिक सुधार आयोग की इच्छा थी ?

श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी : आयातित उपकरण के स्थान पर उपयोग करने के लिये इस उपकरण के बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। किन्तु हमारा प्रयत्न है कि जिन उपकरणों का आयात किया जा रहा है उनका उत्पादन देश में ही किया जाए इस बारे में हम कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकते ।

श्री नारायण चन्द पराशर : भारतीय रेलवे में इस समय कितने प्रतिशत आत्म निर्भरता प्राप्त की गई है तथा आगामी योजना में उसमें कितनी वृद्धि करना चाहते हैं ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : हम लगभग 25 प्रतिशत उपकरणों का आयात् कर रहे हैं । अगली योजना अवधि में हम इसमें काफी कमी करना चाहते हैं ।

श्री मनोरंजन हाजरा : क्या इस समय 'ब्लाक सिगनेलिंग' कार्य कर रहा है अथवा नहीं ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : वह कुछ लाइनों पर कार्य कर रहा है । किन्तु मैं इस समय उसका ब्यौरा नहीं दे सकता ।

गंगा को कावेरी से मिलाना

***130. श्री सेझियान :**

श्री मुरासोली मारन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा और कावेरी को मिलाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस परियोजना के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई राशि रखी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) कुछ चिरकाल सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ सम्पर्कों के अन्वेषण के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं तथा उन पर योजना आयोग में विचार किया जा रहा है ।

श्री सेझियान : गंगा और कावेरी को मिलाने के प्रस्ताव से अनेक संम्भावनाएं उत्पन्न हुई थीं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रस्ताव पर वास्तव में कब विचार किया था । मैं समय की बाबत जानना चाहता हूं अर्थात् यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन किस तिथि से है ?

भाग (ख) के संबन्ध में कि क्या इस परियोजना के लिये पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि नियत की जाएगी, कोई उत्तर नहीं दिया गया। पांचवीं योजना में इस परियोजना के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ? इस कार्य के लिये कुछ विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होगी । अतः पांचवीं योजना में इसके लिये कितनी धनराशि नियत की गई है तथा सरकार ने इस प्रस्ताव पर किस तिथि से विचार करना आरम्भ किया था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ भारतीय नदियों के बेसिन पर फालतू पानी को सूखाग्रस्त क्षेत्रों और सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों आदि में उपयोग के लिये कुछ विचार कुछ गत वर्षों से सरकार के विचाराधीन रहे हैं । यह विचार 1968-69 में आया था । इस संबन्ध में कुछ अध्ययन भी किया गया। इसके पश्चात् यू० एन० डी० पी० की ओर से दो बार योजनाएं प्रस्तुत की गईं कि विस्तृत अध्ययन किया जाए जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया उसके पश्चात् आगे भी विचार-विमर्श किया जा चुका है । योजना आयोग में एक बैठक हुई थी तथा यह निर्णय किया गया कि इन बेसिनों पर फालतू पानी के बारे में स्थिति का अध्ययन किया जाएगा तथा सूखा मुक्ति कार्य के लिये प्राथमिकता निर्धारित की जाए और एक चरणवार कार्यक्रम तैयार किया जाए, उदाहरणार्थ पांचवीं और छठी योजनाओं में इसके परिणामों को सुनिश्चित करने के लिये तुरन्त सम्पर्कों की व्यवस्था इसी आधार पर कुछ सम्पर्कों की जाये करने के लिये कुछ प्रस्ताव तैयार किये गये थे तथा इन प्रस्तावों को योजना आयोग को भेजा गया था। आयोग इन पर विचार कर रहा है । जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर में बताया है नियत की जाने वाली धनराशि का पता योजना आयोग द्वारा प्रस्तावों पर विचार कर लेने के बाद ही लगेगा

श्री सेझियान : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में गंगा और कावेरी को मिलाने की बात बड़ी सावधानी से टाल दी है तथा सामान्यरूप से उत्तर दे दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि गंगा और कावेरी को मिलाने के बारे में निश्चित योजना क्या है । गंगा और कावेरी को मिलाने का कार्य एकाएक नहीं किया जा सकता इसे विभिन्न चरणों में करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण में विशेषकर गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के साथ फालतू पानी वाली नदियों को मिलाने के बारे में कोई प्रस्ताव हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि गंगा और कावेरी को मिलाने का विचार व्यक्त नहीं हो सका तो इसका आशय यह नहीं कि मैं उसे जानबूझ कर टालना चाहता था। इसका एक कारण यह है कि प्रारम्भिक अध्ययन से अकेले दक्षिणी सम्पर्क पर 2,900 करोड़ रुपयों के खर्च का अनुमान लगाया गया है । पांचवीं योजना में बड़ी तथा मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं पर लगभग 2,400 करोड़ रुपयों की व्यवस्था किये जाने की संभावना है । अतः मैं यह धारणा उत्पन्न नहीं कराना चाहता था कि इस कार्य को रातों रात पूरा किया जा सकता है । इस मामले में कोई गलत धारणाएं बनाने से पहले ऐसी योजनाओं की वित्तीय लागत के बारे में ध्यानपूर्वक सोचना होगा तथा इसके प्रत्येक पहलू की पूरी-पूरी जांच करनी होगी। फिर भी तुरन्त जांच किये जाने के लिये निम्नलिखित सम्पर्कों का सुझाव दिया गया है; ब्रह्मपुत्र गंगा सम्पर्क, गंगा-सोन नहर का दक्षिणी सम्पर्क, गोदावरी कावेरी नहर जिसके बारे में माननीय जानना चाहते थे, गंगा यमुना-आगरा नहर, चम्बल-राजस्थान नहर, गंगा दामोदर, पुरलिया और बांकुरा। यह कुछ महत्वपूर्ण सम्पर्क हैं । जब तक योजना आयोग नियतन के बारे में अन्तिमरूप से निर्णय नहीं करता तब तक मैं स्पषटरूप से यह नहीं बता सकता कि इस समय कितना जांच कार्य आरम्भ किया जा सकता है । यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी धनराशि नियत की जाती है।

श्री जगन्नाथ राव : गंगा और कावेरी को मिलाने की इस बड़ी योजना को आरम्भ करने से पहले क्या बिहार राज्य में गंगा के पानी का पूरा उपयोग किये जाने की कोई योजना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इन सम्पर्कों का उद्देश्य यह केवल गंगा और कावेरी को मिलाने का ही मामला नहीं है वरन् अन्य सम्पर्कों का मामला भी है—वर्षा काल में फालतू पानी का, जब वह उस क्षेत्र में उपयोग नहीं हो पाता पूरा उपयोग करना है । (**व्यवधान**) यह निश्चित करना है कि फालतू पानी कितना है । यह एक महत्वपूर्ण बात है । इसीलिये मैंने यह कहा था कि इन पहलुओं पर सावधानी से विचार किये जाने की आवश्यकता है इन सम्पर्कों का संबन्ध केवल फालतू पानी के उपयोग से है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या सरकार गंगा और कावेरी को मिलाने की परियोजना के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है ? यह परियोजना लगभग 50 वर्ष पूर्व श्री सी० पी० रामास्वामी आयर तथा एक प्रसिद्ध अंग्रेज इंजीनियर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अन्य कठिनाइयों तथा वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय कृष्णा-कावेरी और गोदावरी-कावेरी को मिलाने की छोटी परियोजनायों के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ? इन परियोजनाओं पर बहुत अधिक धनराशि खर्च नहीं होगी ।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैं कह चुका हूं कि गोदावरी-कावेरी सम्पर्क की भी जांच किये जाने का प्रस्ताव है । प्रश्न यह नहीं है कि प्रस्ताव को एकदम रद्द कर दिया गया है या स्वीकार कर लिया

गया है। प्रश्न यह है कि सभी कठिनाइयों का पता लगाया जाए तो परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाए, इन परियोजनाओं के लिए धनराशि प्राप्त की जाए तथा अगली कार्यवाही की जाए।

दूसरी बात यह है कि सभी पानी को उठाकर डालना पड़ेगा। यदि गंगा से कावेरी में पानी डालना है तो उसके लिये बहुत-सी बिजली की आवश्यता होगी जो इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय विस्तृत उत्तर दे रहे हैं जिससे हमें अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप छोटे प्रश्न करें तो मैं उनसे संक्षिप्त उत्तर देने का अनुरोध कर सकता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों को नये बुक स्टालों का आबंटन

*131. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** :

श्री वी० मायावन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर नए बुक स्टाल बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों को देने की पेशकश की गई है;

(ख) क्या इसकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां। स्टेशनों पर बुक स्टाल के ठेके देने के लिए बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों से आवेदन पत्र मांगे गये थे।

(ख) जी हां।

(ग) सहकारी समिति बनाने के लिए कम-से-कम 10 या 11 व्यक्तियों को इकट्ठा होना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए अब यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित को भी बुक स्टाल आबंटित किये जायें :—

(i) 1860 के समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों की एसोसियेशन को, यदि राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित होने पर यह निश्चित हो जाय कि उस अधिनियम में इसकी अनुमति है।

(ii) दो या दो से अधिक बेरोजगार नवयुवकों को भागीदारी का करारनामा करने पर।

माल गोदाम (पश्चिम रेलवे) में ड्यूटी लिस्टों का प्रदर्शन किया जाना

*132. **श्री भोला मांझी** :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के माल गोदामों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए वहां ड्यूटी लिस्टों का प्रदर्शन नहीं किया जाता है;

38 LSS/73—4

(ख) क्या सामान्य नियमों के अनुसार कार्य करने के स्थान पर ड्यूटी लिस्टों का प्रदर्शन किया जाना आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो ड्यूटी लिस्टों का प्रदर्शन न किये जाने के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा अब यह व्यवस्था किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) वर्तमान नियमों के अनुसार रेलों के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वे रेल कर्मचारियों के कर्तव्यों की सूची प्रदर्शित करें ।

गोदावरी के जल-प्रवाह को कावेरी बेसिन से जोड़ने की परियोजना

*133. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व संयुक्त मद्रास राज्य ने 1948 में गोदावरी जल-प्रवाह को काबेरी बेसिन से जोड़ने की संभावना की जांच की थी और एक परियोजना तैयार की थी जिसे एक दशक में पूरा किया जा सके;

(ख) क्या भारत में गोदावरी नदी में जल की मात्रा सब से अधिक होती है और इस समय सिंचाई के लिए इसका केवल 10 प्रतिशत जल उपयोग किया जाता है और शेष जल बंगाल की खाड़ी में बह जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित गंगा-कावेरी परियोजना के निष्पादन के लिए प्रथम कार्यवाही के रूप में उक्त परियोजना को लागू करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) गोदावरी जल को कावेरी में व्यपवर्तित करने के संबंध में भारत सरकार को तत्कालीन मद्रास राज्य से कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई थी ।

(ख) गोदावरी की अपेक्षा, गंगा और ब्रह्मपुत्र में जल प्रवाह अधिक है । गोदावरी नदी प्रणाली में पानी की यथार्थ उपलभ्यता, बेसिन में शामिल राज्यों में जल का प्रयोग और पानी की आवश्यकता जैसे मामलों पर गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णय किया जा रहा है ।

(ग) राष्ट्रीय जल ग्रिड इस समय केवल एक धारणा मात्र है । जब कुछ चिर-सूखाग्रस्त क्षेत्रों के प्रतिरक्षित करने के लिए जल के अन्तः क्षेत्रीय स्थानान्तरण हेतु अनुसंधान कार्य हाथ में लिए जाएंगे, तो गोदावरी के फालतू जल, यदि कोई हो, के इस्तेमाल की सम्भाव्यताओं की भी जांच करने का विचार है ।

अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि का उर्वरकों पर प्रभाव

*134. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल में अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि होने से उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि निर्माताओं को इस योग्य बनाया जाये कि वे जो मूल्य वसूल करें वह लाभकारी हो ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) उर्वरक उद्योग द्वारा प्रयोग किये जाने वाले पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों का समय-समय पर कच्चे तेल के मूल्यों के संदर्भ में पुनरीक्षण एवं शोधन किया जाता है ऐसे संशोधन करते समय कानूनी तौर पर नियंत्रित उर्वरकों के मूल्यों में उपयुक्त समायोजन करने के प्रश्न पर भी विचार किया जाता है । वास्तव में हाल ही में नेफ्था के मूल्य में हुई वृद्धि की क्षति-पूर्ति हेतु इन उर्वरकों के मूल्य हाल ही में बढ़ाए गए थे ।

मद्रास तेल शोधक कारखाने में मोटर स्पिरिट और नैफ्था का उत्पादन

*135. **श्री मोहन राज कलिंगारायर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तेल शोधक कारखाने द्वारा वर्ष 1971-72 के दौरान तैयार की गयी मोटर स्पिरिट की उत्पादन लागत क्या है ;

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान प्राइवेट तेल कम्पनियों को बेची गयी मोटर स्पिरिट से कितना लाभ कमाया गया; और

(ग) क्या मद्रास तेल शोधक कारखाने में नेफ्था तैयार करने का कोई कार्यक्रम है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) विश्व भर में पेट्रोलियम शोधन-शालाओं में साफ किये जाने वाले कच्चे तेल के यूनिट में उत्पादन लागत का निर्धारण करने की प्रथा है । प्रत्येक उत्पाद की लागत निर्धारण इस कारण संभव नहीं चूंकि यह कई पूर्वानुमानों पर, विशेषतः एक ही कच्चे माल और सामान्य सुविधाओं से उत्पादित पदार्थों की संयुक्त लागत पर आधारित होगा। अतः मद्रास शोधनशाला द्वारा उत्पादित मोटर स्प्रिट की उत्पादन लागत बताना संभव नहीं है । परन्तु 1971-72 में मद्रास शोधनशाला में प्रति 100 मीटरी टन कच्चे तेल की परिचालन लागत 3695 रुपये थी ।

(ख) मद्रास शोधनशाला द्वारा निजी/गैर-सरकारी कम्पनियों को मोटर स्प्रिट का कोई विक्रय नहीं किया गया चूंकि इस शोधनशाला द्वारा उत्पादित समस्त मोटर स्प्रिट का विक्रय भारतीय तेल निगम द्वारा किया जाता है ।

(ग) 1969 से जब मद्रास शोधनशाला में उत्पादन आरम्भ हुआ था, नेफ्था का उत्पादन किया जा रहा है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा खरीदी गई अप्रयुक्त घड़ी मशीनें

***136. श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा खरीदी गई कुछ "आवश्यक" मशीनें अभी तक अप्रयुक्त पड़ी हुई हैं ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस 'मशीन गड़बड़ी' की जांच करने के लिए एक समिति बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो यह समिति कब से कार्य करना शुरू कर देगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा खरीदी गई निम्नलिखित मशीनें उनके पास खाली पड़ी हैं :

1. 80 टन वैगन टिप्पलर।
2. 36 टन वैगन टिप्पलर।
3. डबल हार्ज़िंग टर्निंग और बोरिंग मशीन।
4. 100 टन रेलवे व्हे ब्रिज।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

फर्टीलाइज़र एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर द्वारा कोचीन में नई परियोजना आरम्भ करने के लिये तैयार किया गया तकनीकी-आर्थिक व्यय व्यवहार्यता प्रतिवेदन

*137. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उद्योगमंडल, केरल स्थित फर्टीलाइज़र एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर ने कोचीन में नई परियोजना आरम्भ करने के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता प्रतिवेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) से (ग) कोचीन में एक नए उर्वरक कारखाने की स्थापना हेतु फैक्ट ने एक तकनीकी-आर्थिक सामान्य रिपोर्ट प्रस्तुत की है । प्रस्ताव में (1) 900 टन/प्रतिदिन अमोनिया और 1300 टन/प्रतिदिन यूरिया (2) 900 टन/प्रति दिन अमोनिया, 100 टन/प्रतिदिन यूरिया और 1600 टन/प्रतिदिन एन० पी० के० और (3) 1200 टन/प्रतिदन अमोनिया, 1500 टन/प्रतिदिन यूरिया और 1600 टन/प्रतिदिन एन० पी० के० के उत्पादन की विकल्पीय योजनाऐं हैं । विकल्पी योजना (1), (2), (3) के लिए क्रमशः 82.8 करोड़ रु०, 114.7 करोड़ रुपये तथा 132.0 करोड़ रुपये का पूंजीगत लागत का अनुमान है । पांचवीं योजना के अंतर्गत सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 5 उर्वरक संयन्त्रों की स्थापना की स्वीकृति दी है; ये भटिंडा (पंजाब) पानीपैत (हरियाणा) मथुरा (उत्तर प्रदेश) पैरादीप (उड़ीसा) तथा ट्राम्बे (महाराष्ट्र) में स्थापित किये जायेंगे । साधन स्थिति तथा अन्य सुसंगत तथ्यों के आधार पर बाद को कोचीन तथा अन्य उपयुक्त स्थानों में उपयुक्त समय पर और अधिक क्षमता को बढ़ाने के लिए विचार किया जा सकता है ।

आल इण्डिया लोको स्टाफ रनिंग, पूर्वोत्तर रेलवे शाखा की मांगें

*138. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ की पूर्वोत्तर रेलवे शाखा के अध्यक्ष तथा महासचिव ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को सम्बोधित करके लोको रनिंग स्टाफ की मांगों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

आपात काल में राज्यों द्वारा बिजली की सप्लाई

*139. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को राज्यों को ऐसे निदेश देने की कोई योजना है कि वे बिजली फेल हो जाने तथा अन्य ऐसे ही आपातकालीन अवसरों पर अपने समीपवर्ती राज्यों को बिजली सप्लाई करें; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) ऐसी कोई योजना न तो तैयार की गई है और न ही विचाराधीन है । बहरहाल विद्युत खराबियों, ताप संयंत्रों को मजबूरन बन्द करना और जल-विद्युत संयंत्रों द्वारा अपर्याप्त विद्युत उत्पादन अथवा बिजली न उत्पन्न करने जो कि जल-विद्युत जलाशय में जल की कम उपलभ्यता तथा जल स्तर कम रहने के कारण आवश्यक हो जाता है, जैसी आपतकालीन परिस्थितियों में, पड़ौसी राज्यों को उनके द्वारा उत्पन्न की गई विद्युत में से यथासंभव सहायता देने के लिए राजी करके केन्द्र जरूरतमंद राज्यों को सहायता देने के लिए कार्य करता है ।

क्षेत्रीय आधार पर विद्युत प्रणालियों के समेकित प्रचालन को संभव बनाने के लिए भारत सरकार ने देश के उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में क्षेत्रीय बिजली बोर्ड स्थापित किए हैं ताकि न केवल आपातकाल में एक राज्य से दूसरे राज्य को सहायता उपलब्ध हो सके बल्कि सभी सम्बद्ध राज्यों के आपसी लाभ के लिए उत्पादन तथा पारेषण सुविधाओं का इष्टतम समुपयोजन सुविधाजनक हो । क्षेत्रीय आधार पर विद्युत प्रणालियों के समेकित प्रचालन को संभव बनाने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं । इनसे क्षेत्रीय विद्युत प्रणाली के प्रचालन का हर समय प्रबोधन करना और इस प्रणाली से किसी राज्य को तत्काल आपातिक सहायता की व्यवस्था करना संभव हो जाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच विद्युत का ऐसे ढंग से आदान-प्रदान जोकि सम्बद्ध राज्यों के लाभ के लिए प्रचालन में अधिकतम किफायत करने में सहायक होगा, ऐसे क्षेत्रीय प्रणाली प्रचालन द्वारा भी सुविधाजनक हो जाता है ।

कोचीन उर्वरक कारखाने, प्रथम चरण की अनुमानित लागत में वृद्धि

*140. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन उर्वरक कारखाने के प्रथम चरण की अनुमानित लागत 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ गयी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) क्या कारखाने को उचित समय पर नहीं चलाया जा सका ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) (रुपये के अवमूल्यन से पहले) परियोजना की मूल अनुमानित लागत 2677 लाख रूपये थी। अनुमान का 7600 लाख रुपये तक संशोधन किया गया है।

(ग) और (घ) यांत्रिक रूप से प्लांट जुलाई 1972 में सम्पन्न हो गया था परन्तु अनपेक्षित तकनीकि समस्याओं तथा मुख्यतः आयातित संयंत्रो में यांत्रिक खराबियों के कारण यह उसके बाद चालू नहीं किया जा सका।

केरल में सिंचाई परियोजनाएं

1202. **श्री वयालार रवि** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कौन-कौन सी मुख्य सिंचाई परियोजनाऐं निर्माणाधीन हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं में अब तक पूरे हुए कार्य की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है और परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केरल में 7 बृहत सिंचाई परियोजनाऐं नामशः पेरियार घाटी, पम्बा, कुट्टियाडी, चित्तरपुझा, पझासी, कन्हीरापुझा और कल्लाडा निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं पर कार्यों की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

राज्य सरकार ने अपनी पांचवी योजना के कार्यक्रमों में कल्लाडा परियोजना के अलावा, जिस पर कार्य छटी योजना में भी जारी रखा जाएगा, सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित की है।

विवरण

1. **पेरियार घाटी परियोजना** :

बराज और मुख्य नहर पर कार्य पूर्ण हो चुका है। बड़ी और छोटी वितरणियों की 502 किलोमीटर कुल लम्बाई में से 296 किलोमीटर पूर्ण हो चुकी है। कुल 3450 चिनाई संरचनाओं में से भी 2818 पूर्ण हो गई हैं। कुल 97 किलोमीटर लम्बी क्षेत्रीय नालियों में से भी 35 किलोमीटर पूर्ण हो गई है।

यह अनुमान है कि परियोजना पर 11.50 करोड़ रुपये लागत आएगी और जून 1973 के अन्त तक 7.07 करोड़ रुपये व्यय हो चुके थे। यह परियोजना पूर्ण होने पर 56,660 हैक्टेयर क्षेत्र (कुल) को सिंचाई प्रदान करेगी और 1972-73 तक 28,328 हैक्टेयर सिंचाई शक्यता को विकसित किया जा चुका था।

2. **पम्बा परियोजना** :

बराज का कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है जबकि सुरंग कार्य की लगभग आधी दूरी पूरी हो गई है। नहरों पर, 50 प्रतिशत मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है और पलस्तर, चिनाई और कंक्रीट संरचनाओं इत्यादि पर कार्य निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 17.89 करोड़ रुपये है और जून, 1973 के अन्त तक 5.69 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। यह परियोजना पूर्ण हो जाने पर 46,134 हैक्टेयर क्षेत्र (कुल) को सिंचाई सुविधाऐं प्रदान करेगी और पांचवी योजना के अन्त तक 4,050 हैक्टेयर सिंचाई शक्यता के प्राप्त होने की संभावना है।

3. **कुट्टियाडी परियोजना** :

बाधं और मुख्य नहर पर कार्य पूरा होने वाला है और वितरणियों तथा क्रास ड्रेनेज संरचनाओं इत्यादि पर अन्य कार्य प्रगति पर हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 12.60 करोड़ रुपये है और 10.10 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर, इससे 31,161 हैक्टेयर क्षेत्र (कुल) को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा 1972-73 के अन्त तक 4856 हैक्टेयर सिंचाई शक्यता विकसित की जा चुकी थी।

4. **चित्तरपुझा परियोजना** :

मूलथरा नियामक के संबंध में समस्त सिंचाई कार्य तथा रोडवे डेकिंग पूर्ण हो चुकी है। सिंगल टायर शटरों के लिए अन्तःस्थापित भागों और स्तम्भों को लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है। नदी सलूसों के लिए शटरों को लगाने के अतिरिक्त, थेन बराम डक्कू एनिकट से सम्बद्ध सभी कार्य प्रायः पूर्ण हो गए हैं।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 5.37 करोड़ रुपये है और जून 1973 के अन्त तक 2.07 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। यह परियोजना पूर्ण होने पर 34,600 हैक्टेयर क्षेत्र (कुल) को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेगी और 1972-73 के अन्त तक 3,237 हैक्टेयर शक्यता विकसित की जा चुकी थी।

5. **पझासी परियोजना :**

बराज की नींव के लिए लगभग 50 प्रतिशत खुदाई कार्य पूरा हो चुका है, जबकि [लगभग 40] प्रतिशत चिनाई और 28 प्रतिशत कंक्रीट कार्य हो चुका है। मुख्य नहर पर, लगभग 25 प्रतिशत खुदाई तथा 55 प्रतिशत पलस्तर कार्य हो चुका है। 75 प्रतिशत तक सुरंग कार्य हो चुका है। क्रास ड्रेनेज संरचना के निर्माण कार्य अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है।

परियोजना की अनुमानित लागत 13.20 करोड़ रुपये है और जून, 1973 के अन्त तक 4.35 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। इस परियोजना के पूर्ण होने पर 32,375 हैक्टेयर क्षेत्र (कुल) को इससे सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी।

6. **कन्हीरपुझा परियोजना** :

चिनाई बांध पर नींव की खुदाई का लगभग 83 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है जबकि चिनाई कार्यों का निर्माण प्रारंभिक अवस्था में है। मिट्टी के बांध पर लगभग 38 प्रतिशत मिट्टी का कार्य हो चुका है। नहर पर कार्य प्रगति कर रहा है। वितरणियों पर, विस्तृत अन्वेषण कार्य हो रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 9.26 करोड़ रुपये है तथा जून, 1973 के अन्त तक 2.77 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। परियोजना के पूर्ण होने पर, इससे 21,853 हैक्टेयर क्षेत्र (कुल) को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी।

7. **कल्लाडा** :

ओट्टाक्कल वीयर के अंतिम भाग, शीर्ष नियामक तथा स्कोर स्लूसेज के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। परप्पर बांध पर नींव की खुदाई का कार्य हो रहा है और पहुंचों में चिनाई का कार्य भी प्रगति पर है।

परियोजना की अनुमानित लागत 45 करोड़ रुपये है तथा जून, 1973 के अन्त तक 3.79 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके थे। यह परियोजना पूर्ण होने पर 1,04,840 हैक्टेयर क्षेत्र (कुल) को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करेगी।

विदेशी औषध फर्मों के लाभ सम्बन्धी विवरणों का प्राप्त होना

1204. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 7 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2215 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न के भाग (ख) में निर्देशित लाभ संबंधी विवरणों के कब तक प्राप्त होने की संभावना है और क्या इसके लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : इस वर्ष दिसम्बर के अंत तक लाभ-विवरणियों के प्राप्त होने की आशा है ।

वेलियम टेबलेट तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पादों के मूल्यों पर पुर्नविचार

1205. **श्री सोमचंद सोलंकी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों से बेलियम टेबलेट आदि जैसे उत्पादों के विक्रय मूल्यों पर पुर्नविचार किया जा रहा है ; और

(ख) क्या इन औषधियों के मूल्य अधिक समझे जाते हैं, और यदि हां, तो उसके लिए स्वीकृति कैसे दी गयी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) अंतिम औषध उत्पादों के विक्रय मूल्यों का उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत स्वीकृति दी जाती थी/जाती है । परिवर्तित परिस्थितियों जैसे प्रपुंज औषधों का देशीय निर्माण जिनका पहले आयात किया जाता था, आयातित मूल्यों में विभिन्नता तथा ऐसे उत्पादों के मूल्यों के सुव्यवस्थीकरण हेतु जिनका विपणन विभिन्न निर्माताओं द्वारा किया जाता है, औषध उत्पादों के मूल्यों का पुनरीक्षण किया जाता है ।

गोलचा प्रोपर्टीज लिमिटेड के ऋणदाताओं को अदायगी

1206. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री गोलचा प्रोपर्टीज लिमिटेड के ऋणदाताओं की अदायगी के बारे में 3 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5704 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिसमापक द्वारा गोलचा प्रोपर्टीज लिमिटेड के उन सभी प्रतिष्ठानों जिनका परिसमापन हो गया है, से प्राप्त आय के संबन्ध में इस बीच सूचना एकत्र कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इसका सार क्या है ;

(ग) क्या ऋणदाताओं को एक ऐसी योजना जिसे ऋणदाताओं के संघ ने अनेक बार अस्वीकार कर दिया है, के अन्तर्गत अदायगी करने की मालिकों को अनुमति देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो एक ऐसी योजना जो ऋणदाताओं की आशायें पूरी नहीं करती, को क्रियान्वित करने के क्या कारण हैं और ऋणदाताओं के ऋणों को अदा करने हेतु सम्पत्ति का निबटान करने के लिये कदम क्यों नहीं उठाये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या भुगतान की कुछ और किस्तों पर सरकार विचार कर रही है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) दिनांक 3 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5704 की बाबत दिये गये आश्वासन को पूर्ण करने वाला विवरण-पत्र पहले ही 15-6-73 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(ग) तथा (घ) इस परिसमापित कम्पनी के कुछ अभिकर्ताओं द्वारा राजस्थान उच्च-न्यायालय में, एक समझौता व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की गई है, जिसका कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 394क के अन्तर्गत एक नोटिस, प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर को भेजा गया है, एवं यह योजना परोक्षन्तर्गत है । न्यायालय के समक्ष इस विषय की याचिका की सुनवाई 30–11–73 को निश्चित की गई है ।

(ङ) सरकारी समापक द्वारा लाभांशों के पुनः वितरण के विषय का, न्यायालय द्वारा निर्णय करना है ।

'सागर सम्राट' और बम्बई पत्तन के बीच माल तथा यात्री लाने-ले जाने के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का अमरीकी फर्म के साथ करार

1207. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आफशोर इन्टरनेशनल (यू० एस० ए०) नामक एक अमरीकी फर्म के साथ 'सागर सम्राट' जहाज तथा बम्बई पत्तन के बीच माल तथा यात्री लाने-ले जाने के लिए एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं और अब तक कितनी राशि अदा की गई है और 'सागर सम्राट' के देर से आने के कारण काम न होने के लिये इसमें से कितनी राशि दी गयी; और

(ग) इस करार के औचित्य क्या थे और आवश्यक नौकाएं देश में बनाने के लिये अब तक क्या क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। परन्तु इस कार्य के लिये ओ० एन० जी० सी० ने एक अमरीकी कम्पनी मैसर्स आर्थर लेबी से दो सप्लाई जलयान और यू०के० की एक फर्म मैसर्स आफशोर सप्लाई ऐसोसिएशन से एक क्रू-व-उपयोगिता नाव मोड़ पर भी है ।

(ख) भाड़े की मुख्य शर्तें हैं :--

1. दो सप्लाई जलयानों के लिये :—

(1) 1200 यू० एस० डालर प्रतिदिन प्रति जलयान इसमें से 20 प्र० अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में दिया जायेगा ।

(2) प्रति नाव 91625 अमरीकी डालर की दर से सैन्य संघठन चार्ज, पूर्ण रूप से विदेशी मुद्रा में देय ।

2. एक क्रू-व-उपयोगिता नाव के लिये :

1. 5300 फ्रेन्च फ्रैंक प्रतिदिन पूर्णतः विदेशी मुद्रा में देय ।

2. सैन्य संघठन चार्ज 20,000 फ्रेंच फ्रैंक के दर से ।

दो सप्लाई जलयानों का ओ० एन० जी० सी० द्वारा 17 दिसम्बर, 1972 को चार्ज लिया गया । क्रु-व-उपयोगता नाव 31, मई 1973 को बम्बई पहुंची थी। इन तिथियों से लेकर 10 अक्तूबर, 1973

तक उपरोक्त दरों पर अमरीकी फर्म को 898450 डालर की धनराशि (जो 65.40 लाख रुपये के लगभग बराबर है) और यू०के० फर्म को 724,900 फ्रैंच फ्रैंक की धनराशि (जो लगभग 9.79 लाख रुपये के बराबर है) दी गई।

व्यधन प्लैटफार्म "सागर सम्राट" 25 मई, 1973 के बाम्बे हाई के परिचालन क्षेत्र में 11-2-1 स्थल पर पहुंचा। 17 दिसम्बर, 1972 से 24 मई, 1973 तक की अवधि के लिये ओ० एन० जी० सी० ने मैसर्स आर्थर लेबी को दो जलयानों के लिये 183250 अमरीकी डालर (जो 13.34 लाख रुपयों के बराबर है) सैन्य संघठन चार्ज ; और

(2) 381600 अमरीकी डालर (जो 27.78 लाख रुपयों के बराबर है) भाड़ा दिया। इस अवधि के लिये अमरीकी कम्पनी को दिये गये चार्टर भाड़े को सागर सम्राट के निर्माताओं से इसके देर से आने के कारण प्राप्त निर्धारित क्षति से प्रति पूर्ति हुई।

(ग) भारत में भाड़े पर या शीघ्र क्रय के लिये कोई उचित सप्लाई जलयान या क्रू-व-उपयोगता नाव उपलब्ध नहीं थी। पर अब मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० विशाखापटनम को दो सप्लाई जलयानों के निर्माण तथा सप्लाई के लिये आर्डर दिया गया है।

बाढ़ से प्रभावित राज्यों को केन्द्र द्वारा अनाज का आबंटन

1208. **श्री मति भार्गवी तनकप्पन : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में राज्यवार बाढ़ की क्या स्थिति रही ;

(ख) विभिन्न राज्यों को राहत कार्यों के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों को इस प्रयोजन के लिए कितने अनाज का आवंटन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1973 की मानसून के दौरान बाढ़ से हुई क्षति का विवरण 12 नवम्बर, 1973 को सभा पटल पर रखा गया था।

(ख) 1973-74 के दौरान अब तक राज्यों को बाढ़ राहत कार्य के लिए केन्द्र द्वारा सहायता के रूप में दी गई राशि निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये)
1	2	3
1.	गुजरात .	50.00
2.	जम्मू व कश्मीर .	50.00
3.	केरल . .	25.00
4.	उड़ीसा . .	300.00
5.	राजस्थान	500.00
6.	त्रिपुरा .	100.00
7.	पश्चिम बंगाल	200.00

(ग) बाढ़ से प्रभावित राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समग्र जायज आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जून से अक्तूबर, 1973 तक केन्द्रीय भंडार से अनाज के आवंटन की निम्नलिखित व्यवस्था की गई :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	मात्रा (मीट्रिक टनों में)
1	2	3
1.	असम	70000
2.	बिहार	230000
3.	गुजरात	394000
4.	जम्मू और कश्मीर	82500
5.	केरल	400000
6.	मध्य प्रदेश	90000
7.	उड़ीसा	65000
8.	पंजाब	55000
9.	उत्तर प्रदेश	185000
10.	पश्चिम बंगाल	723500
11.	त्रिपुरा	31500
12.	राजस्थान	320000

बड़ौदा में फ्रेंच कूप जल पम्पिंग प्रणाली के खराब हो जाने के बारे में जांच

1210. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1973 में महीसागर नदी पर बड़ोदा की 2 करोड़ रुपये लागत की फ्रेंच कूप जल पम्पिंग प्रणाली के इस्पात और सीमेंट के कंक्रीट गार्डर के पूरी तरह से गिर जाने के बारे में जांच करने के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकारों से अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) गजरात सरकार ने सूचना दी है कि बड़ौदा नगर निगम ने पुल के टूटने की जांच करने के लिए स्वयं ही एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है ।

पश्चिम बंगाल के प्लास्टिक उद्योग में संकट

1211. **श्री माधुर्य्य हालदार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के प्लास्टिक उद्योग के संकट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) इस संकट के क्या कारण है ; और

(ग) सरकार ने इस संबन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पश्चिम बंगाल में स्थित कुछ एककों सहित, लघु पैमाने के कई एककों से थर्मो-प्लास्टिक की कमी के संबन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि के मुकाबले प्लास्टिक प्रक्रम क्षमता का विशेषतः लघु पैमाने में काफी अधिक प्रगति से विस्तार हुआ है ।

(ग) कमी को दूर करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) राज्य व्यापार निगम को तीन प्रमुख थर्मो-प्लास्टिक हाई डेन्सिटी पोलीएथीलिन लो डेन्सिटी पोलीएथीलिन और पोलीथिलीन क्लोराइड (पी० वी० सी०) प्रत्येक के 5000 मीटरी टन के आयात का अधिकार दिया गया है। यद्यपि समस्त विश्व में थर्मो-प्लास्टिक की कमी है, राज्य व्यापार निगम ने अब तक 7000 मीटरी टन से अधिक थर्मो-प्लास्टिकों का आयात किया है ।

(2) 208 प्रतिशत की पहली सतह से, पालीएथीलिन व पी० वी० सी० पर आयात कर लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 138 प्रतिशत तक घटाया गया है । इससे उपभोक्ताओं के लिये आयातित माल का उपभोग करना भी संभव होगा।

(3) उपरोक्त (1) में बताये गये आयातित कच्चे माल की लघु पैमाने में नये एककों की पात्रता स्थापित मशीनरी के मूल्य के 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है और इसकी अधिकतम सीमा जो पहले 75000 रुपये थी एक लाख रुपये है । इससे नये एककों के लिये आयातित माल की अधिक मात्रा का प्रयोग करना संभव होगा।

आणविक बिजली घरों से क्षेत्रीय ग्रिडों को बिजली देने की व्यवस्था

1212. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी भावी आणविक बिजली घरों से राज्यों को बिजली देने की अपेक्षा क्षेत्रीय ग्रिडों को बिजली दी जाएगी और यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ख) क्या इस बारे में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का परामर्श लिया गया है और यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में सभी भावी परमाणु विद्युत केन्द्रों से विद्युत के बंटवारे के सामान्य सिद्धान्तों की सभी संबन्धित प्राधिकरणों से परामर्श करके जांच की जा रही है ।

गुजरात में कास्टिक सोडा बनाने हेतु आशय-पत्र जारी करना

1213. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कास्टिक सोडा बनाने के लिये नये कारखाने स्थापित करने हेतु आशय-पत्र जारी करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन कारखानों के नाम क्या है और उन संयंत्रों की क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) गुजरात राज्य में नये उपक्रमों की स्थापना के लिए मैसर्स बड़ौदा रेयन कारपोरेशन लि० बम्बई तथा मैसर्स सौराष्ट्र सीमेंट एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज लि० बम्बई को प्रत्येक के लिए प्रतिवर्ष 33,000 मीटरी टन क्षमता के लिए 12 अप्रेल, 1973 को आशयपत्र जारी किये गये थे। योजना को कार्यन्वित न करने के कम्पनी के निर्णय को मध्यनजर रखते हुए 20 अक्तूबर, 1973 को सौराष्ट्र सीमेंन्ट एण्ड कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि० को जारी किया गया आशयपत्र रद्द कर दिया गया।

पांचवीं योजना में निष्पादन हेतु उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाएं

1214. **श्री अर्जुज सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निष्पादन हेतु अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं विशेषकर केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ग) क्या भीमकुण्ड बांध परियोजना उनमें से एक है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पांचवीं योजना के कार्यक्रमो को योजना आयोग द्वारा अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

उड़ीसा सरकार ने अपने प्रस्तावों में संतत सिंचाई स्कीमों (महानदी डेल्टा, सालन्दी, आनन्दपुर बराज और 17 मध्यम स्कीमों) पर लगभग 44 करोड़ रुपये और निम्नलिखित नई सिंचाई स्कीमों पर लगभग 22 करोड़ रुपये के परिव्यय परिकल्पित किए हैं :—

बहुत	रंगाली
मध्यम	रमियाला
	खदकेई
	रेमल
	सुनयी
	रमानदी चरण-एक
	दाहा
	औनली
	नेसा
	पिलासालकी
	दुमेरबेहले
	नोरला

सिंचाई राज्य का विषय है और केन्द्र ने कोई भी वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजना प्रायोजित नहीं की है।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार, प्रक्रिया आयोग का कार्यकरण

1215. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की उसकी स्थापना से अब तक उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) क्या इसके सदस्यों में असंतोष है तथा नए अध्यक्ष से मतभेद के कारण अधिकतर सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का इसे समाप्त करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) आयोग अगस्त, 1970 में स्थापित किया गया था और 31 अक्टूबर, 1973 तक अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत उसकी जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 40 मामले संदर्भित किये गये थे। इनमें से आयोग ने, 26 मामलों के विषय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 5 मामले आवेदक-कम्पनी द्वारा वापिस ले लिये गये थे। धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत दो कम्पनियों का मामला निरस्त कर दिया गया और एक आवेदन-पत्र को अस्वीकृत कर दिया गया। 6 मामले अनिर्णित थे।

सरकार ने धारा 31 के अन्तर्गत आयोग को एक मामला और भी संदर्भित किया है और जांच दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक दी गई है।

आयोग ने, 18 निर्बंधनकारी व्यापार प्रथाओं के मामलों के संबंध में, जांच निदेशक द्वारा सम्पन्न प्राथमिक जांच पर कार्य किया और निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा के दूसरे 13 मामले धारा 1 के अन्तंगत नियमित जांच हेतु आयोग को और संदर्भित किये गये।

(ख) नये अध्यक्ष ने 23 जुलाई 1973 को कार्यभार ग्रहण किया। सदस्यों में से एक ने स्वास्थ्य के आधार पर अक्तूबर 1973 में त्याग पत्र दे दिया। यह सत्य नहीं है कि आयोग के सदस्यों में असंतोष है या अधिकथा उसके सदस्यों में किसी ने नये अध्यक्ष के सांथ मत भेद के कारण त्याग पत्र दिया है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

(घ) नहीं।

कोटा के जे० के० सिंथेटिक्स को नाइलोन स्टेपल फाइबर बनाने के लिए लाइसेंस देना

1216. **श्री मधु लिमये :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कोटा के जे० के० सिंथेटिक्स को नाइलोन स्टेपल फाइवर बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) क्या जे० के० बन्धुओं ने वास्तव में 'पोलिस्टर स्टेपल फाइवर यार्न' के लिये मशीनों का आयात किया ;

(ग) यदि हां, तो वास्तविक लाइसेंसों और परमिटों का उल्लंघन करके इस आयात की अनुमति देने के लिये कौन से अधिकारी उत्तरदायी थे; और

(घ) क्या इस उल्लंघन के लिये संबंधित अधिकारियों और कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1967 में घोषित उदार लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत जिसमें कुल क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा तक नये पदों के विविधिकरण की अनुज्ञा दी गई है, नायलोन स्टैपल फाइबर उपकरण, के लिए विदेशी मुद्रा की पूर्व अनुमति के साथ पोलीएस्टर स्टैपल फाइबर के उत्पादन के संबंध में फर्म को अविशेष उपकरणों का आयात करने की अनुमति दी गई थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Vidhan Sabha Elections in U. P.

1217. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether arrangements for Vidhan Sabha Elections in U. P. have been made or are being made; and

(b) the total number of employees required for the said Elections and the expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs. (Shri Nitiarj Singh Chaudhary) : (a) Arrangements are being made for Vidhan Sabha Elections in Uttar Pradesh to be held in 1974.

(b) No definite figure can be given at this stage either of the number of persons to be engaged or of the expenditure to be incurred.

पेट्रोल पम्पों तथा सर्विस स्टेशनों के संचालन हेतु बेरोजगार इंजीनियरों तथा विज्ञान स्नातकों की सोसाइटी

1218. श्री ई० बी० विखे पाटिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्विस स्टेशनों तथा पैट्रोल पंपों के संचालन हेतु बेरोजगार इंजीनियरों तथा विज्ञान स्नातकों की कोई सोसाइटी संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बनी है, यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन है तथा कृत्य क्या क्या है ;

(ख) क्या ऐसी सोसाइटी को सरकार ने कोई अनुदान दिया है, यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि दी गई है ; और

(ग) सोसाइटी के पदाधिकारी कौन कौन है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के पालामऊ जिले में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

1219. कुमारी कमला कुमारी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के पालामऊ जिले में उर्वरक उद्योग आरम्भ करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Loan from Canada for research and development of Oil and Gas

1220. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals be** pleased to state :

(a) whether India has taken a loan of about Rs. 4 crores from Canada for research and development work in the field of oil and gas; and

(b) if so, the terms of repayment of the loan ?

The Minister of state in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The Government of India have signed an Agreement on October 4, 1973, with the Government of Canada, providing for the development loan of an additional 6 million Canadian Dollars. The loan is for the purchase in Canada of certain equipment, materials and services relating to Oil and Gas exploration and development.

(b) The loan is repayable in 50 years, including a grace period of 10 years, and carries no interest, commitment or service charges.

नैशनल रेयन कारपोरेशन पर कपाड़िया बंधुओं का नियंत्रण

1221. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या विधि, न्याय और **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 अगस्त, 1973 के 'ब्लिटज' में "1 परसेंट शेयर बट 100 परसेंट कंट्रोल आफ नैशनल रेयन" (नैशनल रेयन में 1 प्रतिशत शेयर परन्तु 100 प्रतिशत नियंत्रण शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कम्पनी के कार्यों की जांच करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह ?

विधि, न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) कम्पनी अधिनियम की धारा 209 (4) के अन्तर्गत, लेखा-बहियों का निरीक्षण पहले ही कर लिया गया है। कम्पनी अधिनियम की धारा 408 (1) के अन्तर्गत आदेश पारित करते हुए, नैशनल रेयर कारपोरेशन के निदेशक मंडल में, 30 जून, 1973 से, एक वर्ष की अवधि के लिये दो निदेशकों की नियुक्ति करते समय, कम्पनी विधि बोर्ड ने अन्य बातों के साथ निरीक्षण के मध्य प्रकाश में आई अनियमितताओं को भी ध्यान में रखा है।

एकाधिकार गृहों की आस्तियां और नाम

1222. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या विधी, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में प्रत्येक एकाधिकार गृह के पास कुल कितनी औद्योगिक आस्तियां थी ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके पास कुल कितनी भूमि थी ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अपने उद्योगों से उन्होंने कितना सकल तथा शुद्ध लाभ कमाया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) सरकार द्वारा फरवरी 1973 में घोषित, संशोधित औद्योगिक लाइसेंस निति के अनुसार, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत वह उपक्रम, जो स्वयं अथवा अपने अन्तः संबंधित उपक्रमों सहित, 20 करोड़ रुपयों से कम नहीं, को परिसम्पतियों युक्त हों, वृहत औद्योगिक गृह समझे जाते हैं इन उपक्रमों की 1971 के वर्ष की समूकन अनुसार कुल परिसम्पत्तियों की बाबत सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी जा रही है [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5747/73] उपक्रमों को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार, प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत विहित प्रपत्रों में अपनी परिसम्पतियों में वार्षिक परिवर्तनों, उनके स्वामित्व वाली भूमि का क्षेत्रफल, तथा उनके उद्योगों द्वारा कमाये गये सकल तथा शुद्ध लाभों की बाबत सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

उर्वरक संयंत्र के लिए जापान से येन का ऋण

1223. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कोई ऐसे भी संकेत मिले हैं कि जापान सरकार उर्वरक संयंत्रो की स्थापना के लिए येन का ऋण देने में अब अनिच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Passenger Guide Centre at New Delhi Station

1224. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any Passenger Guide Center has been set up at New Delhi Station ; and

(b) the objects of the Centre and the annual expenditure incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) Does not arise.

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा आसाम के चाय-बागानों को उर्वरकों का वितरण

1225. **श्री एम० कतामुतु : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम आसाम के चाय बागानों को उर्वरकों का वितरण करने के लिये पूर्णतया उत्तरदायी है ;

(ख) क्या चाय बोर्ड ने तीन बड़े औद्योगिक गृहों-मेंसर्ज रेलीस इंडीया, शाँ बैलेस तथा जारडीन डैन्टरसन को आयातित यूरिया के रूप में 6000 टन आयातित यूरिया वितरित करने हेतु अपने एजेन्ट नियुक्त किये हैं ;

(ग) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने इसका विरोध किया है और चाय बोर्ड से आग्रह किया है कि वह अपना निर्णय बदल दें; और

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पल प्रस्तुत किया जाएगा।

38 LSS/73—5

पेट्रोलियम के उत्पादों की मांग और सप्लाई की स्थिति

1226. **श्री मुख्यितार सिंह मलिक :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में पैट्रोलियम की मांग और सप्लाई की अनुमानित स्थिति क्या है ; और

(ख) देश के सरकारी क्षेत्र के भिन्न-भिन्न तेल शोधक कारखानों और विदेशी स्वामित्व वाले तेलशोधक कारखानों का इस समय उत्पाद-वार/उत्पादन स्तर क्या है और पांचवी योजना अवधि के अन्त तक कितना होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : 1978-79 तक पांचवी योजना की अवधि के लिए प्रायोजित मांग एंव देशीय शोधन क्षमता आदि के प्रस्ताव के मसौदे पर इस समय योजना आयोग में विचार हो रहा है। इन प्रस्तावों पर पांचवी योजना के अन्य प्रस्ताव के साथ अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। देश में अलग से शोधन शालाओं पर उत्पादन के बारे में उत्पादन की सूचना देना जनहित में नहीं समझा गया है।

आगामी पांच वर्षों के दौरान नये उर्वरक संयंत्र

1227 **श्री मुख्तियार सिंह मालिक : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : आगामी पांच वर्षों के दौरान सप्लाई में वृद्धि करने हेतु 'नाइट्रोजीनस' और 'फास्फेट' के कितने नये संयंत्र स्थापित किये जायेंगें तथा उन की क्षमता और उत्पाद-लक्ष्य (प्रोडक्ट-एन्डज) क्या होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में 5 उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :--

स्थल	मिलियन मीटरी टनों में क्षमता (अन्तरिम)	
मथुरा	एन	पी ओ 2 5
मथुरा .	0.225	--
पानीपत .	0.225	—
भटिन्डा .	0.225	--
पैरादीप . .	0.345	0.300
ट्राम्बे	0.345	0.305

इसके अतिरिक्त गैर सरकारी क्षेत्र में कुछ संयंत्रों की स्थापना की सम्भावना है जिसके लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

गुजरात के राजकोट, जूनागढ़ और जामनगर जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण

1228. श्री अरविन्द एम० पटल :
श्री वेकारिया :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1972-73 में गुजरात के राजकोट, जूनागढ़ और जामनगर जिलों में कुल कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई;

(ख) वर्ष 1973-74 में कितने गांवों में बिजली पहुचाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिध्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): 1972-73 वर्ष के दौरान गुजरात के राजकोट, जूनागढ़ और जामनगर जिलों में विद्युतीकृत ग्रामों और 1973-74 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने वाले प्रस्तावित ग्रामों की संख्या नीचे दी जाती हैं :–

	1972-73	1973-74
राजकोट	30	18
जूनागढ़	54	21
जामनगर	30	23

(ग) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण में कृषि एक मुख्य उद्देश्य है। ग्रामों का चयन करते समय वर्तमान वितरण लाइनों को निकटता और पर्याप्त जल शक्यता के साथ बड़ी संख्या में कुओं को उपलभ्यता के तथ्यों पर भी विचार किया जाता है। ग्रामों के विद्युतीकरण के हेतु कार्यक्रम तैयार करने के लिए संबंधित क्षेत्र के जिले तथा स्वायत्त शासन प्राधिकारियों को भी सम्बद्ध किया जाता है।

वेतन आयोग के प्रतिवेदन से उत्पन्न असंगतियों को दुरुस्त करना

1229. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग के प्रतिवेदन से उत्पन्न असंगतियों को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर के दुरुस्त कर दिया गया हैं,

(ख) क्या इन सभी असंगतियों पर विचार करने हेतु जे० सी० एम० को विभागीय परिषद् की एक छोटी समिति गठित की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) से (ग) तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट पर कर्मचारी पक्ष के प्रतिनिधियों के साथ हाल में जिन बातों पर विचार-विमर्श किया गया था उनमें असंगतियों का विषय भी शामिल था । इस विचार-विमर्श के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया था कि असंगतियां किस प्रकार को हो सकती हैं और सामान्य

आदेश जारी करके उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे। तथापि, यदि आयोग की किसी सिफ़ारिश पर सरकार के निर्णय को लागू करते समय वास्तविक असंगति का कोई विशेष मामला सामने लाया जायेगा तो यथासम्भव उसे दूर करने के लिए सभी सम्भव कार्रवाई की जायेगी। इस स्थिति को देखते हुए, इस सम्बन्ध में अभी विभागीय परिषद की समिति का गठन नहीं किया गया है ।

भीमकुण्ड बांध परियोजना

1230. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार के द्वारा, भीमकुण्ड बांध परियोजना से संबंधित आवश्यक कागजात स्थल के प्रश्न पर निर्णय किए जाने के लिए, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बांध के लिए केन्द्रीय दल का, जिसने दो भिन्न स्थलों का दौरा किया था, अन्तिम निर्णय क्या है; और

(ग) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लागू किये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन को केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा शीघ्र स्वीकार कर लिया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) केन्द्रीय दल को प्रस्तावित भोमकुंड बांध के वैकल्पिक स्थलों पर अपेक्षित आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं । उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार हो जाने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दल की टिप्पणियों के आधार पर दिया जाना है। उसके उपरांत, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में इसको विस्तार से जांच करनी होगी तथा योजना आयोग को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा इस पर विचार किया जाएगा। तकनीकी सलाहकार समिति को सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, इस परियोजना को योजना में सम्मिलित करने हेतु योजना आयोग को विचार करना होगा ।

भुवनेश्वर में रेलवे सेवा आयोग

1231. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनता के लाभ के लिये मुजफ्फरपुर में स्थित रेलवे सेवा आयोग की भांति भुवनेश्वर में भी रेलवे सेवा आयोग की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) सरकार ने रेल सेवा आयोग को क्षेत्रीय आधार पर स्थापित किये जाने के प्रस्ताव की जांच की है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सर्वोत्तम हल यही होगा कि प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे के लिए भर्ती की एक ही एजेन्सी हो। ये रेल सेवा आयोग उन स्थानों पर स्थित होंगे जहां वे सम्बन्धित रेल प्रशासनों की सर्वोत्तम सेवा कर पायेंगे ।

उड़ीसा में पारादीप पर उर्वरक यूनिट का चालू किया जाना

1232. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पारादीप में उर्वरक एकक को शीघ्र चालू किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) प्रस्तावित एकक के विभिन्न चरणों को पूरा किये जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (ख) पारादीप पर एक उर्वरक कारखाने की स्थापना हेतु भारतीय उर्वरक निगम द्वारा एक तकनीकी-आर्थिक समभाव्य रिपोर्ट तैयार की गई है। स्वीकृति मिलने के बाद इस प्रायोजना को 36 माह बाद पूर्ण होने की आशा है।

रेल के द्वारा ढोये जाने वाले माल से होने वाली आय में कमी

1233. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले माल से होने वाली आय में गत तीन वर्षों के दौरान काफी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां। पिछले तीन महीने में रेलों द्वारा ढोये गये राजस्व उपार्जक माल यातायात में निरन्तर गिरावट का रुख रहा; अगस्त 1973 को समाप्त होने वाले तीन महीने में, जब तक के लेखे बन्द कर दिये गये हैं। माल यातायात से प्राप्त राजस्व बजट के पूर्वानुमानों की तुलना में 17.26 करोड़ रुपये कम रहा ।

(ख) मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) बिजली की भारी कमी के कारण, जिसका प्रभाव हाल के महीनों में उत्पादन पर पड़ा और औद्योगिक गतिविधियों में सामान्य शिथिलता आने के कारण माल डिब्बों की मांग पिछले वर्ष की तुलना में कम रही ।

(ii) पिछले तीन महीनों में विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा से खाद्यान्नों का लदान कम रहा ।

(iii) अगस्त में लोको कर्मचारियों तथा सवारी और माल डिब्बा कर्मचारियों की हड़ताल जैसे अनेक कारणों से रेल यातायात में भारी रुकावटें पड़ीं। बाद में सितम्बर में देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में रेल कर्मचारियों तथा जनता के बहुत से आन्दोलन हुए जिनका दुष्प्रभाव रेलों द्वारा लदान और ढोये जाने वाले यातायात पर पड़ा। कोयला-खानों के श्रमिकों द्वारा अधिक संख्या में छुट्टियां मनाने और पूर्व रेलवे के धनबाद क्षेत्र में लोको अनुरक्षण कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण भी बंगाल और बिहार के कोयला-क्षेत्रों में कोयले के लदान पर दुष्प्रभाव पड़ा।

(ग) (i) औद्योगिक कार्यकलाप में सुधार के लिये अपेक्षित माल डिब्बों की मांग को पूरा करने हेतु रेलें पूर्णतया गतिशील हैं बशर्ते असामान्य स्थितियां रेल संचालन को प्रभावित न करें।

(ii) यातायात की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त माल डिब्बों के आर्डर भी किये जा रहे हैं।

(iii) हड़तालों और आन्दोलनों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न कर्मचारी यूनियनों का निरन्तर सहयोग लिया जा रहा है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की शाखा लाइनों को यात्री गाड़ियों का अक्तूबर, 1973 में रद्द किया जाना

1234. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे की शाखा लाइनों की बहुत सी यात्री गाड़ियों को अक्तूबर, 1973 में रद्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी गाड़ियां रद्द की गईं; और

(ग) इसके क्या कारण थे और उक्त गाड़ियों को रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप आय की कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 18-10-73 से प्रतिदिन यात्री ढोने वाली 25 गाड़ियां और 29-10-73 से 22 और गाड़ियां रद्द की गयीं।

(ग) इंजन के कोयले की कमी के कारण ये गाड़ियां रद्द करनी पड़ीं। 5.84 लाख रुपये की हानि हुई।

चौथी योजना में सम्मिलित की गई सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं

1235. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि के दौरान कौन-कौन सी विभिन्न सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए प्राथमिकता दी जानी थी, इस प्रयोजन हेतु कितना आवंटन किया गया, कितनी परियोजनाओं का कार्य वास्तव में निष्पादन हेतु आरंभ किया गया और योजना अवधि के प्रथम 4 वर्षों में कितनी राशि व्यय की गई ;

(ख) अन्य परियोजनाओं को, यदि कोई हैं, तो आरंभ न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) जिन परियोजनाओं के कार्य में पहले से ही विलम्ब हो गया है उनके निष्पादन के लिए कितनी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क और (ख) : जारी स्कीमों के अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने अनेक नई स्कीमें चौथी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव किया था। इन नई स्कीमों में से केवल वे स्कीमें शुरू की गईं थीं जो तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य थीं तथा जिनके क्रियान्वयन के लिए संसाधन उपलब्ध थे।

वृहत् और मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए चौथी योजना में 951 करोड़ रुपये का प्रावधान था। योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों में 909 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे । 18 बृहत् तथा 59 मध्यम नई सिंचाई स्कीमों पर कार्य आरंभ कर दिया गया था ।

विद्युत् क्षेत्र में, विद्युत् उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के निमित्त चौथी योजना में 2447.57 करोड़ रुपये का परिव्यय था । योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों में 2246 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे । 0.9 मिलियन कि० वा० क्षमता की व्यवस्था करने के लिए नई विद्युत् उत्पादन स्कीमों पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया था ।

(ग) वृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने के लिए चौथी योजना के बाद लगभग 1700 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी । अब तक शुरू की गई विद्युत् परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए पांचवीं योजना के उपरांत लगभग 1250 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी ।

पठानकोट-जोगिन्दर नगर लाइन का पुनः चलाया जाना

1236. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पौंग बांध में पानी का स्तर बढ़ने के कारण आवश्यक मार्ग परिवर्तन कार्य को पूरा होने के बाद पठानकोट-जोगिन्दर नगर लाइन को यातायात के लिये किस तिथि तक पुनः चालू किये जाने की सम्भावना है;

(ख) इस लाइन के बन्द होने से जनता को हुई असुविधा को दूर करने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं; और

(ग) क्या गुलेर ज्वालामुखी सड़क और जोगिन्दर-नगर के बीच यदि आवश्यक हो तो इस सेक्शन पर डीजल इंजन लगाकर नियमित रेलगाड़ी सेवा प्रदान किये जाने की सम्भावनाओं पर सरकार विचार करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) परिवर्तित मार्ग 30-6-1975 तक तैयार हो जाने की आशा है और तब पठानकोट-जोगिन्दर नगर लाइन फिर से खोल दी जायेगी ।

(ख) पठानकोट और जवांवाला शहर के बीच 2 जोड़ी सवारी गाड़ियां चलती हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त हैं । पठानकोट और जवांवाला शहर को 13-6-1973 से इस खंड पर माल यातायात के लिए भी खोला जा चुका है । इस क्षेत्र की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1-4-1973 से कांगड़ा, नगरौटा, पालमपुर, बैजनाथ पपरोला और जोगिन्दरनगर में आउट-एजेंसियां खोली जा चुकी हैं ।

(ग) जी नहीं ।

बख्तियारपुर राजगीर लाइन का बढ़ाया जाना

1237. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित की गई अलाभप्रद शाखा लाइनों सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की है कि बख्तियारपुर-राजगीर (253 किलोमीटर लम्बी ब्राडगेज) रेलवे लाइन को गया-किऊल लाइन पर नवादा जैसे किसी उपयुक्त स्थान तक बढ़ाया जाए जिसमें भीड़-भाड़ वाली पटना-गया लाइन को

वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया जा सके तथा पटना के रास्ते से पड़ने वाले फेर को कम किया जाये तथा इसलिए भी कि लाइन को बढ़ाये जाने से वर्तमान बख्तियारपुर-राजगीर लाइन लाभप्रद हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) और (ख) जी हां । सरकार द्वारा स्थापित अलाभप्रद शाखा लाइन सम्बन्धी समिति ने बख्तियारपुर-राजगीर लाइन को नवादा तक बढ़ाने की सिफारिश की है (जो कि पूर्व रेलवे में गया-किऊल खंड पर एक स्टेशन है) । अन्य कई लाइनों के लिए समिति ने जो इसी प्रकार की सिफारिशें की हैं, उनमें से बारह लाइनों के विस्तार के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है । इन 12 लाइनों की सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच होने और उसके परिणामों का पता लगने के बाद समिति द्वारा की गयी बाकी सिफारिशों पर विचार किया जायेगा जिसमें बख्तियारपुर-राजगीर लाइन का नवादा तक विस्तार भी शामिल है ।

रेलवे में परिवीक्षाधीन तथा सेवारत अधिकारियों के लिए 'ह्यूमन इंजीनियरिंग' को एक विषय के रूप में आरम्भ किया जाना

1238. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा स्थापित किये गये रेलवे सम्बन्धी अध्ययन दल ने परिवीक्षाधीन तथा सेवारत अधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान ह्यमन इंजीनियरिंग को विशेष विषय आरम्भ किये जाने तथा रक्षा विभाग में विद्यमान व्यवस्था के अनुरूप पदोन्नति परीक्षाएँ और पुनश्चर्या पाठयक्रम आरम्भ करके सामान्यतः प्रशिक्षण सुविधाएँ करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा क्रियान्वित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किस तिथि अथवा तिथियों को निर्णय किये थे तथा इन्हें क्रियान्वित किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इन प्रस्तावों को स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं और क्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट के कलेवर में इस बारे में मत व्यक्त किये हैं ।

(ख) से (घ) सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि रेल पर अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के मौजूदा प्रबन्ध साधारणतः पर्याप्त हैं । रेल दुर्घटना जांच समिति 1968 ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया था ।

फिर भी, सरकारी नीति यह है कि प्रशिक्षण प्रबन्धों की आवधिक समीक्षा की जाये, ताकि प्रशिक्षण सुविधाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा सके और प्राविधि में होने वाली प्रगति और पद्धतियों के आधुनिकीकरण के साथ कदम मिला कर चला जा सके ।

रेलवे की नियतकालिक समीक्षा के लिये परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

1239. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्धी समिति ने अपने अंतिम प्रतिवेदनों में रेलों को एक उद्यम मानकर तथा शाखा लाइनों के वित्तीय कार्यकरण और परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं और

उन क्षेत्रों की योजनाओं, जिनके द्वारा इन लाइनों का उपयोग किया जाता है, की देश के व्यापक आर्थिक हितों के लिये नियतकालिक समीक्षा की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की नवीनतम समीक्षा किये जाने के लिये स्पष्ट रूप से कोई निश्चित अवधि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : (क) परिवहन नीति एवं समन्वय समिति की अन्तिम रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष एवं सिफारिशों के अध्याय IV के पैरा 2 से 5 में उल्लिखित सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं ।

(ख) 1967 में की गयी समीक्षा के परिणाम से पता चला था कि 14 अलाभप्रद लाइनों के मामले में रेल परिवहन के बदले सड़क परिवहन की व्यवस्था की जा सकती है । इस मामले में जब सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखा गया, तो उन्होंने इन लाइनों को बन्द किये जाने का विरोध किया। बाद में 1969-70 के रेलवे बजट पर बहस के दौरान तत्कालीन रेल मंत्री ने संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों की इच्छा का आदर करते हुए यह घोषणा की कि कोई भी अलाभप्रद लाइन बन्द नहीं की जायगी । इन परिस्थितियों में इस तरह की कोई नयी समीक्षा शुरू नहीं की गयी है ।

विवरण

(2) परिवहन प्रणाली के विकास को देखते हुए समय-समय पर यह समीक्षा करना आवश्यक है कि प्रत्येक शाखा लाइन अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को किस सीमा तक पूरा कर रही है और उसके आर्थिक विकास के लिए किस सीमा तक परिवहन सेवा उपलब्ध करना अपेक्षित है । इस बात के लिए उपयुक्त कसौटी अथवा मापदण्ड निर्धारित करना आवश्यक है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई लाइन बनायी गई है उसे देखते हुए वह अलाभप्रद है कि नहीं और परिवहन के वैकल्पिक साधन की व्यवस्था करने पर कितनी लागत आयेगी ।

(3) यदि इस सीमा तक वैकल्पिक सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है अथवा की जा सकती है कि आर्थिक दृष्टि से अधिक खर्च किये बिना रेलवे से भिन्न अन्य साधनों द्वारा परिवहन की आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है तो उस वर्तमान शाखा लाइन को छोड़ देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए जो अलाभप्रद सिद्ध हो रही है और कोई ऐसा प्रयोजन पूरा नहीं करती जो अन्यथा और कम लागत पर पूरा न हो सकता हो ।

(4) जहां अलाभप्रद लाइनों को बन्द करने के लिए सड़क परिवहन का अत्यधिक विस्तार करना आवश्यक हो, वहां रेलें राज्य सरकारों के परामर्श से इस सम्बन्ध में विचार कर सकती हैं कि क्या वे सड़क परिवहन सेवाओं के विकास में भाग ले सकती हैं अथवा सहयोग दे सकती हैं और यदि हां तो किस रूप में ।

(5) इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक उद्यम के रूप में रेलों के और देश के व्यापक आर्थिक हित में शाखा लाइनों के वित्तीय संचलन और उन लाइनों से सम्बन्धित क्षेत्रों की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं और योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पुनर्गठन

1240. **श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग सम्बन्धी पुनरीक्षण समिति के सुझावों के अनुसार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के ढांचे में मौलिक तथा दूरगामी परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या मुख्य परिवर्तन किये जाने के विचार हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है तथा निकट भविष्य में इस पर अन्तिम निर्णय लेने की आशा है। तब तक इस बारे में ब्यौरे बताना जन हित में नहीं होगा ।

बिजली की मांग को पूरा करने के लिए 'पम्प्ड स्टोरेज' प्रतिष्ठानों की स्थापना

1241. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना अवधि के दौरान देश में पहली बार चार 'पम्प्ड स्टोरेज' प्रतिष्ठान, जिन्हें 'हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर्ज' भी कहा जाता है, स्थापित किये जाएँगे ;

(ख) क्या 'पम्प्ड स्टोरेज' योजनाएं विशेषकर बिजली की सबसे अधिक आवश्यकता के समय बिजली की मांग पूरा करने के लिए बनाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां (ख) जी, हां।

(ग) कार्यान्वियन के लिए स्वीकृत चार स्कीमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) कडाना पम्प संचय स्कीम गुजरात में माही नदी पर है । इसमें 60-60 मैगावाट की चार विद्युत् उत्पादन युनिटों का प्रतिष्ठापन किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत 24.58 करोड़ रुपये है ।

(2) नागार्जुनसागर पम्प संचय स्कीम आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। इसमें 50-50 मेगावाट की क्षमता वाली दो विद्युत उत्पादन यूनिटें प्रतिष्ठापित की जाएँगी और इसकी अनुमानित लागत 9.39 करोड़ रुपये है ।

(3) कदमपराई पम्प संचय स्कीम तमिलनाडु में कदमपराई नदी पर है जो अलियार नदी की एक सहायक नदी है। इसमें 100—100 मैगावाट की चार विद्युत् उत्पादन यूनिटें प्रतिष्ठापित होंगी और इसकी अनुमानित लागत 35.12 करोड़ रुपये है।

(4) पैथम पम्प संचय स्कीम महाराष्ट्र में जयकवाडी सिंचाई परियोजना के पैथन बांध के नीचे है । इसमें 12 मेगावाट की एक यूनिट प्रतिष्ठापित की जाएगी और इसकी अनुमानित लागत 1.89 करोड़ रुपये है ।

गुजरात में तापीय और पन-बिजली परियोजनाओं के लिए विद्युत उपकरणों की सप्लाई

1242. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारी उद्योग मंत्री ने गुजरात राज्य को यह आश्वासन दिया है कि राज्य में तापीय और पन-बिजली परियोजनाओं के लिए विद्युत् उपकरणों की शीघ्र सप्लाई की जाएगी;

(ख) क्या उन्होंने यह प्रश्न भारी उद्योग मंत्री से भी किया था; और

(ग) यदि हां, तो राज्य को उपकरणों की सप्लाई कब तक की जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारी उद्योग मंत्री ने गुजरात के मुख्य मंत्री को सूचित किया है कि गांधीनगर ताप विद्युत् केन्द्र के लिए जनित्रों की सुपुर्दगी केन्डेंसर तथा टर्बाइन की सुपुर्दगी के साथ मेल खाएगी और इससे बिना किसी बाधा के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना सम्भव हो जाएगा ।

ऐसी परियोजनाओं को समय पर चालू करने के ख्याल से, जिनके लिए उपस्कर बी०एच०ई०एल०/एच०ई०आई०एल० द्वारा सप्लाई किये जा रहे हैं, इस मंत्रालय द्वारा बी०एच०ई०एल०/एच०ई०आई०एल० और भारी उद्योग मन्त्रालय के प्रतिनिधियों के साथ सामयिक बैठकें की जाती हैं । परियोजनाओं के लिए उपस्कर की समय पर सुपुर्दगी करने में यदि कोई कठिनाई हो, तो उसे दूर करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं ।

(ग) गुजरात में ताप तथा जल-विद्युत् परियोजनाओं के लिए उपस्कर की सुपुर्दगी तारीखें नीचे दी गई हैं:—

उकई ताप केन्द्र :	
सेट नं० 1	अप्रैल, 1974
सेट नं० 2	अगस्त, 1974
गांधीनगर ताप विद्युत् केन्द्र :	
सेट नं० 1	सितम्बर, 1975
सेट नं० 2	दिसम्बर, 1975
उकई जल-विद्युत केन्द्र :	समस्त उपस्कर तैयार हैं और उसे भेजने के लिए वैगनों की प्रतिक्षा की जा रही है । नवम्बर, 1973 के समाप्त होने से पहले इसे भेज देने की सम्भावना है ।

वाणिज्यिक विभाग के पर्यवेक्षी ढांचे के पदों का दर्जा बढ़ाना

1243. **श्री भोला मांझी :**

श्री राम अवतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री रेलवे में पर्यवेक्षी ढांचे के पदों के बढ़ाये जाने के बारे में 10 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज़ोनल रेलवेज ने इस मामले को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वाणिज्यिक विभाग की स्थिति को प्रत्येक जौनल रेलवे के संचालन विभाग में विद्यमान स्थिति के समान कर दिया गया है;

(ग) प्रत्येक जौनल रेलवे की प्रत्येक डिवीजन में 1 अप्रैल, 1969 और 31 अक्तूबर, 1972 को अलग-अलग संचालन विभाग में वाणिज्यिक विभाग की तुलना में ऊँचे पदों की स्थिति कैसी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और उसे अन्तिम रूप देने में सरकार कितना समय लेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) भाग (ग) में जो सूचना मांगी गयी है वह संलग्न विवरण में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5748/73] विवरण से प्रकट है कि प्रायः ड्यूटी में और काम की मात्रा में अंतर के कारण पदों की संख्या में अंतर है, अर्थात् रेल मुख्यालयों के वाणिज्यिक विभाग में अधिक पद हैं, जबकि मंडलों पर परिचालन विभाग में अधिक पद हैं। पदों के सृजन और ग्रेड-उन्नयन पर इस समय प्रतिबन्ध होने के कारण, पदों की संरचना में कोई परिवर्तन करने के लिए तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने और पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध के हटने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की औषधियों के मूल्यों के संबंध में सिफारिश

1244. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** :

श्री चन्द्रशेखर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भेषज और औषधियों के खुदरा विक्रय मूल्य नियत करने संबंधी आधारों का निर्धारण करने हेतु नियुक्त औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार एवं उन्हें स्वीकार कर लिया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् से "एंगाइज्ड" जैसी कम कीमत वाली तथा जीवन रक्षक कुछ औषधियां, उनमें कम लाभप्रदता के कारण बाजार में अनुपलब्ध हैं;

(ग) क्या कुछ निर्माताओं ने अनुचित लाभ कमाने के लिये भ्रामक कार्यावाहियां प्रारम्भ कर दी हैं; अर्थात "सारबिट्रेट" के 100 गोलियों वाले पैकिंग को समाप्त कर दिया गया है और केवल 20 गोलियों वाला पैकिंग ही उपलब्ध है जिसका मूल्य 70 प्रतिशत अधिक है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच के लिये संसद सदस्यों, विशेषज्ञों और अन्य संबद्ध हितों की एक समिति गठित करने का है और इस बीच इन कदाचारों को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) लागत एवं मूल्य के औद्योगिक ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(ख) राज्य औषध नियंत्रकों से कुछ ने एंगीसैड के कमी की सूचना दी थी। कम्पनी जिनके साथ इस विषय पर बातचीत हो रही थी, द्वारा यह उल्लेख किया गया कि आयातित प्रपुंज औषध को प्राप्त करने में विलम्ब के कारण वे सूत्रयोगों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकें। उन्होंने अक्तूबर में प्रपुंज औषधि को प्राप्त किया तथा नवम्बर, 1973 तक सूत्रयोगों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के बारे में आश्वासन दिया है।

(ग) 100 टेबलेट्स के बड़े प्रपुंज सारबिट्रेट उत्पादों के अनु-उपलब्धता के संबंध में सरकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(घ) संसद सदस्यों, विशेषज्ञों आदि के नियुक्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। कदाचारों की कोई रिपोर्ट/शिकायत पर उपयुक्त समय में विचार होगा।

आल इण्डिया रेलवे एम्पलाइज कनफैडरेशन द्वारा हड़ताल का नोटिस

1245. **श्री मोहन राज :**

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेलवे एम्पलाइज कनफैडरेशन से हड़ताल संबंधी कोई नोटिस प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो फैडरेशन की मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इन महासंघ से हड़ताल का कोई नोटिस नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स, त्रावनकोर की उद्योग मंडल परियोजना के चौथे चरण का विस्तार

1246. **श्री ऐम० के० कृष्णन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स, त्रावनकोर की उद्योग मंडल परियोजना के चौथे चरण के क्रियान्वयन पर कितनी लागत आएगी ;

(ख) कितनी बार इसका पुनरीक्षण हो चुका है ; और

(ग) प्रत्येक पुनरीक्षण के समय कितनी लागत का अनुमान लगाया गया था और लागत में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

विवरण

लागत अनुमानों को प्रस्तुत किये जाने की तिथि	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	परिवर्तन के कारण
1 अप्रैल, 1966	392.25	परियोजना का अनुमोदन करते समय कम्पनी से पूंजीगत अनुमान अवमूल्यन के पश्चात् विनियम दरों पर दोबारा तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था।
2 जून, 1966	575.61	अधिक लागत अंशतः रुपये के अवमूल्यन तथा अंशतः वित्तीय और प्रबंधक व्यय की व्यवस्था के कारण।
3 मार्च, 1972	673.01	अधिक लागत स्वदेशी संयंत्रों के मूल्य निर्माण लागत, सामान्य स्टोर तथा व्याज और प्रबन्धक व्यय में वृद्धि के कारण।

खजौली तथा जयनगर स्टेशनों के मध्य कोरतुआ को और कमतौल तथा जोगीआड़ा के मध्य मरैथा को "हाल्ट स्टेशन" बनाना

1247. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत खजोली तथा जयनगर स्टेशनों के बीच कौरतुआ को और कमतौल तथा जोगीआड़ा के बीच मरैथा को "हाल्ट स्टेशन" बनाने के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य पूरा करने तथा हाल्ट स्टेशनों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने संबंधी समय तालिका क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) खजोली और जयनगर स्टेशनों के बीच कौरहैया (कौराढुआ नहीं) में एक गाड़ी हाल्ट खोलने के संबंध में विनिश्चय पहले ही किया जा चुका है। इस हाल्ट स्टेशन का निर्माण कार्य जारी है लेकिन उस हाल्ट का पूरा होना या खुलना स्थानीय लोगों द्वारा 'श्रमदान' के जरिये मध्य फरवरी 1974 के पहले किये जाने वाले मिट्टी संबंधी कार्य पर निर्भर करता है जिसके लिये उन्होंने वचन दिया है।

कमतौल और जोगियारा स्टेशनों के बीच मुरेठा में एक गाड़ी हाल्ट खोलने के प्रस्ताव पर मई, 73 में जांच की गयी थी लेकिन वित्तीय दृष्टि से इसका औचित्य नहीं पाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'मिलियन्स इन टूथ पेस्ट एण्ड टेलकम पाउडर--कोलगेट केरीज लूट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1248. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री रानेन सेन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 28 अक्तूबर, 1973 के न्यू एज (साप्ताहिक) में "मिलियन टूथ पेस्ट एंड टेलकम पाउडर--कोलगेट कैरीज लूट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) हां।

(ख) सरकार, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, के उपबन्धों की प्रयोज्यता की दृष्टि से, इस विषय की परीक्षा कर रही है, एवं आवश्यक कार्यवाही करेगी।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) उद्योग मंडल द्वारा निष्पादित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के मूल्य में असामान्य वृद्धि

1249. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उपकरणों की असफलता एवं निर्णय लेने में विलम्ब के कारण फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) उद्योग मंडल द्वारा निष्पादित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के मूल्य में असामान्य वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) यहां प्रायोजना लागत जैसा कि अन्य कई केसों में होता है सामान्यतः मूल अनुमानों से अधिक है। यह वृद्धि कई घटकों के कारण हैं। उदाहरणतः कोचीन प्लांट के केस में आयातित यंत्रों में खराबियों के कारण प्लांट के चालू होने वाला विलम्ब लागत में वृद्धि का प्रमुख कारण था। इस प्रायोजना की 26.77 करोड़ रु० की मूल अनुमानित लागत के मुकाबले अब अनुमानित लागत 76 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार उद्योग मंडल के विस्तार की चौथी अवस्था की पूंजी लागत लगभग 3.92 करोड़ रुपये से बढ़कर 6.73 करोड़ रुपये हो गई है। इन परियोजनाओं के सम्पन्न में विलम्ब के अतिरिक्त रुपये का अवमूल्यन, पूंजीगत सामग्री पर आयात कर में वृद्धि तथा इस अबधि के दौरान मूल्यों में सामान्य वृद्धि अन्य अंशदायी कारण है।

केरल में थन्निरमुक्कम बांध निर्माण का दूसरा चरण

1250. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में थन्निरमुक्कम बांध के दूसरे चरण के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये कुल कितनी धनराशि की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) वर्ष 1973-74 के पूर्वार्ध के दौरान कुल कितनी धनराशिव्यय की गई ;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस बांध को प्राथमिकता देने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो कब किया है और केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) थन्निरमुक्कम बांध केरल राज्य कृषि योजना के भू-संरक्षण क्षेत्र में शामिल एक भूमि विकास स्कीम है। इस परियोजना की कुल लागत अब 458.5 लाख रुपये प्राक्कलित की गयी है तथा द्वितीय चरण को पूर्ण करने के लिये 60 लाख रुपये की आवश्यकता है। 1973-74 के पूर्वार्ध में 12.73 लाख रुपये व्यय हुये हैं।

क्योंकि यह राज्य योजना की स्कीम है, इसको केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी प्रकार की प्राथमिकता देने का प्रश्न नहीं उठता।

स्यालदह और हावड़ा स्टेशनों पर प्लेटफार्म/यात्रा टिकटों की बिक्री

1251. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 जुलाई, 1973 को पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे के स्यालदह और हावड़ा स्टेशनों पर बिभिन्न स्टेशनों के लिये कुल कितने रुपयों के प्लेटफार्म/यात्रा टिकट बेचे गये थे ;

(ख) जून 1973 में दोनों जोनल रेलवे में प्लेटफार्म/यात्रा टिकटों की बिक्री से औसत आय कितनी हुई ; और

(ग) पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के उपरोक्त स्टेशनों पर 25 जुलाई, 1973 को प्लेटफार्म/यात्रा टिकटों की बिक्री से कितनी आय प्राप्त हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 27 जुलाई, 1973 को हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकटों तथा यात्रा टिकटों की बिक्री से निम्नलिखित आमदनी हुई :

स्टेशन का नाम	प्लेटफार्म टिकट	यात्रा टिकट
	रु०	रु०
हावड़ा .	31,800	68,925
सियालदह . .	22	7,538

(ख) जून, 1973 में हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकटों और यात्रा टिकटों से जो आमदनी हुई उसका दैनिक औसत निम्नलिखित है :—

स्टेशन का नाम	प्लेटफार्म टिकट	यात्रा टिकट
हावड़ा . .	2,255	2,81,503
सियालदह . .	380	67,511

(ग) 25 जुलाई, 1973 को हावड़ा और सियालदह स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकटों और यात्रा टिकटों से निम्नलिखित आमदनी हुई :—

स्टेशन का नाम	प्लेटफार्म टिकट	यात्रा टिकट
	रु०	रु०
हावड़ा . . .	1,891.60	2,38,649
सियालदह . . .	306.00	57,915

गुजरात में विद्युत् संकट

1252. **श्री बेकारिया :**

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य विद्युत् संकट के क्या कारण हैं; और

(ख) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) यद्यपि अधिकतम मांग पर कुछ पाबन्दियां लगाई जा रही हैं और बिजली को भिन्न-भिन्न समयों पर दिया जा रहा है, इस समय गुजरात राज्य में विद्युत् का कोई संकट नहीं है।

दिल्ली में खाना बनाने की गैस की कमी

1253. **श्री बेकारिया :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाना बनाने की गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; श्रौर

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम श्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) श्रौर (ख) हाल ही में कोयाली में शोधनशालाश्रों के कर्मकारों द्वारा नियमानुसार काम करने एवं धीमी गति से काम करने के कारण दिल्ली सहित समस्त कोयाली द्वारा सम्पूर्ति किए जाने वाले क्षेत्र में कुकिंग गैस की कमी हुई।

(ग) स्थिति पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(i) नये ग्राहकों का नामांकन श्रस्थाई रूप में बन्द कर दिया गया है;

(ii) जहां-कहीं संभव हो, श्रन्य एल० पी० जी० विपणनकर्ताश्रों को सिलैण्डर भरने की सुविधाएं देना; श्रौर

(iii) सप्लाई में वृद्धि करने के लिए कोयाली क्षेत्र को बम्बई शोधनशालाश्रों से समस्त श्रतिरिक्त एल० पी० जी० का उत्पादन भेजा जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में रेलवे सेवा श्रायोग की स्थापना

1254. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुजफ्फरपुर में एक पूर्ण रेलवे सेवा श्रायोग की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) श्रायोग के श्रध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम क्या हैं; श्रौर

(ग) इनकी नियुक्तियां किस श्राधार पर की गई हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) 2 श्रक्तूबर, 1973 को रेल मंत्री ने मुज़फ्फरपुर में पूर्वोत्तर रेलवें में तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक रेल सेवा श्रायोग का उद्घाटन किया था श्रौर इस श्रायोग के कार्य के लिए नामिक कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गयी है। श्रायोग के श्रध्यक्ष श्रौर सदस्य-सचिव की नियुक्ति के प्रस्ताव, जिनके लिए संघ लोक सेवा श्रायोग का श्रनुमोदन श्रावश्यक है, सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

बिहार में बागमती नदी परियोजना का बांध

1255. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई श्रौर विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में बागमती नदी परियोजना के बांध के डिजाइन को श्रंतिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

सिंचाई श्रौर विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : स्थल में परिवर्तन तथा बराज की लम्बाई को कम करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए श्रौर जल विज्ञान श्रांकड़े एकत्र करने के कारण बागमती बराज के श्रधिकल्प में कुछ समय लग गया है।

बराज के लिए श्रपेक्षित विशिष्ट श्रारेख तैयार किये जा चुके हैं तथा बराज कार्यों के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने टैण्डर मांग लिए हैं।

पतरातु स्थित बिजली संयंत्र के लिए फालतू पुर्जे

1256. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **सिंचाई श्रौर विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार बिजली बोर्ड पतरातु स्थित बिजली संयंत्र के लिए फालतू पुर्जे उपलब्ध करने में श्रसमर्थ है;

(ख) क्या इस कारण से संयंत्र का तत्काल तथा आवश्यक मरम्मत कार्य रुक गया है तथा इस संयंत्र को बन्द होने का गम्भीर खतरा पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पतरातू विद्युत् केन्द्र को दो 50-50 मैं० वा० सेटों के पुनंप्रचालन के लिए कुछ फुटकर पुर्जों और मरम्मत कार्यों की तत्काल आवश्यकता है। बहरहाल, फुटकर पुर्जों की तत्काल सप्लाई की कमी के कारण शेष सेटों को बन्द किये जाने का कोई खतरा नहीं है।

भारत सरकार ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अनुरोध पर बिहार में पतरातू ताप विद्युत केन्द्र में उत्पादन संयंत्र के लिए शीघ्र आवश्यक और अनिवार्य फुटकर पुर्जों की सप्लाई का मामला सोवियत संघ के प्राधिकारियों के साथ उठाया है। ये फुटकर पुर्जे उनकी अपनी मदों के अंतर्गत आते हैं और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 'लेटर आफ इन्टेंट' के आधार पर सोवियत संघ प्राधिकारियों से उनकी अपनी संबंधित निर्माण यूनिटों को आवश्यक इन्डेन्ट देने के लिए कहा गया है जबकि प्राप्ति के संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि निर्माण के बारे में आवश्यक आदेश दे दिए गए हैं और फुटकर पुर्जों की आपूर्ति में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होगा ।

Preventive Measures to Control Floods in Madhya Pradesh

1257. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether in view of the devastating floods in Madhya Pradesh this year, the Central Government have under consideration any scheme for adopting permanent measures so that Madhya Pradesh could be saved from such floods which result in heavy losses every year; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b) There is no such scheme under consideration of the Central Government. Flood control is included in the State Sector and therefore, planning and implementation of flood control schmes are the responsibility of the State Government.

बरवाडीह-डेहरी लाइन पर गाड़ियों का देरी से चलना

1258. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरवाडीह-डेहरी लाइन पर रेल गाड़ियों के देरी से चलने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) इधर कुछ दिनों से, बरवाडीह-डेहरी-आन-सोन खण्ड पर सवारी गाड़ियों के चालन पर खतरे की जंजीर अंधाधुन्ध खींचे जाने, होस पाइप को अलग कर देने, सिगनल उपकरण के साथ छेड़-छाड़, कर्मचारी आन्दोलनों, इंजनों की क्षति आदि के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है। समयपालन में सुधार करने के उद्देश्य से, इस खण्ड की गाड़ियों के चालन पर निगाह रखी जा रही है और सभी परिहार्य विलम्ब के सभी मामलों में संबन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। समयपालन में सुधार करने के लि इस खण्ड की कुछ गाड़ियों में से खतरे की जंजीर वाला उपकरण भी हटा दिया गया है।

एल्यूमीनियम उद्योगों द्वारा विद्युत का उत्पादन

1259. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एल्यूमीनियम उद्योगों को अपने उपयोग के लिए विद्युत का स्वयं उत्पादन करने को कहने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बी० डी० एण्ड जी० सी० (गोमाह, बरवाडीह, डेहरी, डालटनगंज) लाइन पर मेल/एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाना

1260. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० डी० एण्ड जी० सी० (गोमोह, बरवाडीह. डेहरी, डालटनगंज) लाइन पर मेल/एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) गोमोह-बरवाडीह और डेहरी-आन-सोन के बीच एक्सप्रैस गाड़ी चलाना इस समय परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इस मार्ग पर लाइन क्षमता उपलब्ध नहीं है तथा रफ़तार सम्बन्धी पाबन्दियां लगी हुई हैं।

गुजरात में खाना बनाने की गैस की कमी

1261. **श्री डी० पी० जटेजा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में खाना बनाने की गैस की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हाल ही में कोयाली में शोधनशालाओं के कार्यकारों द्वारा नियमानुसार काम करने की धीमी गति से काम करने के कारण गुजरात सहित समस्त कोयाली द्वारा सम्पूर्ति क्षेत्र में कुकिंग गैस की कमी हुई।

(ख) कर्मकारों ने अब सामान्य कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त सप्लाई स्थिति को सामान्य बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

(1) नये ग्राहकों का नामांकन अस्थाई रूप से बन्द कर दिया गया है; और

(2) जहां कहीं सप्लाई में वृद्धि करना सम्भव हुआ अन्य एल० पी० जी० विपणनकर्ताओं को सिलैण्डर भरने की सुविधाएं देना।

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

1262. **डा० गोविन्द दास रिछारिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्टूबर, 1973 तक उत्तर प्रदेश में, जिलावार, कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है तथा कितने गांवों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है;

(ख) वर्ष 1973-74 के दौरान, जिलावार, कितने गांव का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य की गति बहुत धीमी है और यदि हां तो ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य की गति को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) उत्तर प्रदेश के सभी गांव, विशषेकर उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र और आगरा, इटावा तथा मैनपुरी के डाकू ग्रस्त जिलों में बिजली पहुंचाने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) 30-9-1973 तक विद्युतीकृत तथा 1973-74 में विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित गांवों की संख्या का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5749/73]

(ग) उत्तर प्रदेश ग्राम विद्युतीकरण के मामले में पिछड़े राज्यों में से एक राज्य था, परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी सुधार हुआ है। 31-3-1969 तक विद्युतीकृत 12,926 गांवों के प्रति 30-9-1973 तक इनकी संख्या 27,769 हो गई। इसी प्रकार 31-3-1969 तक अर्जित 75,659 पम्पसेटों के प्रति 30 सितम्बर, 1973 तक अर्जित पम्पसेटों की संख्या 209,552 हो गई। 30-9-1973 तक विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता 24.4 है जो कि 25.5 प्रतिशत के अखिल भारतीय औसत से थोड़ा ही नीचे है।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में कम से कम 30--40% ग्रामीण जनसंख्या को इसके अन्तर्गत लाने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के समस्त गांवों का पूर्ण विद्युतीकरण करने के लिये अभी तक कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में समस्त गांवों का विद्युतीकरण समय-समय पर धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

कम्पनी कार्य विभाग द्वारा उत्पादों के निर्माण में एकाधिकार का अध्ययन

1263. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग द्वारा उत्पादों के निर्माण में एकाधिकार के बारे में हाल में किए गये अध्ययन से यह पता चला है कि 349 उत्पादों में से 312 उत्पादों पर एकाधिकार बहुत अधिक है (उदाहरणतया उत्पादों का निर्माण कर रहे तीन बड़े उपक्रमों ने वर्ष 1970 में 75 प्रतिशत या इससे अधिक उत्पादों का निर्माण किया था); और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन के अन्य मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमन्।

(ख) अध्ययन से साथ-साथ यह भी मालूम हुआ है कि अध्ययन की गई 249 सामान्य मदों, जो एकाधिकार जांच आयोग 1965 की रिपोर्ट में भी सूचीबद्ध की गई थी, में से 207 मदों में, 1964 व 1970 दोनों वर्षों में अत्याधिक संकेन्द्रण प्रदर्शित हुये थे।

राज्यों में विद्युत सप्लाई की स्थिति

1264. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री बनमाली पटनायक :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् सप्लाई की राज्यवार स्थिति क्या है;

(ख) क्या कुछ राज्यों में हाल ही में विद्युत् सप्लाई की स्थिति खराब हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन से तत्व जिम्मेदार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या वह इस बारे में तुलनात्मक आंकड़े सभा-पटल पर रखेंगे ?.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) विभिन्न राज्यों में विद्युत् सप्लाई स्थिति में सामान्यतः सुधार हुआ है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में विद्युत् पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं है यह कमी निम्न-लिखित कारणों से है :—

(1) रिहन्द और शरावती वाह-क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षापात;

(2) कुछ तापीय यूनिटों का मजबूरन बन्द होना; और

(3) विद्युत् परियोजनाओं के चालू होने में देरी।

मई और नवम्बर, 1973 में उर्जा उपलब्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मई, 1973 से ऊर्जा उपलब्धता में कितना सुधार हुआ है उसका विवरण

राज्य का नाम	सभी आंकड़े मिलियन यूनिट/दिन में ऊर्जा उपलब्धता	
1	2	
	मई, 1973 फालतू (+) कमी (—)	नवम्बर, 1973
उत्तरी क्षेत्र		
हरियाणा	(—)1.96	(—)1.70
हिमाचल प्रदेश	(—)0.23	(—)0.14
जम्मू व काश्मीर	(—)0.23	(—)0.40
पंजाब	(—)1.27	(—)0.54
राजस्थान	(—)1.38	(—)1.10
उत्तर प्रदेश	(—)4.55	(—)7.00
दिल्ली	(—)0.15	—
चण्डीगढ़	(—)0.06	(—)0.03
नंगल फर्टीलाइजर	—	—
योग	(—)9.83	(—)9.91

1		2
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	—	—
मध्य प्रदेश	(—) 0.55	—
महाराष्ट्र	(—) 7.10	—
योग .	(—) 7.65	—
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश	(—) 3.21	(—) 0.47
केरल	—	(+) 1.14
कर्नाटक	(—) 1.80	(—) 2.20
तमिलनाडु	(—) 9.45	(—) 3.37
योग .	(—) 14.46	(—) 4.90
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार . . .	(—) 0.06	(—) 0.90
पश्चिम बंगाल	(—) 0.35	(—) 0.97
दामोदर घाटी निगम . . .	(—) 0.79	—
उड़ीसा	(—) 1.60	—
योग	(—) 2.80	(—) 1.87
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
	(—) 0.06	—
योग अखिल भारत . .	(—) 34.6	(—) 16.68

विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन

1265. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह:**

श्री प्रभु दास पटेल:

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने देश में नई ऊर्जा नीति के बारे में रूपरेखा प्रस्तुत की है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्थिति का मुकाबला करने के लिये वर्तमान विद्युत् बोर्डों का पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिदधेश्वर प्रसाद): (क) योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और ऊर्जा नीति की उसके एक भाग के रूप में जांच की जा रही है।

(ख) देश में विद्युत सप्लाई उद्योग के पुनर्गठन संबंधी प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

Proposal to run Express train from Gauhati to Kasganj

1266. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to run an Express train from Gauhati to Kasganj;

(b) if so, the date from which it would be introduced and the names of the places in District Etah where this train will halt; and

(c) the reasons for which it would halt at new places in addition to the old places ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) No. However, 17/18 Siliguri-Kanpur Vaishali Express has been extended to and from Kasganj with effect from 1-11-73. Apart from Kasganj from where the train originates/terminates, the extended 17/18 Vaishali Express has not been provided with any stoppage in Etah District.

(c) On the extended portion of its run 17/18 Vaishali Express has been provided stoppages at Kaimganj, Farukhabad, Fatehgarh and Kannauj on the basis of traffic justification and the views of the Membrs of the Zonal Railway User's Consultative Committee.

Uniformity in respect of Facilities Provided to T.T.I. Guard, Driver, Fireman, Khallasi and Brakesman

1267. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway running staff include T.T.I. Guard, Driver, Fireman, Khallasi and Brakeman.

(b) whether the facilities provided by Government are not made available to all of them equally; and

(c) if so, the steps being taken by Government to bring about uniformity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Only such of the staff as are connected with the "Charge of moving trains" are classified as Running Staff. Guards, Drivers, Fireman and Brakesman are the Running Staff where as T.T.I. and Khallasi who are not connected with the charge of moving trains are not Running Staff.

(b) All railway staff are equally eligible for such general facilities like earned leave, Medical Attendance, Educational Assistance, Passes etc. However, the Running Staff by virtue of their responsibility for movement of trains earn mileage allowance according to mileage run whereas other staff are paid T.A./D.A. for duties performed away from their headquarters.

(c) Does not arise.

Loss to Railways due to Abolition of Different Freight rates for Salt

1268. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railways have suffered an annual estimated loss of revenue of Rs. 28 lakhs on account of the abolition of different freight rates for salt; and

(b) if so, the reasons for abolishing differential rates and the steps being taken by Government to make good the loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) Two separate sets of rates for salt were introduced from the 1st November, 1969, the lower rate being made applicable to salt meant for human consumption programmed for priority movement by the Salt Commissioner. Representations from the trade were received to the effect that while salt meant for human consumption was moving at a lower rate if programmed by the Salt Commissioner, salt meant for the same end-use had to pay a higher freight if non-programmed. As this violated the spirit of Section 28 of the Indian Railways Act, the differential rates were abolished with effect from 1st April, 1970. However, the rate for Salt N.O.C. as introduced from 1st April, 1970 has been revised upward twice since then, firstly with effect from 1st July, 1971 and again with effect from 15th April, 1972.

The revision of freight rates is a normal feature of railway working and the mere fact that enhancement effected in a particular rate had to be withdrawn on account of practical and legal difficulties, should not be taken to mean that there was loss of revenue.

The matter has been recently re-examined, and with effect from 1st November, 1973, a higher rate has been quoted for 'Salt for chemical Industries' as distinct from 'Salt N.O.C.' which includes salt for human consumption as well as salt for other industries.

Inter-State Water Drainage Schemes

1269. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the inter-State water drainage schemes are proposed to be financed by the Centre after the commencement of Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the steps taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) & (b) The pattern of financing in the Fifth Plan is yet to be finalised. There is, however, no proposal presently under consideration for the financing of Inter-State drainage schemes by the Centre in the Fifth Plan.

Visit of Railway Delegation to New York for Loan

1270. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a five member delegation went to New York along with the Chairman, Railway Board for obtaining loan for the Indian Railways; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) An Indian Railway's delegation led by Chairman, Railway Board, is currently in Washington for negotiating a credit with the I.D.A. The outcome of the visit will be known only after negotiations have been completed.

Introduction of a New Train for Assam

1271. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a new train for Assam is being introduced in the beginning of the next year (1974); and

(b) if so, the expenditure on laying this line, the area likely to be benefitted/therefrom and the likely increase in revenue ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, a bi-weekly Express train is being introduced between New Delhi and New Bongaigaon via Sahibganj Loop and Farakka in January, 1974.

(b) No new line is to be laid for this train. The train will serve areas in U.P., Bihar, West Bengal and Assam. The gross earnings likely to accrue from the train are estimated to be about Rupees thirty two thousands per trip.

Proposal to Introduce Insurance Scheme for Passengers

1272. **Shri Shiv Kumar Shastri** :
Shri M. S. Purty :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Railway Ministry proposes to introduce an Insurance scheme for the passengers; and

(b) if so, the broad outlines of the scheme and the time by which it is proposed to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) There is a proposal to increase the liability of Railways to pay compensation to the victims of rail accident, under the Indian Railways Act.

(b) The maximum amount of compensation payable to victims of train accidents is at present Rs. 20,000/- and this limit is proposed to be raised to Rs. 50,000/-.

"न्यू थ्योरी ग्रान ग्रायल में रिवोलूशनाईज ग्राउटपुट" शीर्षक के समाचार

1273. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** :
श्री पी० गंगा देव :

क्या **पैट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 ग्रक्तूबर, 1973 के 'टाइम्स ग्राफ इंडिया' में "न्यू थ्योरी ग्रान ग्रायल में रिवोलूशनाइज ग्राउटपुट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत के तेल भंडारों का कम ग्रनुमान लगाया गया है; ग्रौर

(घ) क्या देश में विशाल तेल क्षमता वाले बहुत से ऐसे क्षेत्र जिनका उपयोग नहीं किया गया है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्रों के रिपोर्ट तेल के ग्रजैव स्रोत के सिद्धांत पर ग्र-ग्राग्नेय तथा ग्रन्य सख्त चट्टान क्षेत्रों में पेट्रोलियम प्राप्त करने की सम्भावना की ग्रोर संकेत करती है तेल के ग्रजैव स्रोत से

प्राप्त होने का सिद्धांत कोई नया नहीं है और कुछ वैज्ञानिक इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। परन्तु इस सिद्धांत के आधार पर हमारी सूचना के अनुसार विदेशों में या भारत में सख्त चट्टान क्षेत्र में तेल अनवेषण के व्यापारिक उद्‌गम हाथ में नहीं लिये गये हैं।

(ग) चूंकि अब तक भारतीय तलघट बेसीन में विद्यमान तेल की कुल मात्रा का विश्वासनीय अनुमान नहीं लगाया गया है, प्रश्न नहीं उठता।

प्रमाणित तेल क्षेत्रों में तेल भन्डार का अनुमान लगाया गया है और यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यह न्यून प्राक्कलन किये गये हैं।

(घ) जबकि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पूर्ण रूप से अनवेषण अब तक नहीं किया गया है और जिन में तेल सम्भावना है इस समय यह कहना कि देश में कई भागों से तेल प्राप्त होगा, संभव नहीं है।

चालू वर्ष के दौरान रेलवे को हुई हानि

1274. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :**

श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रेलवे को हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान उसे 110 करोड़ रुपये की हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) लाभ और हानि का लेखा वित्त वर्ष के अन्त में वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है। अन्तिम लेखों का संकलन हो जाने के पश्चात् ही हानि की सही रकम का पता चल सकेगा। लेकिन, आशंका है कि हानि अत्यधिक होगी।

(ग) चालू वर्ष के अन्त में रेलों को अत्यधिक हानि होने की संभावना है जिसके कारण नीचे दिये गये हैं :--

(i) आमदनी में गिरावट, वर्ष के प्रथम पांच महीनों में रेलों ने इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से 52.9 लाख मीटरिक टन माल यातायात की कम ढुलाई की।

(ii) 1-5-73 और 1-8-73 से मंजूर किये गये अतिरिक्त महंगाई भत्ते लोको फोरमैनों और गैंग मैनों के बारे में विवाचक मंडल के अधिनिर्णय तथा वेतन आयोग की सिफारिशें आदि के कारण होने वाला अतिरिक्त खर्च, जिसे बजट अनुमानों में शामिल नहीं किया गया था।

दक्षिण रेलवे में हड़तालों में वृद्धि

1275. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :**

श्री पी० गंगा देव :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के वर्षों में दक्षिण रेलवे में आन्दोलनों और हड़तालों में वृद्धि हुई है, जैसा कि 3 अक्तूबर, 1973 के 'इंडियन एक्सप्रैस' प्रकाशित हुआ है;

(ख) वर्ष 1973 के दौरान बड़े तथा छोटे पैमाने पर कुल कितनी बार काम रुका; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ। अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) एक बार बड़े तौर पर और 6 बार छोटे तौर पर ।

(ग) कारण इस प्रकार हैं :--

(1) **1-8-1973 से 13-8-1973 तक लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा हड़ताल**
यह हड़ताल अखिल भारतीय लोको रनिंग कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हड़ताल जो दिल्ली से शुरू हुई थी; का अंग थी।

(2) **मद्रास क्षेत्र में यांत्रिक विभाग के सवारी डिब्बा और माल डिब्बा स्कन्ध के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल (27-3-1973)**
रेलवे सुरक्षा दल कर्मचारी द्वारा एक खलासी पर कथित हमले के सम्बन्ध में।

(3) **मद्रास क्षेत्र में दक्षिण रेलवे कर्मचारी संघ तथा दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन से संबंधित कर्मचारियों द्वारा हड़ताल (28-7-1973)।**
यह हड़ताल अनियंत्रित भीड़ को तितर-वितर करने के लिए पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के लिए की गयी थी।

(4) **ओलवक्कोड मंडल के कोच्चिन हार्बर टर्मिनस-शेरूवण्णूर खण्ड में तथा कोल्लम और मदुरै मंडल के कुछ स्टेशनों के कर्मचारियों की हड़ताल (20-8-1973 से 30-8-73)**
केरल क्षेत्र में खाद्यान्न की कमी और खाद्यान्नों की ऊँची कीमतों के कारण 6 महीनों के लिए वेतन से वसूलियों पर रोक तथा सूखा-राहत के रूप में 500 रुपये के ब्याज-रहित ऋण की मंज़ूरी की मांग को लेकर।

(5) **तोंडियारपेट विन्यास यार्ड, मद्रास में सवारी डिब्बा और माल डिब्बा स्कन्ध के कर्मचारियों की हड़ताल (20-9-1973)**

एक सवारी डिब्बा और माल डिब्बा फिटर को, जिसने 18-9-1973 को मंडल अधीक्षक कार्यालय, मद्रास की कार्मिक शाखा के मुख्यलिपिक पर हमला किया था, पुलिस की हिरासत से छुड़वाने की मांग को लेकर।

(6) **पोंडानर स्थित सिगनल एवम दूर संचार कारखाने के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल (15-10-73/16-10-73)**

डाइ-मेकर के पद को तब तक न भरा जाये, जब तक वार्षिक समीक्षा के आधार पर दूसरे व्यवसायों में सृजित अतिरिक्त पदों पर नियुक्तियां न हो जायें।

(7) **तोंडियारपेट विन्यास यार्ड, मद्रास के कर्मचारियों की हड़ताल (22-10-73)**
महंगाई भत्ता के बकाया के भुगतान की मांग को लेकर।

पांचवी पंचवर्षीय योजनावधि में बड़े पैमाने पर तेज परिवहन संबंधी योजनाएं

1276. **श्री पुरूषोत्तम काकोडकर :**

श्री पी० गंगा देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बड़े पैमाने पर तेज परिवहन सम्बन्धी योजनाओं का प्रस्ताव कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन पर कितना धन व्यय होगा; और

(ग) क्या उक्त योजनाओं पर योजना आयोग से विचार विमर्श किया गया और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) कलकत्ता के लिए व्यापक द्रुत परिवहन योजना, जिस पर कि काम हो रहा है का कार्यान्वयन पांचवीं योजना तक चलेगा।

बम्बई, दिल्ली और मद्रास के लिए इसी प्रकार की योजनाओं के वास्ते तकनीकी आर्थिक व्यवहारिकता अध्ययन किये जा रहे हैं। पांचवीं योजना के दौरान हाथ में ली जाने वाली योजनाओं के क्षेत्र पर निर्णय सापेक्ष प्राथमिकताओं और साधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिए योजना आयोग के साथ आवश्यक सम्पर्क रखा जा रहा है।

सरकार और विदेशी तेल कम्पनियों के बीच अपने तेल शोधक कारखानों और विपणन के मामले में मतभेद

1277. **श्री पीलू मोदी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार और तीन विदेशी तेल कम्पनियों के बीच अपने तेल शोधन कारखानों और विपणन हित के बारे में मतभेद हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : भारत सरकार तथा 3 पूर्वीय तेल कंपनियों, जो भारत के शोधन तथा व्यापार का कार्य कर रही हैं, के बीच कोई मूल स्वभाव के मतभेद नहीं है न कार्य करने के सामान्य स्थिति में ये कंपनियां कुछ प्रतिवेदन भेजती हैं जिन पर सामान्य रूप से विचार किया जाता है तथा प्रत्येक मामले पर गुणानुसार निर्णय लिया जाता है ।

Committee to study question of Pollution of Atomsphere consequent on the setting up of Mathura Oil Refinery

1278. Shri M.S. Purty : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether Government have set up any Committee to study the question of pollution of atmosphere consequent on the setting up of Oil Refinery at Mathura; and

(b) if so, the composition and terms of reference thereof and the time by which the Committee is expected to submit its report ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No committee has been constituted by Government to study the question of pollution from the proposed oil refinery at Mathrua. This question is, however, under close review by the Indian Oil Corporation and this Ministry in consultation with the National Committee on Environmental Plannig and Coordination, Inidan Standards Institution, Central Public Health Engineering Research Institute, Chief Archaeological Chemist, Department of Meteorology and the Public Health authorities of U. P. Government.

(b) Does not arise in view of the reply to (a) above.

Ticketless travellers on Western Railway during the last five months

1279. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons against whom action was taken on the charge of travelling without tickets on the Western Railway during the last five months; and

(b) the amount collected as fine from the ticketless travellers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 1,10,748 (May, 1973 to September, 1973).

	Rs.
(b) (i) Fare.	4,74,161
(ii) Excess Charges:—	
(a) Lower Excess Charges	70,841
(b) Higher Excess Charges.	7,79,950
(iii) Judicial fine	42,208

Accidents due to technical defects and human failures on the Western Railway during the ve mohths

80. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Rail accidents that occurred due to technical defects and human failure in Western Railway during the last five months; and

(b) the number of accidents for which enquiry was conducted and the number ersons against whom action was taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) During the last five months *i.e.* Ist June 1973 to 31st October 1973 there were 61 train accidents in the categories of collisions, derailments, level crossing accidents and fires in trains on the Western Railway.

The causes of these accidents are as under :

Cause	No. of accidents
(i) Failure of railway staff	38
(ii) Failure of persons other than railway staff	5
(iii) Failure of railway equipment	13
(iv) Sabotage	1
(v) Accidental	3
(vi) Cause could not be established	1
Totals	61

(b) Inquiries have been conducted into all the accidents. Disciplinary action has so far been taken against 3 railway employees.

Accidents as a result of subversion activities on N. E. Railway during the last five months

1281. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents that occurred on the North-Eastern Railway during the last five months as a result of subversive activities; and

(b) the plan of Government to check such subversive activities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) During the period 1-6-1973 to 31-10-1973 no such accident occurred on the North Eastern Railway.

(b) The following measures have been /are being taken to prevent such activities:—

By State Governments :

(i) Patrolling of the railway track, specially in vulnerable sections.

(ii) Conducting educative publicity among the villagers residing in close proximity to the railway track.

(iii) Enlisting help of village defence societies where they exist.

(iv) Granting rewards to persons giving timely information about subversive activities of anti-social elements.

(v) Collecting intelligence about mischievous, disgruntled and anti-social elements indulging in such activities.

(vi) Bringing the culprits to book, where possible by launching prosecutions under the Indian Penal Code as well as under Indian Railway Act.

By the Railways :

(i) The Railway Protection Force assist the State Police in the detection, apprehension and prosecution of culprits by collecting intelligence and exchanging with the police.

(ii) The Dog Squads maintained by the Railway Protection Force are delployed to track the culprits, where possible.

(iii) Strict surveillance is kept over suspects, specially black-smiths, dealers in scrap materials and other know criminals and anti-social elements.

(iv) Close co-operation and co-ordination is maintained with the State Police by holding periodical meetings and exchanging information at various levels.

(v) Engineering and Permanent Way Staff have been instructed not to stack loose railway materials or tools near the track.

(iv) Deterrent punishment is awarded to the Railway Staff in cases where tampering is facilitated by lapses on their part.

(vii) The antecedents of the labourers employed on the track are verified.

Chain pulling cases on Western Railway during the last five months

1282. Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Railways be pleased to state the number of cases of pulling alarm chains registered in Western Railway during the last five months and the steps proposed to be taken by Government to check these incidents in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : 4,369 cases of alarm chain pulling have been registered on Western Railway during the five months from May to September, 1973.

The main measures taken by Railway Administration to check this evil are indicated below :--

(i) Posting of plain clothed T.T.Es. and Railway Protection Force men in III class compartments ;

(ii) conducting of surprise checks by anti-alarm chain pulling squads, consisting of T.T.Es. and Railway Protection Force personnel;

(iii) arranging of special ambush checks by ticket checking staff in collaboration with the staff of Railway Protection Force;

(iv) conducting of educative campaigns in the press, through posters, cinema-slides etc. and by announcements on the Public Address System provided at important stations.

(v) creating of consciousness among the students about the evil of alarm chain pulling through lectures in educational institutions by Senior Railway Officers;

(vi) offering of rewards for apprehending chain pullers; and

(vii) blanking off of the alarm chain apparatus on trains which are chronic victims of chain pulling.

लोको कर्मचारियों के लिए अधिक पद

1283. **श्री झारखण्डे राय :**

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोको कर्मचारियों के लिए और अधिक पद बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो लिये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) लोको कर्मचारियों के लिए अधिक छुट्टी रिजर्व पदों के सृजन का प्रश्न विचाराधीन है।

नई रेलवे लाइन बनाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ जानकारी के बारे में भारत और इराक के बीच समझौता

1284. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **रेल** मंत्री यह बतनो की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इराक में एक नई रेलवे लाईन बनाने के लिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल वहां गया था और इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञ जानकारी देने के लिए एक मुख्य परियोजना हमारे देश को मिली है जिसके लिए उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) और (ख) इराक सरकार के अनुरोध पर, भारतीय रेलवे द्वारा बगदाद को सीरिया की सीमा पर स्थित संबा से मिलाने के लिए इराक में एक नयी (1435 मि०मी० मानक आन की 404 किलोमीटर लम्बी) रेलवे लाइन के लिए 1970 में एक प्रारंभिक व्यावहारिकता-एवं-लागत अध्ययन किया गया था। कर्मचारियों की यात्रा, वेतन और प्रतिकर भत्ते पर होने वाला खर्च भारत सरकार ने भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहकारिता निधियों से वहन किया था और भारत से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के भोजन और आवास सहित इराक के स्थानीय खर्च इराक सरकार द्वारा वहन किये गये थे। संबा को अकासा की फासफेट खदानों से मिलाने के लिए एक रेलवे लाइन (लगभग 120 कि०मी० लम्बी) के सम्बन्ध में व्यावहारिकता अध्ययन करने तथा पहले के व्यावहारिकता अध्ययन की ही शर्तों पर बगदाद-संबा-अकासा मिली जुली परियोजना के सम्बन्ध में आर्थिक अध्ययन करने के लिए अक्तूबर, 1972 में इराक सरकार का एक और अनुरोध प्राप्त हुआ था। भारतीय रेलों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल से बगदाद में बातचीत करने के बाद, जिसके परिणामस्वरूप दोनों सरकारों के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किये गये, इराकी रिपब्लिकन रेलवे ने बगदाद-संबाह-अकासा रेलवे परियोजना के लिए आर्थिक अध्ययन तथा संबा-अकासा परियोजना (120 कि०मी०) के प्रारंभिक व्यावहारिकता-एवं-लागत अध्ययन करने का काम पिछले व्यावहारिकता-एवं-लागत अध्ययन की ही शर्तों पर भारतीय रेलवे को सौंपा है। भारतीय रेलवे के विशेषज्ञों ने इन अध्ययनों का क्षत्र-कार्य अभी-अभी पूरा किया है और आशा है कि रिपोर्ट दिसम्बर, 1973 के अन्त तक तैयार हो जायेगी।

वैगनों की कमी

1285. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में वैगनों की भारी कमी के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी कब से है ; और

(ग) देश में रेलवे वैगनों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाएं हैं या उठाएगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां। सरकार को मालूम है कि कुछ किस्म के यातायात की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की उपलब्धता में ऐसे कारणों से कमी आई है जिन पर रेलों का प्रायः कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे कि कानून और व्यवस्था का भंग होना, हड़ताल, आन्दोलन, बिजली की कमी, सैनिक संचालन, टूट-फूट और लदान एवं उतराई स्थलों पर माल डिब्बों का अत्यधिक जमाव।

(ख) 1970-71 से कमी महसूस की गयी है।

(ग) (1) यदि रेलवे कार्य पर किसी असामान्य स्थिति का दुष्प्रभाव न पड़े तो रेलें माल-डिब्बों की मांग की पूर्ति करने के लिए पूर्ण रूप से सन्नद्ध हैं।

(2) यातायात की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मालडिब्बों के लिए भी आर्डर दिये गये हैं।

भारत म काम कर रही विदेशी फर्में तथा उनके प्रबन्ध के लिये भारतीय कानून का लागू होना

1286. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय काम कर रही विदेशी फर्मों की संख्या तथा नाम क्या हैं;

(ख) उनके औद्योगिक तथा व्यापारिक कार्य कौन कौन से हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उनको कम्पनी अधिनियम तथा अन्य भारतीय कानूनों के अंतर्गत लाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय नें उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) 31 मार्च, 1972 तक कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 में यथा परिभाषित 541 विदेशी कम्पनियां, भारत में कार्य कर रही थी। उनके नाम औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियां संलग्न विवरण में दी जाती हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5750/73]

(ग) तथा (घ) भारत में व्यापारिक स्थान की स्थापना, भारत में स्थित भू-सम्पत्ति में निवेशो अभिकर्ताओं या तकनीकी प्रबन्ध सलाहकारों की नियुक्ति भारतीय कम्पनियों में. वर्तमान शेयर धारनों और भारत के निवासियों से (धारा 26, 29 और 31 के अनुसार) धन के जमाओं का उधार लिया जाना या स्वीकार करना, केन्द्रीय सरकार या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा कतिपय शर्तें जो उल्लिखित की जाए के अनुपालन की अपेक्षाओं से अलग, के सम्बन्ध में विदेशी नियंत्रित कम्पनियों की परिपालन पर बहुत से प्रतिबन्ध प्रस्तुत किये जाने के विदेशी मुद्रा विनियम, 1973 में उपबन्ध हैं। कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1972 में भी आम 31 और 32 उल्लिखित है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 157, 209 के और धारा 234 से 246 जहां तक हां भारत में स्थापित व्यापार का स्थान रखते हुए विदेशी कम्पनी पर लागू होंगी और जिसमें आगे सरकार को कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों निर्धारण करने का अधिकार होगा, जो भारत के बाहर निगमित और भारत में व्यापार के स्थापित स्थान और जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का एक या अधिक भारत के नागरिकों द्वारा या एक या अधिक भारत में निगमित निकायों या एक या अधिक भारत के नागरिकों और एक या अधिक भारत में निगमित निकायों, चाहे एकाकी हो या सम्पूर्ण पर लागू होगी।

राजभाषा (विधायी) आयोग के सदस्यों की विशिष्टियां

1278. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा (विधायी) आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं, आयोग का सदस्य बनने से पूर्व उनके द्वारा धारित पद कौन से थे और उनका उन पदों पर मूल वेतन क्या था, वे सेवा निवृत्त हैं या नहीं और प्रथम जनवरी, 1973 को उनकी आयु क्या थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5751/73] श्री जानकी बल्लभ महान्ति और श्री एच० सी० ढोलकिया के, राजभाषा (विधायी) आयोग में क्रमशः सदस्य और अंशकालिक सदस्य के रूप में, नियुक्त होने के पूर्व उनके द्वारा धारित पदों पर लिए जाने वाले वेतन के बारे में जानकारी सम्बन्धित प्राधिकारियों से प्राप्त की जा रही है और उक्त जानकारी प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

वर्ष 1972 और 73 में सोनारपुर केनिंग और बरूईपुर डायमंड हार्बर सेक्शन पर संचार व्यवस्था का ठप्प होना

1288. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में सियालदह डिवीजन में पूर्वी रेलवे पर होतार-मगराहाट स्टेशनों के बीच कोई टक्कर हुई थी जिससे संचार व्यवस्था ठप्प हो गई थी ;

(ख) वर्ष 1972 और 1973 में सोनारपुर-केनिंग और बरुईपुर-डायमंड हार्बर सेक्शनों पर संचार व्यवस्था कितनी बार ठप्प हुई और हर बार कितने समय तक ठप्प रही ;

(ग) उपरोक्त सेक्शन पर उचित संचार व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और करने का विचार है ; और

(घ) सिग्नल और दूरसंचार विभाग उपरोक्त सेक्शन पर संचार की उचित व्यवस्था क्यों नहीं करता है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, 6-7-1971 को ।

(ख) **सोनारपुर केनिंग खण्ड** :

1972—ग्यारह बार निम्नलिखित समय तक ठप्प रही :—

610 मिनट	990 मिनट
10 मिनट	525 मिनट
1980 मिनट	140 मिनट
1250 मिनट	35 मिनट
200 मिनट	45 मिनट
1040 मिनट	

1973—एक बार 125 मिनट तक ठप्प रही ।

बरूईपुर–जयमंड हार्बर खण्ड :

1972 और 1973 कभी नहीं ।

(ग) वर्तमान भूमिगत केवल संरेखण के अलावा, तालदी और केनिंग के बीच एक सहायक ऊपरी संरेखण की व्यवस्था डाक और तार विभाग द्वारा की गयी है।

(घ) इस खण्ड पर संचार की व्यवस्था डाक और तार विभाग के केबुलों के जरिये की जाती है। बाधाएं मुख्य रूप से केबुलों की चोरियों के कारण उत्पन्न होती हैं।

सियालदह डिवीजन (पूर्व रेलवे) में नैहाटी और काकीनाड़ा के बीच एब्सोल्यूट परमिसिव ब्लाक प्रणाली शुरू करना

1289. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीज़नल सिग्नल तथा दूरसंचार इंजीनियर तथा डिवीज़नल सुरक्षा अधिकारी/ सियालदह, पूर्व रेलवे ने हाल ही में पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीज़न में काकीनाडा के बीच कामन लाईन के कार्यकरण पर हाल हीं में एब्सोल्यूट परमिसिव ब्लाक प्रणाली शुरू की है ;

(ख) इन प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रतिष्ठानों पर विदेशी मुद्रा तथा भारतीय मुद्रा में क्या खर्च आयेगा ;

(ग) क्या सहायक स्टेशन मास्टरों ने सुरक्षा के आधार पर इस नई प्रणाली के क्रियान्वयन के विरुद्ध कोई आपत्ति उठाई है ; और

(घ) इस सेक्शन में नैहाटी और काकीनाड़ा के बीच डाऊन मेन लाइन का प्रयोग अप गाड़ियों के लिए अप लाईन तथा डाऊन गाड़ियों के लिए डाऊन लाईन के रूप में न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :(क) जी नहीं।

(ख) प्रस्तावित कार्य-प्रणाली को चालू करने की अनुमानित लागत 78,000 रुपये है और इसमें विदेशी मुद्रा का तत्व शामिल नहीं है।

(ग) जी हां, इसमें उल्लिखित असुरक्षित आधार की बातें सही नहीं हैं।

(घ) नैहाटी और काकीनाडा के बीच डाऊन मुख्य लाईन पहले से ही केवल डाऊन माल यातायात के लिए उपयोग में लायी जा रही है क्योंकि इस लाईन पर यात्री प्लेटफार्म सुविधाएं नहीं हैं।

पुराने संयंत्रों को ठीक करना

1290. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीज़न के बड़ानगर-सी० सी० लिंक सेक्शन की दोनों ओर की लाइनों पर संकेत और दूर-संचार विभाग के संयंत्र गत कुछ वर्षों से मंजूरशुदा खाके में उल्लिखित संयंत्रों जैसे नहीं हैं ;

(ख) क्या उक्त योजनानुसार वे पुराने संयंत्र अब ठीक किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या उक्त सैक्शन में जनवरी, 1973 में कोई दुर्घटना हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या डी० एस० टी० ई० तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जो मौके पर प्लान की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार थे, कोई कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं । बड़ानगर-सी० सी० लिंक खण्ड पर, सिगनल और दूर-संचार विभाग से सम्बन्धित संस्थापन मंजूरशुदा नक्शों के अनुसार हैं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, इन्हें ठीक करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) दुर्घटना सिगनल प्रणाली के किसी दोषपूर्ण संस्थापन के कारण नहीं हुई थी । अतः मण्डल सिगनल एवम् दूर संचार इंजीनियर तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाई अपेक्षित नहीं है ।

विदेशी उर्वरक कम्पनियों द्वारा मांगी गई रियायते

1291. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़ी विदेशी उर्वरक कम्पनियों ने अनेक रियायतें मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या बड़े भारतीय औद्योगिक गृहों ने भी उर्वरक कारखाने लगाने के लिए कुछ रियायतें मांगी हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : उर्वरक उद्योग में इस समय विदेशी पूंजी लागत का कोई विचार नहीं है और विदेशी सहायता उन सेवाओं तथा सप्लाई तक सीमित होगी जो देश में उपलब्ध नहीं है। उर्वरक उद्योग और भावी ठेकेदारों ने लागत में निरन्तर वृद्धि और फीड स्टाक के चयन से सम्बन्द्ध सरकार की नीति के फलस्वरूप लाभदायकता में कमी के सम्बन्ध में प्रतिवेदन पत्र प्रस्तुत किये हैं। अन्य बातों के साथ साथ उर्वरकों पर उत्पादन हटाकर प्रोत्साहन देने, कानूनी रूप से नियंत्रित उर्वरकों के विक्रय मूल्य में वृद्धि, आयातित पूंजीगत सामग्री पर आयात-कर को छूट तथा विकास छूट और अन्य कर रियायतों के पुनरुत्थान की मांग की गई है ।

विदेशी सहयोग से पांच उर्वकर कारखाने लगाने का प्रस्ताव

1292. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पांच उर्वरक कारखाने विदेशी सहयोग से लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख) इस समय हमारे उर्वरक कार्यक्रम में इक्विटी में भाग लेने के रूप में विदेशी सहयोग का विचार नहीं है और इस कार्यक्रम में विदेशी सहायता उन सप्लाई और सेवाओं में धन लगाने तक सीमित होगी जो देश में उपलब्ध नहीं है। मथुरा, पानीपत, भटिण्डा, पारादीप और ट्राम्बे में पांच परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है। प्रत्येक अन्तर्देशीय प्लांट की क्षमता 900 मीटरी टन अमोनिया तथा 1500 मीटरी टन यूरिया प्रतिदिन होगी। तटीय प्लांटों, पर मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन सुविधाओं सहित अधिक प्लांट क्षमता पर विचार किया जा सकता है।

कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स, विशाखापत्तनम् के कर्मचारियों की हड़ताल

1293. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **पैट्रोलियम और रहसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरोमंडल फर्टीलाइजर्स, विशाखापत्तनम् के सभी कर्मचारी हाल ही में एक मास से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त हड़ताल के क्या कारण थे ; और

(ग) कर्मचारीयों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उटाये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग) कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार तकनीकी अपर्यवेशी श्रमिक कर्मचारियों ने वर्ष 1972 के लिए 20 प्रतिशत की अनुग्रह पूर्वक अदायगी करने तथा नौकरी के शीघ्र मूल्यांकन हेतु अपनी मांगों को मनवाने के लिए 20-8-1973 से 23-9-1973 तक हड़ताल की थी। नौकरी सम्बन्धी मूल्यांकन कम्पनी द्वारा पूरा कर लिया गया है तथा उसे 1-10-1973 से लागू कर दिया गया है। अन्य मांगों के बारे में प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों की यूनियन से विचार विमर्श किया जाएगा।

Inclusion of Bansagar Project in Fifth Plan.

1294. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken by Government to include Bansagar Project in the Fifth Five Year Plan;

(b) if so, the main feature thereof;

(c) whether any protest note has been received by the Central Government from Bihar in this regard; and

(d) if so a gist thereof and the action being taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad (a) to (b) The Bansagar Project proposed by Madhya Pradesh in 1969 was objected to by the Government of Bihar and Uttar Pradesh. The State subsequently had discussions on the various issues relating to the Project and the use of Sone waters and concluded an agreement in September, 1973. The revised proposals for Bansagar Project modified in the light of the agreement, have not yet been received from the Government of Madhya Pradesh.

पांचवीं योजना में गांवों को सिचाई और बिजली प्रजनन सुविधाएं देने संबंधी योजनाएं

1295. **श्री पो० गंगादेव** :
श्री के० लकप्पा :

क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने गांवों को सिंकाई और विद्युत प्रजनन सुविधाएं जुटाने के लिए कोई योजनाएं बनाई हैं और उन्हें पांचवीं पंच-वर्षीय योजना में शामिल किया गया है !

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनके वितीय पहलू क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। अंतरिम प्रस्तावों में बृहत तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से लगभग 6.2 मिलियन हैक्टेयर सिंचाई शक्यता और लघु सिंचाई स्कीमों से 6 मिलियन हैक्टेयर की वृद्धि होनी है। 110,000 अतिरिक्त गांवों में बिजली लगाने तथा 15 लाख पम्प सैटों को उर्णित करने का भी प्रस्ताव है।

बृहत तथा मध्यम सिंचाई के लिए लगभग 2400 करोड़ रुपये ; लघु सिंचाई कार्यों के लिए 2760 करोड़ रुपये; जिनमें लगभग 800 करोड़ रुपये; सरकारी क्षेत्र में, संस्थागत संसाधनों से 1460 करोड़ रुपये तथा कृषकों द्वारा अपने संसाधनों से 500 करोड़ रुपये; और ग्राम विद्युतीकरण के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपये के परिव्यय की अंतरिम तौर पर परिकल्पना की गई है ।

आयल इंडिया लिमिटेड के अधिकांश शेयरों का सरकार द्वारा अधिग्रहण

1296. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयल इण्डिया लि० के अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों के अधीन आयल इंडिया का पुनर्गठन किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत सरकार द्वारा आयल इडिया लि० के अधिकांश शेयरों के अधिग्रहण के प्रश्न की सरकार जांच कर रही है अभी तक किसी विशिष्टि प्रस्ताव का निर्णय नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश में मेघना नदी पर भाइराह रेल पुल का चालू किया जाना

1297. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 सितम्बर, 1973 को एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल मेघना नदी पर भाइराह रेल पुल पुनः खोलने के लिए ढाका गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या बंगला देश रेलवे ने इस पुल के द्वारा ढाका को चटगांव से पुनः मिलाने का श्रेय भारतीय रेलों को नहीं दिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

Advocate engaged by Government during 1971, 1972 and 1973 to plead their cases in Superme Court.

1299. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government engage other Advocates for pleading their case in the Supreme Court inspite of their having Government Advocates;

(b) if so, the number of such advocates engaged in 1971, 1972 and 1973 indicating the amount of honorarium given to each of the advocates; and

(c) the reasons for engaging these Advocates ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of advocates engaged during the years 1971, 1972 and 1973 is as under :

Year	No. of Advocates engaged
1971	40
1972	29
1973 (upto 31-10-73)	23

The advocates are not given any honorarium but are paid fees per case in accordance with the terms of their engagement. Statements containing the requisite information are attached as Annexures 'A', 'B' and 'C'. [Placed in Library. *See* No. LT. 5752/73].

(c) Due to heavy pressure of work in the Supreme Court and other High Courts at times it is not possible for the Law Officers and four Junior Standing Counsel to appear in the Central Government cases in the Supreme Court and it becomes necessary to engage other advocates. Some times advocates of eminence to assist the Law Officers in complicated and important cases.

Petro-Chemical Industries Licensed in the last three years

1300. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) which of the Petro-chemical Industries for which licences were inssued during the last three years have not been started so far and which have not been able to achieve the installed capacity;

(b) the reasons therefor; and

(c) the reasons for not revoking the licences of those companies that fail to work according to the terms and conditions laid down in the licences ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) statement is placed at Annexure-I. [Placed in Library. *See* No. LT. 5753/73]. From this it will be seen that the progress has been stisfactory.

(c) Does not arise.

Unserviceable Railway Wagons in 1971-72 and 1972-73

1301. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of unserviceable Railway wagons in the country by the end of 1971-72 and 1972-73 and the amount received by their auction during the said years; and

(b) the number of new Railway wagons manufacutred during the said years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The number of unserviceable wagons available for disposal by the end of :—

1971-72	1038 Nos.
1972-73	1162 Nos.

The amount received by auction of unserviceable wagons during :—

1971-72	Rs. 252.86 lakhs
1972-73	Rs. 160.07 lakhs

(b) The number of new Railway wagons manufactured in terms of four wheelers during :—

1971-72	8533 Nos.
1972-73	10834 Nos.

Supply and Demand of Wagons during 1971-72 and 1972-73

1302. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :—

(a) the number of wagons demanded by the traders during 1971-72 and 1972-73 and the number of wagons supplied during this period; and

(b) the amount of demurrage charges outstanding against the wagons supplied during the said period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The total number of wagons demanded and loaded during 1971-72 and 1972-73 was as follows :—

	Demand for wagons.		Loading of wagons.	
	B.G.	M.G.	B.G.	M.G.
1971-72	7,793,068	2,407,165	7,529,365	2,214,177
1972-73	7,884,458	2,259,798	7,722,954	2,141,722

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Railway Hospitals in Rajasthan

1303. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway Hospitals in Rajasthan;

(b) the average number of patients treated in the Hospitals during the years 1971-72 and 1972-73; and

(c) whether there is any scheme to increase the number of beds and the stock of medicines in these hospitals this year and, if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The Railway Hospitals in Rajasthan are located at the following places :

Ajmer, Udaipur, Abu Road, Kota, Gangapur City, Jaipur, Bandikui, Lalgarh and Jodhpur.

(b) Average daily attendance in these hospitals during 1971-72 and 1972-73 is as follows :

	1971-72		1972-73	
	Inpatients	Outpatients	Inpatients	Outpatients
Ajmer .	204.02	2401.00	208.9	2141.8
Udaipur . .	13.18	366.00	13.1	296.4
Abu Road . ,	22.72	503.9	25.2	492.5
Kota . . .	60.74	1311.5	61.5	1373.4
Gangapur city .	26.80	436.7	25.5	467.3
Jaipur. . .	48.18	637.8	53.3	642.5
Bandikui .	18.59	534.0	16.4	526.7
Lalgarh	67.02	623.20	58.10	721.02
Jodhpur . .	100.35	560.47	99.72	599.80

(c) No.

Recovery of Demurrages Charges from Rajasthan Electricity Board

1304. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred question No. 3117 on the 5th December, 1972 regarding the goods be longing to Rajasthan Electricity Board not removed from wagons and state :

(a) the reasons for not recovering demurrage charges from the Rajasthan Electricity Board by the Railways by the end of 1971-72 and 1972-73 and the concrete steps-taken in this connections; and

(b) the amount of demurrage outstanding till the end of 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The payment of the amount due towards demurrage charges from Rajasthan State Electricity Board has been delayed on some pretext or the other by the Rajasthan Electricity Board. Protracted correspondence and meetings at various levels having proved futile the matter is being taken up by the Western Railway at the level of State Government for the recovery of the outstanding amount.

(b) The amount of demurrage outstanding at the end of 1972-73 was Rs. 20,520 03.

Stranded passengers at Someshwar Station

1305. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some loaves of bread were dropped from helicoters at Someshwar station where 3 Up Delhi-Ahmedabad Express train was stranded due to floods;

(b) whether the said loaves of bread were meant for First Class passengers and were distributed to them only;

(c) whether grams were distributed to other passengers; and

(d) if so, the facts of the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) and (c) Loaves of Bread and grams were distributed to passengers of all classes.

(d) Does not arise.

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल ट्रावनकोर के कोचीन डिवीजन में कार्य

1306. **श्री वयालर रवि :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर के कोचीन डिवीजन की किन किन मुख्य समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो सका है ;

(ख) क्या प्रबंधकों ने संयंत्र की त्रुटियों का सही सही पता लगा लिया है, जिनका वे अभी तक पता नहीं लगा सके थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) कोचीन संयंत्र ने उत्पादन आरंभ कर दिया है लेकिन उसके परिचालन में अभी स्थिरता नहीं आई है। इस बारे में जो समस्यायें सामने आई हैं उनमें से कुछ हैं। अमोनिया संश्लेषण अनुभाग के रिफार्म गैस बायलर व्यर्थ जाने वाली हीट रिकवरी सेक्शन (गर्मी अनुभाग) के प्री-हीटर तथा पानी से ठंडे होने वाले कंडेंसर और अंतरचरणीय कूलर की परिसीमाएं लगभग ऐसी सम्पूर्ण समस्याओं को ढूंढ लिया गया है तथा आवश्यक निवारक कदम उठाये जा रहे हैं। इनको 6 माह की अवधि के भीतर पूरा करने का अनुमान है।

गत 6 महीनों में रेलगाड़ियों के रद्द किये जाने के कारण यात्रियों से होने वाली आय में कमी होना

1307. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री विक्रम महाजन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि गत 6 महीनों में कोयले की कमी के कारण अनेक रेलगाड़ियों को रद्द किये जाने के कारण यात्रियों से होने वाली आय में कितनी कमी हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे विभाग के लिये हिन्दी सलाकार समिति का गठन

1308. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाम के लिए हिन्दी सलाहकार समिति गठन किये जाने में विलम्ब के कारण क्या हैं ;

(ख) इस समिति के कब तक वन जाने की सम्भावना है; और

(ग) विभिन्न रेलवे जोनों एवं केन्द्र में हिन्दी की प्रगति तथा कार्यकरण का समन्वय करने तथा देखभाल करने के लिए इस समय कौन सी व्यवस्था विद्यमान है और कौनसी व्यवस्था किये जाने की संभावना है।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) रेलों के लिए हाल ही में हिन्दी सलाहकार समिति बनायी गयी है।

(ग) क्षेत्रीय रेलों पर हिन्दी की प्रगति से सम्बन्धित काम की देखभाल सम्बन्धित रेलों के मुख्य कार्मिक अधिकारियों द्वारा की जाती है और क्षेत्रीय मुख्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियां इस काम में उनकी सहायता करती हैं। ये समितियां समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करती हैं। क्षेत्रीय रेलों पर हिन्दी कार्य का समन्वय रेल मंत्रालय के हिन्दी निदेशालय द्वारा किया जाता है। जहां तक केन्द्र में स्वयं रेल मंत्रालय के अन्दर हिन्दी की प्रगति का सम्बन्ध है, इसकी निगरानी रेल मंत्रालय की राज भाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है जो उसी प्रकार समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करती है साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा आवधिक रिपोर्टों और विभिन्न स्तरों पर बैठकों के जरिये भी निगरानी रखी जाती है। इन वर्तमान प्रबन्धों के अलावा, रेल मंत्री की अध्यक्षता में नयी बनायी गयी रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति सम्पूर्ण रेलों पर हिन्दी सम्बन्धी नीति और कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन करने के लिए एक उच्च स्तरीय निकाय के रूप म काम करेगी।

रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन को कालावधि में परिवर्तन

1309. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे समय सारणियों के, जो छः महीने की अवधि में अर्थात अप्रैल और अक्तूबर में प्रकाशित हुआ करती थीं, अब केवल नवम्बर में ही प्रकाशित क्यों की जा रही है ?

(ख) वर्ष के दौरान रेल गाड़ियों के चलने के समय सूचना में हुए विभिन्न परिवर्तनों की यात्रियों को कैसे दी जाती है ; और

(ग) क्या सामान्य प्रक्रिया को अब फिर अपनाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मुख्यतः किफायत करने के उद्देश्य से।

(ख) समय सारणी की चालू अवधि में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो समाचार पत्रों में अधिसूचना देकर और स्टेशन नोटिस बोर्डों पर नोटिस लगा कर यात्री जनता को उसकी सूचना दे दी जाती है।

(ग) वर्ष में दो बार समय सारणी प्रकाशित करने की परिपाटी को फिर से शुरू करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन विद्युत् परियोजनाओं संबंधी योजनायें

1310. **श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा विद्युत परियोजनाओं संबंधी कितनी योजनाएं योजना आयोग को भेजी गयी है और जो अब तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के पास विचाराधीन हैं ;

(ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1973 के बीच ऐसी कितनी योजनायें हैं जिनके संबंध में कार्यवाही की गयी तथा उन्हें स्वीकृति प्रदान की गयी ; और

(ग) राज्यवार कितनी योजनायें विचाराधीन हैं और प्रत्येक को प्रस्तावित क्षमता क्या है ?

सिचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा प्रस्तुत विद्युत परियोजनाओं के लिए 71 स्कीमों की जांच इस समय केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में की जा रही है। इनमें से केवल सात स्कीमें पांचवीं योजना के लिए हैं और शेष स्कीमें उसके बाद की योजनाओं के लिए अग्रिम कार्यवाही के रूप में है।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान 21 विद्युत स्कीमें योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गयी थीं।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण (उपाबंध) में दी गयी है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5754/73]

कूलिंग वाटर रिजर्वायर के दूषित हो जाने के कारण बदरपुर तापीय बिजली घर का बन्द किया जाना

1311. **श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूलिंग वाटर रिजर्वायर के दूषित हो जाने के कारणं बदरपुर तापीय बिजली घर को कुछ दिनों के लिए बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो दूषण के कारण क्या हैं और क्या इस बारे में कोई चांज की गयी है तथा दूषण के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार को आकस्मिक घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) आगरा नहर के जरिए प्राप्त जल के दूषित हो जाने के कारण बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र को 7 से 16 अक्तुबर, 1973 तक नहीं चलाया जा सका।

(ख) और (ग): विद्युत संयंत्र के लिए अपेक्षित जल आगरा नहर से लिया जाता है। विद्युत गृह के अनुप्रवाह की दिशा में नहर के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप नहर में पानी का बहाव कम हो गया था। इस मामले की जांच करने से यह पता चला कि ओखाला जल निकास सयन्त्र से नहर में अर्द्ध-शोधित गन्दे पानी के मिल जाने के कारण उसका पानी दूषित हो गया था। आगरा नहर में कम-से-कम गन्दा पानी पड़े, इसके लिए परियोजना अधिकारियों ने उपाय किये और ओखला शीर्ष-कार्यो से ताजा पानी लाने के लिए भी व्यवस्था की जिससे कच्चे पानी की क्वालिटि में सुधार लाया जा सके। भविष्य में इस प्रकार की घटना से बचने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया गया है कि खुली नाली के गन्दे जल को सीधे यमुना नदी में व्यवर्तित करने के लिए एक और एक्वीडक्ट बना दी जाए।

जांच कार्य को निपटाने के लिये एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का पुनर्गठन

*1312. **श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान एकाधिकार प्रतिवन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत जांच निदेशक द्वारा कितने मामले जांच के लिए लिए गये और कितने मामलों की सफलतापूर्वक जांच की गयी;

(ख) क्या वर्तमान व्यवस्था एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत जांच कार्य को निपटाने के लिए पर्याप्त है;

(ग) क्या एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को विभिन्न शाखाओं का पुनर्गठन न करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेताब्रत बरुआ) : (क) जांच निदेशक 1 जून, 1971 को नियुक्त किया गया था । उसे 1971-72 के मध्य पांच मामले तथा 1972-73 के मध्य सात मामले, प्राथमिक जांच-पड़ताल के लिए निर्देशित किये गये थे । उसने अभी तक सात मामलों की रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं । इनमें से एक मामले में पार्टी ने व्यवस्थाओं का अपखण्डन कर दिया एवं एक दूसरे मामले में अयोग की यह परिवाद के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही प्रतीत नहीं हुई । आयोग ने अभी तक तीन मामलों में कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की हैं । शेष तो रिपोर्ट आयोग के विचाराधीन हैं;

(ख) नहीं ।

(ग) तथा (घ) आयोग ने कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी वर्ग की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं, एवं यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

अक्तूबर 1973 में बम्बई में हुए वार्षिकोत्सव समारोह में भारतीय औषध निर्माता एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा दिये गये भाषण में उठायी गयी बातें

1313. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय औषध निर्माता एसोसियेशन के अध्यक्ष द्वारा, बम्बई में 19-22 अक्तूबर, 1973 में हुए 12वें वार्षिकोत्सव समारोह में दिये गये भाषणों की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस में उठायी गयी बातें विशेषकर इस कथन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, यदि पर्याप्त कच्ची सामग्री सप्लाई की जाये तो भारतीय औषध उद्योग अपने उत्पादन को दुगना और तिगुना कर सकात है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय औषध निर्माता संघ के अध्यक्ष द्वारा दिये गये सुझाव नोट किये गये हैं । औषध आयोग के भारतीय क्षेत्र को विकास तथा मार्केट का अधिकतर भाग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है और इस उद्देश्य से निम्न सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं :—

(1) निर्माण योजनाओं में उद्योग के भारतीय क्षेत्र को अधिमान दिया जाता है ।

(2) और अधिक संख्या में प्रमुख औषधियों का सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्माण ;

(3) विदेशी फर्मों को प्रायः सूत्रयोगों के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसें नहीं दिये जाते, जब तक कि प्रपुंस औषधियों को उत्पादन से संयुक्त नहीं किया जाता ।

(4) क्षमता विस्तार के लिए नई क्रिया लेने के लिये शर्त के तौर पर, विदेशी कम्पनियों से प्रपुंस औषधियों का और अधिक मूल स्तर से निर्माण करने तथा उसकी ओर अधिक प्रतिशतता देश में असम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को उपलब्ध करने के लिये कहा जाता

(5) क्षमता विस्तार तथा नई क्रिया आरम्भ करने के लिये शर्त के तौर पर विदेशी **फर्मों** पर उपर्युक्त निर्यात दायित्व रखा जाता है ।

(6) निर्माण क्रियाओं में विस्तार की स्वीकृति के समय विदेशी ईक्वटी में निरन्तर कमी करने **और** भारतीय शेयर होलडिंग में उसी अनुपात में वृद्धि की शर्त लगाई जाती है ।

सारणीबद्ध कच्चे माल के विनियोजन के विषय में लघु पैमाने के एक्कों के साथ पहले से ही अधिमान्य व्यवहार किया जाता है ताकि वे अपनी क्षमता का पूरा पूरा उपयोग करके विकास की अधिकतर दर प्राप्त कर सकें ।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा निर्मित औषधियों के निर्यात का अध्ययन

1314. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी ईक्वटी पूंजी वाली फर्मों द्वारा निर्मित औषधियों के निर्यात के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का अध्ययन शीघ्र करने का है;

(ग) क्या उपरोक्त विदेशी औषध फर्में हानि उठाकर इन का निर्यात कर रही हैं वह हानि इस देश के उपभोक्ताओं से पूरी की जाती हैं; और

(घ) क्या ये फर्में अपनी मुख्य सहयोगी फर्मों के हितों को सिद्ध करने के लिये अपने उत्पादनों का निर्यात कर रही है, न कि इस देश के हितो को ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ) अध्ययन कार्य करने के लिये विदेशी औषध फर्मों द्वारा किये गये निर्यात के ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं।

अरब की खाड़ी के देशों से भारत द्वारा आयातित अशोधित तेल के बढ़ते हुये मूल्यों के बारे में जांच

1315. **श्री सी० के० जाफर शरीफ:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा अरब की खाड़ी के देशों से आयातित अशोधित तेल के मूल्य में हो रही वृद्धि के बारे में कोई जांच की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति एक विश्व व्यापी तथ्य है और इसके जारी रहने की आशा हैं । इस समय मार्केट विक्रेत का है । अतः कच्चा तेल कम दामों पर इस समय नहीं खरीदा जा सकता। अन्य सभी देशों की तरह भारत को भी विश्व बाजार में विद्यमान मूल्यों पर कच्चा तेल खरीदना होता है।

नई विद्युत योजना

1316. **श्री सी० के० जाफर शरीफ:**

श्री जी० वाई० कृष्णन: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना से सम्बद्ध किये बिना ही कोई विद्युत योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख): जी नहीं। पहले किए गए अध्ययन और प्रस्ताव केवल पांचवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में सहायता के लिये थे।

कर्नाटक में कालिन्दी पण-बिजली परियोजना चरण-2 से सम्बन्ध प्रेषण प्रणाली परियोजना

1317. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर को चौथी योजना में शामिल करने के लिये कर्नाटक को कालिन्दी पण-बिजली परियोजना चरण-2 के साथ सम्बद्ध प्रेषण प्रणाली योजना को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत सहित तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं:

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) स्कीम में निम्नलिखित लाइनों का निर्माण सम्मिलित है:—

(1) नागझारी से हुबली (65 किलोमीटर) 220 के०वी० डी/सी

(2) हुबली से दावानगेर (134 किलोमीटर) 220 के०वी० डी/सी

(3) दावानगेर से बंगलौर (260 किलोमीटर) 220 के०वी० डी/सी

(4) हुबली से बैलगांव (तीसरा सर्किट—97 किलोमीटर) 220 के० वी० डी/सी

(5) शिमोगा से बंगलौर (चौथा सर्किट—275 किलोमीटर) 220 के०वी० डी/सी

(6) शिमोगा से मंगलौर (द्विवतीय सर्किट—191 किलोमीटर) 220 के०वी० डी/सी

110 के० वी० डी/सी लाइनें

(1) सूपा से नागझारी विद्युत घर (40 किलोमीटर)

(2) सूपा से करवार (83 किलोमीटर)

(3) सूपा से डाण्डेली (10 किलोमीटर)

स्कीम पर 22.15 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए तमिलनाडु से नई सिंचाई योजनाएं

1318. **श्री सेझियान**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान प्रारम्भ करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने कुछ नई सिंचाई योजनाओं का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सुझाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजनाओं को मंजूरी दे दी है?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग): तमिलनाडु में निर्माणाधीन 3 वृहत् और 9 मध्यम सिंचाई स्कीमों पर पांचवीं योचना में भी काम चालू रहेगा। राज्य सरकार का 2 वृहत् और 32 मध्यम स्कीमों को भी हाथ में लेने का विचार है। अब तक केन्द्रीय जल और विद्युत

आयोग में दो वृहत् स्कीमों (पुराने कावेरी डेल्टा का आधुनिकीकरण और पैरियर चैनलों का सुधार) और दो मध्यम स्कीमों (कोल्लिमालाई और वटरट्टुपल्लम) के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

"वी० आई० पीज० काज डिले आफ़ ट्रेन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1319. **श्री रणबहादुर सिंह :**

श्री के० एम० मधुकर :

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अक्तूबर, 1973 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में "वी० आई० पीज० काज डिले आफ ट्रैन्स" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार को क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां ।

(ख) इस आशय के अनुदेश के पहले ही से मौजूद हैं कि अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए रेलगाड़ी रोकी न रखी जाएँ और ये अनुदेश फिर से जारी किये जा रहे हैं ।

खम्भात के बेसिन में कोयले के बीच में 'तेल के निक्षेप' का होना

1320. **श्री रणबहादुर सिंह:**

श्री जी० वाई० कृष्णन:

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात बेसिन में कोयले के बीच 'तेल के निक्षेपों' का पता चला है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह बहुत पहले से ही मालूम था और कलोल क्षेत्र में 1964 से कोयले वाले समतलों का तेल के लिए वाणिज्यिक प्रयोग किया जा रहा है ।

भाखड़ा बिजली घर में आग

1321. **श्री रणबहादुर सिंह :**

श्री वाई ईश्वर रेड्डी:

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भाखड़ा बिजलीघर में आग लगने से पर्याप्त हानि हुई है;

(ख) क्या ट्रांसफार्मरों के जलने का कारण तोड़ फोड़ था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) 13 अक्तूबर, 1973 को भाखड़ा वाम तट विद्युत घर के स्विचयार्ड में आग लगने के कारण 11/66/222 के० वी० अन्तःसम्पर्क ट्रांसफार्मर बैंक और सहायक 11 के० वी० स्विचगियर को बुरी तरह क्षति हुई, जिसके कारण काफी हानि हुई

(ख) आग 11 के० वी० प्रणाली में बिजली की गड़बड़ी के कारण लगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पैट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मिलावट संबंधी मामले

1322. श्री के० मालन्ना: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान, राज्यवार, पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों के मिलावट सम्बन्धी कितने मामले सरकार के नोटिस में लाये गये; और

(ख) इस बारे में सरकार ने कौन से उपाये किये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मिट्टी के तेल की मोटर स्प्रिट के साथ मिलावट के कारण इंजन में खराबी उत्पन्न होती है और थोडे से केसों को छोड़ कर इस प्रकार के वड़े पैमाने पर मिलावट की रिपोर्टें नहीं मिलती है। मिट्टी के तेल की एच एस डी ओ के साथ वड़े पैमान पर इन दो उत्पादों के मूल्य में अधिक अन्तर के कारण, मिलावट हो रही थी। इन दो उत्पादों का मूल्य अब लगभग बराबर होने के कारण अब मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है।

धनबाद (पूर्व रेलवे) के सी० आई० आर० निरीक्षकों द्वारा मामलों का पता लगाया जाना

1323. श्री चन्द्रशेखर सिंह :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद के सी० आई० आर० निरीक्षकों द्वारा अचानक छापे मारकर या अन्य किसी तरीके से पता लगाये मामले का विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा पूर्व रेलवे के डिवीजन में सितम्बर, 1971 से 15 जुलाई, 1973 तक कौन-कौन से विशिष्ट मामले दर्ज किये गये;

(ख) प्रत्येक मामले में अपराधी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) दांडिक अपराधों के इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध रेलवे प्रशासन द्वारा नियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) रेलों पर सी० आई० आर० निरीक्षक नहीं होते। लेकिन पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल के रेलवे सुरक्षा दल में सी० आई० बी० (अपराध आसूचना शाखा) निरीक्षक हैं। 15 सितम्बर, 1971 से 15 जुलाई, 1973 तक की अवधि में उन्होंने 63 मामलों का पता लगाया, 1,85,883 रुपये मूल्य की चुरायी गयी रेल सम्पति बरामद की तथा 213 बाहरी व्यक्तियों और 6 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया, जिन सभी पर मुकदमा चलाया गया है। इन में से अब तक, 11 बाहरी व्यक्तियों और एक रेल कर्मचारी को सजा हो चुकी है और शेष लोगों पर अदालत में मुकदमा चल रहा है।

प्रशासनिक कार्यालयों और वर्कशाप आदि कर्मचारियों के बीच काम के घंटों में असमानतायें

1324. श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के प्रशासनिक कार्यालयों और अन्य कार्यालयों जैसे वर्कशाप, लोको शेड और डिपुओं आदि में कार्य कर रहे कर्मचारियों के काम के घंटों में असमानतायें दूर करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देकर उनकी क्षतिपूर्ति करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच करने के बाद यह विनिश्चय किया है कि काम के वर्तमान घंटों में या समयोपरि भत्ते की मंजूरी की वर्तमान प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं होगा । रेलवे श्रम अधिकरण, 1969 ने नेशनल फेडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन के इस मांग पर भी विचार किया था और नामजूंर कर दिया था कि एक ओर रेलवे स्टेशनों, शेडों और डिपुओं में नियुक्त लिपिकों के लिए इस समय निर्धारित कार्य घंटों और दूसरी ओर प्रशासनिक कार्यालयों के लिपिकों के लिए निर्धारित कार्य घंटों की असमानता को दूर किया जाये या प्रतिपूरक राहत दी जाये । लेकिन अधिकरण ने यह सिफारिश की थी कि संबंधित लिपिक कर्मचारियों को बारी-बारी से फील्ड और गैर-फील्ड कार्यालयों में रखा जाये और यह सिफारिश मंजूर कर ली गयी है ।

अनुसचिवीय कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में आल इंडिया रेलवेज एम्पलाइज कन्फेडरेशन द्वारा ज्ञापन

1325. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवेज एम्पलाइज कन्फेडरेशन ने अनुसचिवीय कर्मचारियों की 96 प्रतिशत पदोन्नति सहित रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के बारे में प्रधान मंत्री को संबोधित करते हुए 23 अप्रैल, 1973 को उप रेल-मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में पदों के वितरण के प्रश्न पर न्यायमूर्ति शंकर शरण अधिकरण ने विचार किया था । अधिकरण द्वारा दिये गये अधिनिर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है। तीसरे वेतन आयोग ने प्रतिशत आधार पर पदों के ग्रेडवार वितरण की वर्तमान प्रणाली की व्यापक समीक्षा करने की सिफारिश की है । जब यह समीक्षा की जायेगी तो उस समय महासंघ की मांग पर भी विचार किया जायेगा ।

धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में सिगनेलरों के रिक्त पड़े पद

1326. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** :

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद डिवीजन, पूर्व रेलवे म सिगनलरों के कुछ पद बहुत समय से रिक्त पड़े हुए हैं।

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है; और

(ग) क्या धनबाद डिवीजन में सिगनलरों के रूप में कार्य कर रहे कर्मचारी छुट्टी इस कारण से नहीं मना पाते हैं क्योंकि रीलीविंग सिगनेलरों का उपयोग स्थायी रिक्तियों में किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) समूचे धनबाद मण्डल में जुलाई, 1971 से केवल एक पद खाली पड़ा हुआ है। इस पद तथा हाल में रिक्त हुए अन्य पदों के लिए रेल सेवा आयोग ने उम्मीदवारों की भर्ती की है और नियुक्ति-पत्र भेज दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

पश्चिम रेलवे (अजमेर डिवीजन) के संवर्ग की समीक्षा करने संबंधी नियम

1327. श्री चन्द्रशेखर सिंह :

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेल मंत्री** पश्चिम रेलवे (अजमेर डिवीजन) के संवर्ग की समीक्षा करने सम्बन्धी नियमों के बारे में 9 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5481 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त समीक्षा 1 अक्तूबर, 1961 से न करने और 1 अप्रैल, 1963 तक प्रशासन द्वारा देरी लगाये जाने के क्या कारण थे, और

(ख) क्या सरकार का विचार 1 अक्तूबर, 1961 से उक्त समीक्षा को लागू करने सम्बन्धी आदेश जारी करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्यों का आशय लोक सभा में 9 मई को दिये गये अतारांकित प्रश्न सं० 5481 के उत्तर से है। उस समय लागू आदेशों के अनुसार संवर्गों की वार्षिक समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में करनी पड़ी और आवश्यक समायोजन वास्तविक निर्णय की तारीख से करने पड़े न कि पूर्व व्याप्ति की तारीख से। पश्चिम रेलवे के अजमेर मण्डल में वाणिज्यिक क्लर्कों के संवर्ग की वार्षिक समीक्षा, जो 1-4-61 को होनी थी, कतिपय अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से विलम्ब से हुई थी। इस मामले में 1-10-61 से समायोजन करना सम्भव नहीं है क्योंकि इसकी बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया होगी।

चौथी योजना के दौरान तेल शोधन क्षमता के लक्ष्य

1328. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल-शोधन क्षमता की उपलब्धि के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार पैरेफिन लुब्रीकेंटस के निर्माण की अतिरिक्त क्षमता बनाने के लिये कार्यवाही करने का है जिससे देश इन उत्पादों में आत्म-निर्भर हो सके ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में योजना की अवधि के अन्त तक 25.55 मिलियन मीटरी टन की शोधित क्षमता प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी हां।

अधिकतम बिजली उत्पन्न करना सुनिश्चित करने के लिए नई पद्धति

1329. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकतम बिजली उत्पन्न करना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार एक नई पद्धति पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति के अंतर्गत संयंत्रों को कब और कहां पर स्थापित किया जायेगा; और

(ग) क्या इस तरह का कोई संयंत्र तामिलनाडू में भी स्थापित किया जायेगा?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) : विद्युत् प्रणालियों में अधिकतम भार वहन करने की क्षमता की व्यवस्था करने के लिए देश में जल-विद्युत् प्रतिष्ठानों में 'पम्प जल संचय' के समुपयोजन की नयी पद्यति शुरू की जा रही है।

(ख) और (ग) पांचवीं तथा छटी योजना की शुरू की अवधि के दौरान लाभ देने के लिए निम्नलिखित पम्प जल संचय योजनाएँ (तमिलनाडु में एक योजना को मिलाकर) त्रियान्वयव के लिए शुरू कर दी गयी हैं :—

(1) गुजरात में 60-60 मैगावाट की प्रतिष्ठापित विययुत् उत्पादन क्षमता के 4 यूनिटों के साथ कडाना।

(2) आन्ध्र प्रदेश में 50-50 मैगावाट के 2 यूनिटों के प्रतिष्ठापन के साथ नागार्जुनसागर चरण-एक ।

(3) तमिलनाडु में 100-100 मैगावाट के 4 यूनिटों के प्रतिष्ठापन के साथ कदमपरायी ।

(4) महाराष्ट्र में 12 मैगावाट के एक यूनिट के प्रतिष्ठापन के साथ पैथान ।

विद्युत् उपकरणों का आयात

1330. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उपकरणों के आयात की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) कुल कितने मूल्य के उपकरणों के आयात के लिए अमुमति दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार की नीति है कि आमतौर से विद्युत् उत्पादन उपस्कर के आयात की अनुमति नहीं दी जाती। बहरहाल, विशेष मामलों में सरकार ने संयंत्र तथा उपस्कर के आयात को, जब इस अत्यावश्यक समझा गया है; समय-समय पर अनुमति दी गई है। 1972 से छः विद्युत् परियोजनाओं के लिए संयंत्रों के आयात की अनुमति दी गई थी जिसमें 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा निहित है। एक विशेष मामले के बारे में भी 1973 में 28.59 करोड़ रुपये के मूल्य के डीजल विद्युत् उत्पादन सैटों को आयात करने की अनुमति भी दी गई थी।

तूतीकोरिन तापीय परियोजना

1331. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की तकनीकी समिति ने तूतीकोरिन तापीय परियोजना को मंजूरी दे दी थी;

(ख) क्या योजना आयोग ने अपनी मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो योजना आयोग द्वारा कब तक मंजूरी दे दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) तूतीकोरिन तापीय परियोजना के कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) परियोजना रिपोर्ट के अनुसार स्कीम के 1978-79 में चालू होने की सम्भावना है।

टकरू जांच समिति द्वारा किये गये काम की प्रगति

1332. श्री एस० ए० मरगनन्तम : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टकरू जांच समिति का काम किस अवस्था में है;

(ख) जांच को पूरा करने में कितना समय लगेगा;

(ग) जांच पूरा करने में इतना अधिक समय लगने का क्या कारण हैं; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि सरकारी विभाग जांच में कोई बाधा न डालें व उसमें विलम्ब न करें ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जांचे गये 37 गवाहों में से 34 की गवाही अब तक रिकार्ड की गई है और शेष गवाहों का परीक्षण शीघ्र सम्पन्न होने की आशा है । गवाही के पूरा होने पर विभिन्न पार्टियों के वकील अपनी तर्क/निवेदन तैयार व प्रस्तुत करेंगे और आशा है कि आयोग उनकी सुनवाई के उपरान्त अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(ख) आशा की जाती है कि आयोग 31 मार्च, 1974 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(ग) जांच में कई प्रकार के मामले और कई एक पार्टियों के आवेष्टित होने के कारण, जांच में अधिक समय लग रहा है ।

(घ) जिस किसी सहायना के लिए आयोग अनुरोध करता रहा है वह दी गई है और किसी सरकारी विभाग द्वारा किसी रुकावट या विलम्ब का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ है ।

समुद्री कटाव को रोकने के तरीके

1333. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री सी० जनार्दन :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कालीकट से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र 'मातृभूमि' में समुद्री कटाव को रोकने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, केरल राज्य सरकार से लेख में दिए गए सुझावों की जांच करने का अनुरोध किया गया है जो कि प्रारम्भिक तौर पर समुद्री कटाव रोधी स्कीम के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है ।

रेलवे गैरेज लोडिंग और लोडिंग श्रमिकों की मांग

1334. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे गैरेज लोडिंग और लोडिंग श्रमिकों के मजदूर संघों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं, और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"न्यू स्कीम फॉर फोरन आयल कम्पनीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1335. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 सितम्बर, 1973 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में "न्यू स्कीम फॉर फारेन आयल कम्पनीज (विदेशी तेल कम्पनियों के लिए नई योजना)" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलयम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी, हां । तीन विदेशी तेल कम्मनियों पर प्रभावी नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के पास विभिन्न विकल्पों की विस्तृत जांच हो रही है ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के आयात में कमी

1338. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में तेल-शोधक कारखानों को चलाने वाली विदेशी तेल कम्पनियों ने बिना किसी औचित्य के मध्य पूर्व देशों से अशोधित तेल की सप्लाई को कम कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कंपनियां कौन-कौन सी हैं और कितनी कमी की गई है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलयिम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) तेल पैदा करने वाले अरब देशों द्वारा तेल को राजनैतिक शास्त्र बनाने के कारण, अरब देशों वहां से कच्चे तेल के उत्पादन तथा वहां से निर्यात में भारी कमी हो गई है । इसके परिणामस्वरूप वहां पर स्थित विदेशी तेल कम्पनियों के लिए जो उन देशों के उत्पन्न होने वाले कच्चे तैल की प्रपुजं मात्रा का व्यापार करते हैं, तेल की प्राप्ति में भारी कमी हो गई है । भारत में जिन तीन विदेशी तेल कम्पनियों की तटीय शोधनशालाएं है जैसे :—बर्मा-शैल, एस्सो और कालटैक्स, ने सूचना दी है कि उनको प्राप्त होने वाले कच्चे तेल की मात्रा में भारी कटौती हो जाने के कारण, उनके पास अपनी समस्त शोधनशालाओं तथा ग्राहकों तथा उनकी भारत में स्थित शोधनशालाओं को भी कच्चे तेल की जाने वाली सप्लाई बराबर मात्रा में कटौती करने के अलावा और कोई चारा नहीं है । उन्होंने यह भी

आश्वासन दिया है कि वे भारतवर्ष को होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई को किसी ऐसे अन्य देश को नहीं कर रहे है जिसकी सप्लाई पर अरब सरकारों द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन तीन विदेशी तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई में की जाने वाली कमी के वास्तविक ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हो सके है। लेकिन इन तेल कंपनियों द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई की जाने वाली कटौती का कच्चे तेल या शोधित तेल उत्पादों के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग

1339. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई परियोजनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता का उपयोग करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना में ऐसे क्या उपाय और व्यवस्था करने का विचार है जिनसे सिंचाई क्षमता का शीघ्र पूरा उपयोग किया जा सके।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अनुमान लगाया गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान क्रियान्वयनार्थ हाथ में ली गई बृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चौथी योजना के अन्त तक 11.7 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई शक्यता उत्पन्न करेंगी। इसके प्रति समुपयोजन 9.9 मिलियन हैक्टेयर हैं। इस प्रकार समुपयोजन का राष्ट्रीय औसत लगभग 8.5 प्रतिशत है।

(ख) समुपयोजन में और सुधार तथा उत्पादन को अधिकतम करने की दृष्टि से पांचवीं योजना में कमानगत क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने का विचार है तथा इस उद्देश्य के लिए सरकारी क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ रुपये का तथा संस्थानिक क्षेत्र में लगभग 210 करोड़ रुपये का परिव्यय परिकल्पित किया गया है। कई एक परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में अन्तर-अनुशासनात्मक विकास प्राधिकरण गठित करने भी प्रस्तावित हैं। कुछ क्षेत्रों में, जहां हाल ही में नहर से सिंचाई शुरू की गई है, समेकित और तीव्र सिंचाई विकास के लिए पाइलाट परियोजनाओं को शुरू किए जाने का भी प्रस्ताव है।

आगामी पांच वर्षों में अपेक्षित विद्युत प्रजनन तथा परिषण उपकरण और मशीनरी की उपलब्धता

1340. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि अगामी पांच वर्षों में लगाये जाने वाले विद्युत् प्रजनन और परिषण उपकरण तथा मशीनरी समय पर उपलब्ध हो जायेगी ;

(ख) पहले अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में क्या व्यवस्था और विशेष सावधानी बरती गई है ; और

(ग) क्या इस संबंध में देशी क्षमता जिस पर निर्भर किया जा सकता है, संबंधी मामले की जांच करने के लिये कोई विशिष्ट अध्ययन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वदेशी निर्माण संयंत्रों से

पांचवीं योजना के दौरान हाथ में लिए जाने के लिए प्रस्तावित विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं के लिए संयंत्र एवं उपस्कर के मुख्य भागों का निर्माण करने की अपेक्षा है। संयंत्र और उपस्कर की ऐसी मदों की व्यवस्था समुचित आयात द्वारा की जाएगी जहां स्वदेशी निर्माताओं द्वारा दी गई सुपुर्दगी अनुसूची, परियोजना प्रचालन अनुसूची से मेल नहीं खाती है अथवा जहां स्वदेशी निर्माता प्रत्यावर्ती पम्प-टर्बाइन संयंत्र जैसे संयंत्र की अपेक्षित किस्म की सप्लाई करने में असमर्थ हैं।

(ग) इस प्रश्न पर विचार करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित मंत्रियों की समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है।

गार्डनरीच में दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन

1341. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गार्डनरीच में दक्षिण-पूर्व रेलवे मुख्यालय के कर्मचारियों द्वारा निरन्तर किये जा रहे आन्दोलन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य मांग यह है कि 450-575 रु० के ग्रेड में मुख्य प्रगति निरीक्षकों के पद केवल गार्डनरीच के मुख्यालय कर्मचारियों द्वारा ही भरे जाने चाहिएं, पूरी रेलवे के आधार पर नहीं।

(ग) कर्मचारियों और श्रम संगठनों से बातचीत चल रही है।

दूसरे दर्जे के स्थानों को समाप्त किया जाना

1342. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी गाड़ियों में दूसरे दर्जे के स्थानों को समाप्त करने के लिए कोई निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) बहुत सी गाड़ियों में से दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे हटा दिये गये हैं। अब ये केवल थोड़ी ही महत्वपूर्ण गाड़ियों में उपलब्ध हैं। इस दर्जे के हटाये जाने का काम 31-3-1974 तक पूरा कर लिया जायगा। तदुपरान्त, वर्तमान तीसरे दर्जे को दूसरा दर्जा कहा जायेगा।

दक्षिण रेलवे पर एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों को डीजल से चलाने संबंधी सरकारी निर्णय

1343. **श्री मोहम्मद शरीफ :**
श्री राम सहाय पांडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में दक्षिण रेलवे पर एक्सप्रस और मेल रेलगाड़ियों को डीजल से चलाने का कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की रूप रेखा क्या है ; और

(ग) अन्य जोनल रेलवे के बारे में स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) डीज़ल इंजनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, जिनकी सबसे पहले आवश्यकता अनिवार्य माल यातायात की निकासी के लिए होती है, सभी रेलों पर लम्बे सफर की भीड़भाड़ वाली डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीज़लीकरण एक कार्यक्रम के आधार पर किया जा रहा है । इस समय दक्षिण रेलवे पर किसी डाक/एक्सप्रेस गाड़ी के डीजलीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन निकट भविष्य में उत्तर रेलवे में मुगलसराय और जम्मूतवी के बीच 51 अप/52 डाउन सियालदह-जम्मूतवी एक्सप्रेस का तथा पश्चिम और उत्तर रेलवे में अजमेर और दिल्ली के बीच 31 अप/32 डाउन दिल्ली-अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस का डीजलीकरण करने का विचार है ।

सहायक भंडार नियंत्रक (उत्तर रेलवे) के पद के लिए उम्मीदवारों का चयन

1344. श्री राम स्वरुप :

[श्री राज देव सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में सहायक भंडार नियंत्रक के पद के लिये उम्मीदवारों के चुनाव के लिए 22 अप्रैल, 1973 को एक परीक्षा ली गई थी और 16 जुलाई, 1973 को एक अनुपूरक परीक्षा ली गई थी ;

(ख) क्या पहले 16 उम्मीदवार परीक्षा में पास हुए परन्तु बाद में 10 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । लिखित परीक्षा में केवल 10 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई संबंधी परियोजनाओं को बिजली की सप्लाई

1345. श्री राम सहाय पांडे : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली की सप्लाई कम होने से बहुत सी सिंचाई संबंधी परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन रुका पड़ा है ;

(ख) क्या बिजली की सप्लाई न होने से प्रायः नलकूप बंद हो जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका मूल्यांकन क्या है और सिंचाई कार्यों के लिए बिजली की नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये कौन से उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बृहत् तथा मध्यम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन में सामान्यतया विद्युत् प्रणाली से आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। अतः देश में सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विद्युत आपूर्ति की कमी से कोई बाधा नहीं पड़ी।

(ख) और (ग) गत वर्ष के सूखे तथा विद्युत की कमी की स्थिति के दौरान भी कृषि उद्देश्यों के लिए विद्युत आपूर्ति को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और लिफ्ट सिंचाई के लिए नलकूपों को ऊर्जा आवश्यकता को सब मिला कर पूर्ति की गई थी। प्रणाली में शीर्ष भारों को सीमित करने के लिए कुछ राज्यों में बहरहाल, विद्युत आपूर्ति के घण्टों में विभिन्नता/पाबन्दी लगानी पड़ी और कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की पाबंदियां अभी भी जारी की जाती हैं। यह आशा है कि ये पाबंदियां विद्युत को उपलब्धता में सुधार होने पर समाप्त हो जाएंगी।

दिल्ली के निचले न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या

1346. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर में अपराध की घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि के कारण मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या को निपटाने के लिए दिल्ली के निचले न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या अपर्याप्त है :

(ख) क्या मुकदमों का शीघ्र निपटाया जाना सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली के न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय सोचे गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) दिल्ली के निचले न्यायालयों में और साथ ही उच्च न्यायालय में संस्थित किए जाने वाले दाण्डिक और सिविल मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दिल्ली प्रशासन के समक्ष प्रस्ताव रखा है कि संक्षिप्त किए जा रहे सिविल और दाण्डिक मुकदमों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अपर जिला तथा सत्र न्यायाधीशो की संख्या और दिल्ली न्यायिक सेवा प्रवर्ग में लिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए।

भूतापीय बिजली के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से हिमाचल प्रदेश में खुदाई

1347. **श्री एस० एस० शिवस्वामी :**

श्री राज देव सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र की सहायता से भू-तापीय बिजली के परीक्षण हेतु हिमाचल प्रदेश के मनीकरण में खुदाई कार्य कराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) : जबकि वास्तविक खुदाई कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है, प्रारम्भिक अध्ययन जैसे गर्म-प्रपात के जल के रासायनिक विश्लेषण प्रतिरोधकता और ताप सर्वेक्षण किए जा चुके हैं।

गुन्टाकुल डिविजन (पश्चिम रेलवें) में सिगनल तथा दूर संचार विभाग के मैंटनरों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

1348. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री गुन्टाकुल डिविजन दक्षिण रेलवे में ब्लाक सिगनल में मेटनर्स, सिगनल तथा इन्टरलाकिंग गटनर्स तथा इलेक्ट्रिक फिटरों (तार) के बेतनमानों के बारे में 2 मार्च 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 4638 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण रेलवे के गुन्टाकुल डिवीजन में सिगनल तथा दूर संचार विभाग के मैंटेनरों के पदों का दर्जा बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्टेशन वार कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया है; और

(ग) यदि नहीं तो रेल प्रसाशन का यह कार्य कब तक करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) दक्षिण रेलवे के रेणिगुंटा गुतकल्लु खंड के निम्नलिखित स्टेशनों अर्थात् रेणिगुंटा (उत्तर), कोंड्रूरू नंडलूरू (दक्षिण), नंडलूरू (उत्तर), कुड्डापार, मुद्दनुरू, कोंडापुरम, टाडेपल्ली, गुट्टी (उत्तर) और गुट्टी (दक्षिण) पर ब्लाक सिगनल अनुरक्षकों के सात पदों का ग्रेड 130-212 रुपये (अ० व०) से बढ़ाकर 175—240 रुपये (अ० वे०) किया गया और 175--240 रुपये (अ० वे०) के ग्रेड में तीन अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया।

स्वीकृत मानवंड के अनुसार पश्चिम रेलवें में सिगनल कर्मचारियों की संख्या

1349. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में सिगनल कर्मचारियों के लिये कोई मानदंड है जो 1959 में वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य रेखा अधिकारी (एफ० ए० एन्ड सी० ए० ओ०) द्वारा विधिवत् रूप से स्वीकृत किया गया था और क्या इसे पश्चिम रेलवे की सभी डिविजनों में लागू किया गया हैं;

(ख) क्या इस मानदंड के अनुसार आर० जे० टी० डिविजन की सिगनल शाखा में केवल 40 प्रतिशत कर्मचारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार सम्पूर्ण पश्चिम रेलवे में इस मानदंड को क्रियान्विल करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है और आर० जे०टी० डिवीजन की सिगनल शाखा में पर्याप्त कर्मचारी कब तक उपलब्ध कराये जायगें ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : **(क) से (ग)** सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल रख दी जायेगी।

पश्चिम रेलवे की आर०जे०टी० डिवीजन के इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनीकल सिगनल मेंटेनर्स के वर्गीकरण में परिवर्तन

1350. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल सिगनल मेन्टेनर्स पश्चिम रेलवे को आर० जे० टी० डिवीजन में राजकोट कलाल, सुरेन्द्र नगर तथा मेहसाना जैसे प्रमुख यार्डों में आवश्यक सविराम रोस्टर (इन्टरमिटेंट रोस्टर) के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं,

(ख) क्या रेल प्रशासन द्वारा जून, 1972 में नियुक्त एच० ओ० ई० आर० निरीक्षक द्वारा उन के कार्य का विश्लेषण किया गया था और उन के कार्य अविच्छिन्न रोस्टर (कन्टनुअस रोस्टर) के योग्य समझे गये हैं,

(ग) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन का विचार उन के वर्गीकरण को आवश्यक सविराम से अविच्छिन्न रोस्टर के अन्तर्गत लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) क्या इन इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल सिगनल मेन्टेनर्स को कार्य के अतिरिक्त घाटों के लिये, जो वे उपयुक्त वर्गीकरण के अभाव में कर रहे हैं समयोपरि भत्ता दिया जाता है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सम्बन्धित कर्मचारियों के कार्यभार का जो कार्य विश्लेषण यह देखने के लिए किया गया था कि क्या 'सतत' के रूप में उनका पुनर्वर्गीकरण करने का औचित्य है, उस विश्लेषण पर रेल प्रशासन विचार कर रहा है।

(ग) उन्हें उनके वर्तमान वर्गीकरण के अनुसार समयोपरि भत्ता दिया जाता है।

मारुति लिमिटेड द्वारा एजेंटों से ली गयी जमा राशि तथा अन्य साधनों से लिए गये ऋण

1352. **श्री मधु लिमये :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री मारूति लिमिटेड द्वारा एकत्र की गयी जमा राशि के बारे में 31 जुलाई, 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति लिमिटेड ने इस बीच नवीनतम तुलनापत्र भर कर दिल्ली और हरियाणा के कम्पनियों के रजिस्ट्रार को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यमान एजेंटो तथा भावी एजटों से एकत्र की गयी जमाराशि के बारे में अब सूचना उपलब्ध है ;

(ग) क्या अन्य साधनों से प्राप्त रक्षित तथा आरक्षित ऋणों के आंकड़े भी अब उपलब्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो एजेंटों तथा भावी एजेंटों से एकत्र की गयी जमाराशि एवं अन्य साधनों से प्राप्त रक्षित एवं सुरक्षित ऋणों की मुख्य बाते क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) मारूति लिमिटेड का 31 मार्च, 1973 तक का तुलन-पत्र, कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा के पास प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) 31-3-73 के तुलन-पत्र में 1,64,10,900 रु० 'व्यापारिक जमा' के रुप में दिखाये गये है।

(ग) 31-3-73 तक के आंकडे निम्नप्रकार हैं :-

रक्षित ऋण	61,517 रु०
अक्षित ऋण	6,39,500 रू०

(घ) कुल 61,517 रु० के रक्षित ऋण, बैंकों से, वर्तमान एवं भविष्य के पुर्जा कक्ष, व अन्य सयत्र व मशीनरी, उपकरण व भवन निर्माण साम्रगी के ऊपर लिया गया, है, इसमें दो निदेशकों ने गारंटी दी हैं। अरक्षित ऋण बैंकों को बजाय अन्य व्यक्तियों के हैं। व्याज वाले कुल ऋण 5,39,500 रू० है, इनके लिये एक निदेशक ने गारंटी दी है। व्याज रहित ऋण कुल 1,00,000 रू० है। 'व्यापारिक जमा' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाये गये आंकडों का कोई अन्य विश्लेषण नहीं दिया गया है।

कपाड़िया ग्रुप के नवनिर्वाचित निदेशकों द्वारा नेशनल रेयन के प्रबन्ध का अधिग्रहण

1353. **श्री मधु लिमये** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंशधारियों, संसद् सदस्यों से नैशनल रेयन के कपाडिया ग्रुप के नवीनिर्वाचित निदेशकों की कम्पनी के प्रबन्ध को अधिग्रहण करने से रोकने की आवश्यकता के बारे में पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इस बारे में अब कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेद व्रत बरुआ) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) यह विषय कम्पनी विधि बोर्ड के विचाराधीन है।

गंडक योजना की नहरों तथा सहायक नदियों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त जल निष्कासन मार्गों का अभाव

1354 **श्री मधु लिमये** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गंडक योजना के अन्तर्गत आने वाले छपरा, देवरिया तथा अन्य क्षेत्र गत सितम्बर की बाढ़ से जलमग्न हो गये थे ;

(ख) क्या गंडक योजना में नहरों तथा सहायक नदियों की प्रणाली के निर्माण से क्षेत्र के प्राकृतिक जल निष्कासन मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं जिससे बाढ़ की गम्भीरता तथा उससे होने वाली क्षति में वृद्धि हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र पर्याप्त जल निष्कासन मार्ग प्रदान करने के लिये सम्पूर्ण सिंचाई योजना को पुनर्गठित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो योजना का ऐसा पुनर्गठन कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1973 में, सितम्बर के अंतिम सप्ताह तथा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में देवरिया और छपरा जिलों के कुछ भाग भारी वर्षा तथा उसके परिणामस्वरूप आई बाढ़ों से प्रभावित हुए थे।

(ख) से (घ) : इस क्षेत्र में चौरों तथा मानसोके बड़ी संख्या में होने के कारण गण्डक परियोजना द्वारा सेवित क्षेत्रों में जल निकास मार्ग बुरी तरह अवरूद्ध हुआ करते थे। गण्डक परियोजना से न तो क्षेत्र के प्राकृतिक जल-निकास मार्गो पर कोई प्रभाव पड़ा है और न ही जल निकास तथा बाढों को भीषणता में वृद्धि हुई है क्योंकि परियोजना में जहां कहीं भी नहरों और वितरणियां प्रकृतिक जल-निकास मार्गो को पार करती हैं, वहां पर उपयुक्त जल-निकास क्रासिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत अन्वेषणों के आधार पर, मुख्य जल निकास चैनलों और सहायक चैनलों के एक बड़े जाल के लिए संशोधित परियोजना प्राक्कलनों में उपयुक्त व्यवस्था की गई है। इन में से कुछ कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं तथा अन्य प्रगति पर हैं ।

यात्री गाड़ियों के समय पर न चलने के बारे में शिकायतें

1355. **श्री मधु लिमये** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री गाड़ियों के समय पर न चलने के बारे में सरकार को शिकायते प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इन त्रुटियों की जिम्मेदारी विशिष्ट अधिकारियों पर डाली जा रही है ;

(ग) क्या खराब काम के लिये बड़े अधिकारियों को मुअतिल करने की व्यवस्था की गई है और उसे क्रियान्वित किया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कभी कभी यात्री गाड़ियों के देर से चलने के बारे में शिकायतें मिलती हैं ।

(ख) गाड़ियों के देर से चलने के कारणों का विश्लेषण किया जाता है और सभी परिहार्य विलम्बों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) गाड़ियों को होने वाले विलम्ब के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को केवल तभी निलम्बित किया जाता है जब इसे जनहित में आवश्यक समझा जाता है ।

उर्वरक कारखानों में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग न किया जाना

1356. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तथा कौन-कौन से उर्वरक कारखाने पूर्व अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं ;

(ख) ऐसे प्रत्येक कारखाने में अधिष्ठापित क्षमता के अनुपात में उत्पादन कितनी मात्रा में कम होता है ; और

(ग) देश पर्यन्त उर्वरकों की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की कमी पूरी करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) विभिन्न उर्वरक यूनिटों की क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए उठाये गये उपायों में निम्नलिखित मुख्य उपाय हैं :–

(1) सिन्दरी में विभिन्न अनुभागों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य ।

(2) राजस्थान जिप्पसम को प्रतिस्थापन के लिए सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण परियोजना का कार्यन्वयन ।

(3) कोक/कोक ओवन गैस को ईंधन तेल का प्रतिस्थापन करने के लिए सिन्दरी–नवीनीकरण परियोजना का कार्यान्वित ।

(4) ट्राम्बे में यूरिया एवं एनपी के संयंत्रों के बाधाओं को दूर करना ।

(5) ट्राम्बो में अमोनिया/नैथनोल की उपलब्धता के लिए अनुपूरक गैस ।

(6) अमोनिया के उत्पादम के लिए ईंधन तेल द्वारा विद्युती के प्रयोग की प्रतिपूर्ति के लिए नांगल विस्तार परियोजना का कार्यान्वयन ।

(7) प्रतिस्थापित फालतू उपकरणों को पूर्ण रूप में उपयोग करने के लिए गोरखपुर में बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना ।

(8) फैक्ट के उद्योग मण्डल एकक के कुछ अनुभागों के प्रौद्योगिकी बाधाओं पर काबू पाने के लिए उपाय ।

(9) राऊरकेला में अमोनिया के उत्पादन के संबंध में गैस की उपलब्धता के सम्पूर्ण के लिए सुविधाओं की स्थापना ।

(10) नैवेली सम्पूर्ण समग्री को नैवेली में लिग्नाइट से ईंधन तेल में बदलने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन ।

विवरण

(1000 मी० टन आंकड़े)

यूनिट का नाम	स्थापित क्षमता	उत्पादन 1972–73 के दौरान	1973–74 के दौरान अप्रैल से सितम्बर	स्थापित क्षमता के मुकाबले उत्पादन में कमी 1972–73	(अप्रैल से सितम्बर) 1973–74
नाइट्रोजन					
1. सिन्दरी	90	56	30	34	15
2. नंगल	80	53	29	27	11
3. ट्राम्बे	81	63	25	18	15.5
4. गोरखपुर	80	69	30	11	10
5. नामरूप	45	35	16	10	6.5
6. फैक्ट	82	31	19	51	22
7. राउरकेला	120	49	25	71	35
8. नैवेली	70	21	7	49	28
9. उत्पादक द्वारा	12	11	5	1	1
10. मद्रास	164	105	76	59	6
फास्फोट					
1. ट्राम्बे	36	37	13	*	5
2. फैक्ट	27	11	8	16	5.5
3. मद्रास	85	53	34	32	8.5
4. सिगनल सुपर फास्फोट	36	14	6	22	12

*उत्पादन स्थापित क्षमता से अधिक हो गया ।

लोको कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप रद्द की गई गाड़ियां

1357. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोको कर्मचारियों की हाल की 11-दिवसीय हड़ताल के दौरान प्रत्येक रेलवे जोन में कितनी-कितनी यात्री और माल गाड़ियां रद्द की गई, और

(ख) हड़ताल के परिणामस्वरूप प्रत्येक जोन में यात्री तथा माल यातायात में कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) क्षेत्रवार सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

रेलवे	पूर्णत:/ अंशत: रद्द की गयी सवारी गाड़िया	रद्द की गयी माल गाडियां
पुर्वोत्तर सीमा रेलवे	1601	1605
दक्षिण मध्य रेलवे	1969	347
दक्षिण रेलवे	1432	899
पूर्वोत्तर रेलवे	2157	749
मध्य रेलवे	18	—
दक्षिण-पूर्व रेलवे	487	1805
पूर्व रेलवे	569	615
उत्तर रेलवे	5237	9272
पश्चिम रेलवे	29	201
जोड़	13,499	15,484

अलाभप्रद रेल लाइनें

1358. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत दो वर्षों में अलाभप्रद रेल लाइनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इससे रेलवे को कुल कितनी हानि हुई हैं और स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विगत में की गयी सभीक्षाओं से पता पता चला था कि 75 शाखा लाइनें अलाभकारी थी। अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 ने अपनी रिपोर्ट में "शाखा लाइन" की परिभाषा इस प्रकार की थी:–

(1) छोटे आमान की सभी लाइनें।

(2) किसी अन्य आमान की वे लाइनें जो मुख्य लाइन से केवल एक छोर पर जुड़ी हैं।

अतः उपयुर्क्त वर्गीकरण के आधार पर समीक्षाएं की गयीं जिनसे पता चला कि अलाभप्रद शाखा लाइनों की संख्या 127 है।

(ख) विगत दो वर्षों में इन अलाभप्रद लाइनों पर हुई कुल हानि नीचे बतायी गई हैं। इसमें सामान्य राजस्व को लाभांश की अदायगी नहीं है।

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1970-71	8.71
1971-72	9.88

यातायात और आमदनी बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किये जाते हैं। शाखा लाइनों पर टिकटों की जांच करने की ओर विशेष ध्यान देने के लिए भी अनुदेश जारी किये गये हैं। डीजल रेल कार चलाने, चल-स्टाक को बदलने और रेलपथ के नवीकरण के प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है।

सितम्बर, 1973 के दौरान कोयली तेल शोधक कारखाने का बन्द होना

1359. श्री एम० सुदर्शन : क्या **पैट्रोयिम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 1973 के दूसरे सप्ताह में कुछ दिनों के लिये कोयली तेल शोधक कारखाना बन्द हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुल कितनी हानि हुई थी?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) महानदी में भयानक बाढ़ आने के कारण शोधनशाला का वाटर पम्पिंग स्टेशन बन्द करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप पानी की सप्लाई के बन्द होने से शोधनशाला को बन्द करना पड़ा।

(ग) उपरोक्त पानी की सप्लाई बन्द होने के कारण 1.56 लाख रुपये की हानि हुई।

मद्रास तेलशोधक कारखाने में मोटर स्पिरिट तथा नेफ्था का उत्पादन

1360 श्री दीवीकन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास तेलशोधक कारखाने में निर्धारित तथ्य से अधिक मोटर स्पिरिट के उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(ख) नैफ्था का उत्पादन न करने के क्या कारण हैं?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मोटर स्पिरिट तथा नैफ्था दोनों हल्के आसुत हैं और उपयुक्त प्रक्रिया के पश्चात नैफ्था को मोटर स्पिरिट में

बदला जा सकता है। क्षेत्र की मांग पूरी करने के लिये शोधनशालाएं सामान्यतः काफी मोटर स्पिरिट का उत्पादन करती हैं और शेष का उत्पादन नेफ्था के रूप में किया जाता है। वर्ष 1972-73 के दौरान (1 जुलाई 1972 से 30 जून 1973 तक), मद्रास शोधनशाला ने 1,57,000 मीटर टन के लक्ष्य की तुलना में 1,57,004 मीटर टन मोटर स्पिरिट का उत्पादन दिया। नेफ्था का उत्पादन 1,69,346 मीटर टन था। यदि हो जाय तो नेफ्था की कमी का आयात द्वारा अथवा अन्य शोधनशालाओं से तटीय संचलन द्वारा पूरी की जाती है। यह इसलिये किया जाता है क्योंकि मोटर स्पिरिट की बजाये नेफ्था का आयात सस्ता है।

रामेश्वरम एक्सप्रैस गाड़ी तथा दक्षिण जाने वाली अन्य गाड़ियों के साथ वातानुकूलित डिब्बों का जोड़ा जाना

1361. **श्री दीवीकन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु सरकार ने मद्रास एगमोर से रामेश्वरम् एक्सप्रैस गाड़ी तथा दक्षिण जाने वाली अन्य गाड़ियों के साथ वातानुकूलित डिब्बे जोड़ने का रेलवे बोर्ड से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) 105/106 मद्रास-तिरुवनन्तपुरम मेल में जाड़े में सप्ताह में 4 दिन और गर्मी में प्रतिदिन वातानुकूल स्थान की व्यवस्था पहले से ही है। इसके अलावा, 16-8-73 से परीक्षण के रूप में मद्रास-एग्मूर और तुत्तिकोरन के बीच 119/120 कन्याकुमारी एक्सप्रैस और इससे मेल लेने वाली गाड़ियों में सप्ताह में दो दिन एक वातानुकूल डिब्बा लगाया जा रहा है। दक्षिण रेलवे की 101/102 रामेश्वरम् एक्सप्रैस और मीटर लाइन की अन्य गाड़ियों में वातानुकूल स्थान की व्यवस्था करने का न तो कोई औचित्य है और न अतिरिक्त वातानुकूल डिब्बों के अभाव में ऐसा करना व्यावहारिक ही है।

शोलापुर डिवीजन के रेल कर्मचारियों की मांग

1362. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोलापुर डिवीजन के रेल कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या थीं जिसके कारण उस डिवीजन में हड़ताल हुई थी; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेल कर्मचारियों की मुख्य मांग यह थी कि दक्षिण मध्य रेलवे का शोलापुर मण्डल मध्य रेलवे में स्थानान्तरित कर दिया जाये।

(ख) रेल उप-मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक संसदीय समिति इस समस्या के सभी पहलूओं पर फिलहाल विचार कर रही है।

भारतीय रेलवे के संकेत तथा दूर संचार कर्मचारियों के समान पदनाम

1363. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेलवे सिगनल एण्ड टेलीफोन कम्युनिकेशन स्टाफ एसोसियेशन, भारतीय रेलवे के समस्त संकेत तथा संचार कर्मचारियों के लिये गत 6 वर्षों से समान पदनामों की मांग कर रही है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह मांग सिगनल इंजीनियरिंग मैनुअल में दिये गये पदनामों के अनुरूप है, और

(ग) यदि हां, तो एसोसियेशन की दीर्घकाल से अनिर्णीत पड़ी यह मांग कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय नें उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारतीय रेलों पर हर जगह मानक पदनामों का प्रयोग किया जाना अभीष्ट है। एसोसियेशन ने ऐसा कोई दृष्टांत नहीं दिया है जहां मानक पदनामों का प्रयोग न किया गया हो। व्यतिक्रम का कोई विशेष दृष्टांत बताया जाये तो उसकी जांच की जायेगी।

गुम हुई तथा उचन्त खाते में डाली गयी भविष्य निधि की राशियों के अनिर्णीत मामले

1364. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य निधि की गुम हुई राशियों के तथा उन राशियों के जो इस समय उचन्त खाते में डाली हुई हैं और रेलवे के विभिन्न कार्यालयों से असम्बद्ध हैं, कितने मामले हैं और उनके अन्तर्गत कितनी राशि आती है,

(ख) क्या ऐसी राशियों की सही खातों में जमा करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी राशियों को प्राप्त करने/सही करने के लिये जिससे कि कर्मचारियों को हानि न हो क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) **3-6-73 की स्थिति।**

3975 मामले जो 60 हजार रुपये की रकम के हैं।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद तथा मेरठ के बीच दोहरी रेल लाइन

1365. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद और मेरठ के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ हो गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके पूरे होने में कितना समय लगने की सम्भावना है, और

(ग) यदि हां, तो कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) 17.8 कि० मी० के गाजियाबाद-मुराद नगर खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने के काम को 1974-75 के बजट में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है और आशा है कि यह काम 1976-77 के दौरान पूरा हो जायेगा। मुराद नगर-मेरठ खण्ड पर दोहरी लाइन बिछाने के बारे में, अगले वर्षों में, जब उसकी आवश्यकता होगी तब विचार किया जायेगा।

दानापुर (खगोल) में कार्य करने तथा रहने वाले रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/नगर परिपूर्ति भत्ता

1366. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय में उपमंत्री ने अपने अर्ध-सरकारी (डी०ग्रो०) पत्र संख्या पी सी-65/एच० ग्रार० ए०-1/3 'ई० ग्रार०' दिनांक 4 मार्च, 1972 में यह कहा था कि दानापुर (खगोल) में काम करनें तथा रहने वाले रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के प्रश्न पर तीसरे वेतन आयोग की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा;

(ख) क्या सरकार को तीसर वेतन आयोग की अन्तिम सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और सरकार ने निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या दानापुर (खगोल) में काम करने तथा रहने वाले रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/नगर परिपूर्ति भत्ता दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) यह कहा गया था कि तीसरे वेतन आयोग द्वारा मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता के प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार किया जायेगा और आयोग की अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

(ख) जी हां। आयोग की मुख्य सिफारिशों पर सरकार ने निर्णय कर लिया है और इन निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये विस्तृत ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) जब तक नगर प्रतिकर भत्ता और मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में किये गए निर्णय के कार्यान्वयन के लिये विस्तृत ब्यौरे तैयार करके वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नहीं कर दिये जाते तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

Tripartite agreement among Management of D.V.C. Employees, Association and D.V.C. Staff Association.

1367. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to states :

(a) whether a tripartite agreement among the management of Damodar Valley Corporation (D.V.C.), D.V.C. Employees Association and D.V.C. Staff Association was reached in April, 1972 in regard to employees demands;

(b) if so, the main features thereof;

(c) whether the said agreement has not been implemented so far; and

(d) if so, the reasons therefor and the time by which it is proposed to be implemented by Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) to (d) After a series of various negotiations and discussions between the Management and the Damodar Valley Corporation Staff Association and the DVC Karmachari Sangh an agreement was reached on the 27th March, 1972 on the pay structures of Class II and Class III employees of the D.V.C. w.e.f. 1-6-1970. The principles for fixation o pay in the revised pay structure were agreed to. It was agreed that in addition to pay in the

revised scale, the employees would be entitled to dearness allowance at prevailing rates of the Central Government. It was agreed that the following points raised by the Unions on which no agreement could be reached, should be put up to the Corporation for decision:—

(i) The minimum guaranteed benefit of Rs. 30/- should be applicable to employees who joined the service of the Corporation even after 31-5-1970.

(ii) The employees be permitted to avail the next increment after fixation of pay on 1-6-1970 in the revised pay scale on their respective old dates of increment.

It was also agreed that there would be no demand for pay revision by the Unions for a period of three years with effect from 24-3-1972. Orders revising the pay scales were issued by the Corporation of 25-4-1972. While serveral of the unanimous recommendations of the Pay Committee have been implemented with effect from 1-6-1970. few items of fringe benefits, such as Daily Allowance on tour, Medical facilities, Pension-cum-gratuity. House Rent Allowance, etc. which require necessary amendment to the DVC Service Regulations are yet to be implemented. Decisions on these items will be finalised taking into consideration the recommendations of the Third Pay Commission set up by the Government of India.

दूसरी श्रेणी समाप्त किये जाने के परिणामस्वरूप रेल कर्मचारियों की यात्रा के लिये दर्जे का निर्धारण

1368. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे में दूसरा दर्जा समाप्त करने का निर्णय किया है और वास्तव में अधिकांश रेल गाड़ियों में दूसरा दर्जा समाप्त कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रेल गाड़ियों में दूसरा दर्जा समाप्त किये जाने से दूसरे दर्जे में यात्रा करने के अधिकारी रेल कर्मचारी किस दर्जे में यात्रा कर सकेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जहां दूसरे दर्जे का स्थान उपलब्ध न हो वहां दूसरे दर्जे के पासधारी रेल कर्मचारी तीसरे दर्जे में यात्रा करेंगे।

Taking over of D.V.C. by Government under their Direct Control

1369. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over D.V.C. under their direct control by doing away the autonomy thereof; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which Government propose to enforce the new scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Setting up of new Caustic Soda Factories

1370. **Shri G.P. Yadav :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to set up new factories for producing Caustic Soda; and

(b) if so, the places selected for the purpose and time by which the factories would be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shanawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) Letters of Intent were issued in April, 1973 and in October, 1973 to 19 parties for setting up new units for manufacture of Caustic Soda in the States of Maharashtra, Goa, Kerala, Mysore, Gujarat, Timilnadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Haryana, Orissa, Punjab, Rajasthan and Delhi. The number of units approved in these States is as follows :—

Goa.	1 (One)
Haryana .	1 (One)
Kerala .	. 2 (Two)
Maharashtra	. 4 (Four).
Orissa.	. 1 (One)
Delhi. .	. 1 (One)
Punjab	. 1 (One)
Rajasthan	. 2 (Two)
Mysore .	. 1 (One)
Gujarat .	. 2 (Two)
Tamilnadu.	. 1 (One)
Uttar Pradesh	. 1 (One)
West Bengal	. 1 (One)

As per one of the conditions in the Letters of Intent, the parties have to intimate to the Government the Specific locations of the plants within a period of 3 months from the date of issue of the letters of intent. The specific locations have not yet been finalised and intimated by the parties. The units are likely to be set up in 1976-77.

Shortage of Petroleum Products in the Counrty

1371. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage of diesel, petrol and high speed diesel in the country, particularly in Punjab, Calcutta and Bihar; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps taken or proposed to be taken by Government to remove this shortage and the results achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

New Railway line in Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizoram and Arunachal States

1372. Shri G P Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have under their consideration a scheme for the construction of a new Railway line in Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Mizorm and Arunachal Pradesh in the Eastern region; and

(b) if so, the length of new Railway line proposed to be constructed in each of the aforesaid States and the total amount of expenditure to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The following proposals are under consideration to meet essential requirement of rail communication in the Eastern region :—

(i) Conversion of Bongaigaon-Gauhati section from M.G. to B.G. in the Assam State (160 Kms.—cost Rs. 23.51 crores approx.).

(ii) Construction of Dharmanagar-Kumarghat in the Tripura State (33 Kms.—Cost Rs. 8.7 crores approx.).

(iii) Dharmanagar-Agartala M. G. rail link in the Tripura State (153 Kms.—Cost Rs. 45 crores approx).

(iv) Singerbel-Agartala-Santirbazar-Sabroom in Tripura State with connecting links to Belonia and Akhaura (in Bangladesh).

(v) Silchar-Jiribam M.G. rail link in the Manipur State.

(vi) A.M.G. link from Tezpur to Bhoomraguri in the State of Assam (9.5 Kms.—cost Rs. 97.10 lakhs approx.).

Surveys for the projects at items No. (i), (ii), (iii) and (vi) have been carried out and the reports are under examination. Further consideration to these projects will be given after the reports are examined from all angles. Surveys for the projects at items No. (iv) and (v) are in progress and further consideration will be given after the reports of the surveys are received by the Railway Board.

Over Bridge at the Narayanpur Railway Station (North-Eastern Railway) :

1373. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is demand for an over-bridge at the Naryanapur Railway Station (North-Eastern Railway) for going to 'Down' platform from 'Up' platform;

(b) whether in the new map of Narayanpur station an over-bridge has been shown; and

(c) if so, the time by which the said over-bridge would be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) No.

(c) Does not arise.

Construction of a shed at the Narayanpur Railway Station (N. E. Railway) :

1374. Shri G.P. Yadav : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the passengers experience great inconvenience during rains, winter and sun at the Narayanpur Station on N. E. Railway as no shed has been provided there; and

(b) if so, whether Government propose to construct a shed on this Station and by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) The maximum number of passengers dealt with at Narayanpur Railway Station at any one time is only 45 which is too meagre to justify shed over the platform. However, for the convenience of passengers, waiting accommodation by way of waiting hall measuring 1771 sq. ft. in area already exists, which is considered adequate.

कोयली तेलशोधक कारखाने का विस्तार

1375. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में बड़ौदा के निकट कोयली तेल शोधक कारखाने का विस्तार करनें का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च आयेगा; और

(ग) विस्तार का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) 28.08 करोड़ रुपये।

(ग) अप्रैल, 1977 तक।

जल उपलब्ध न होने के कारण कोयली तेल शोधक कारखाने का बन्द होना

1376. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर और अक्टूबर, 1973 में बड़ौदा स्थित कोयली संयंत्र जल उपलब्ध न होने के कारण पूर्ण रूप से बन्द हो गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कारण बड़ौदा स्थित कोयली तेल शोधक कारखाने को कितनी हानि उठानी पड़ी; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की थी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) महानदी में भारी बाढ़ के कारण शोधनशाला के पम्प केन्द्र में पानी की सप्लाई बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप सितम्बर, 1973 के महीने में कोयली शोधनशाला कुल तीन दिनों के लिये पूर्ण रूप से दो बार बन्द की गई थी।

पानी उपलब्ध न होने के कारण अक्तूबर, 1973 के महीने के दौरान कोयली शोधनशाला पूर्ण रूप से कभी भी बन्द नहीं की गई थी।

(ख) शोधनशाला के उपयुक्त ढंग से बन्द रहने के कारण लगभग 1.56 लाख रुपये की हानि हुई थी।

(ग) शोधनशाला स्थापित किये जाने के बाद पहली बार इस प्रकार की ख़तरनाक बाढ़ आई थी। सुना जाता है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान भी ऐसी भारी बाढ़ नहीं देखी गई थी। यह महसूस किया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों, जो असाधारण प्रकार की होती हैं, का सामना करने के लिये कोई विशेष उपाय अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुजरात में बन्द की गई रेल लाइनों को पुनः चालू करना

1377. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कुछ रेलवे लाइनों को पुनः चालू करने का निर्णय किया है जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बन्द कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा;

(ग) क्या इनमें से कुछ लाइनें गुजरात में बिछी हुई थीं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रेल लाइनों को कब तक पुनः चालू कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) दलमऊ-दरयापुर बड़ी लाइन (26 किलोमीटर) और रोहतक गोहाना-पानीपत बड़ी लाइन के गोहाना-पानीपत भाग (39 किलोमीटर) को फिर से चालू करने की मंजूरी 29-5-1973 को दे दी गई है।

(ग) और (घ) केवल दो ऐसी लाइनें, अर्थात, कैम्बे बन्दर साइडिंग और वसाड़—कथना लाइनें उस क्षेत्र में स्थित थीं जो अब गुजरात का भाग है। इन खण्डों को पहले से ही चालू किया जा चुका है और इन्हें क्रमशः 10-1-53 और 10-6-53 से यातायात के लिये खोला जा चुका है।

बंगला देश को अशोधित तेल की सप्लाई हेतु टेंडर देने के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा अपनाई गई त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया

1378. श्री राज राजसिंह देव : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भारतीय तेल निगम ने बंगला देश को 5 लाख टन अशोधित तेल की सप्लाई के लिये टेंडर देते समय गलत प्रक्रिया अपनाई थी;

(ख) क्या इसके परिणाम स्वरूप निगम को भारी घाटा उठाना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कितना और लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

पैट्रोलयम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) 3-4-1973 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न 5845 के उत्तर में दिये गये अपेक्षित सूचना पहले ही दी गई है।

केरल में बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति

1379 श्रीमती भार्गवी तनकपन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल राज्य में कितनी बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप सिंचाई की कितनी क्षमता पैदा की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) केरल में सात बृहत् सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उनके पूर्ण होने पर उनसे लगभग 3.28 लाख हैक्टेयर भूमि की वार्षिक सिंचाई को जाएगी। राज्य में इस समय कोई मध्यम सिंचाई स्कीम क्रियान्वित नहीं हो रही है।

केरल में नई सिंचाई और सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाएं

1380. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल राज्य में कितनी नई सिंचाई और सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिये स्वीकृति दी गई है;

(ख) इन प्रत्येक परियोजनाओं के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है; और

(ग) केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड का इन परियोजनाओं के बारे में क्या विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में कोई नयी बृहत् अथवा मध्यम सिंचाई या सिंचाई-मय-विद्युत् परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1381. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) खण्ड के सभी 13 मार्गों पर मिट्टी डालने का काम हो रहा है। कोल्लम और एर्णाकुलम के बीच गर्डर के पुलों को मजबूत करने का काम भी चल रहा है। रेल पथ पर बड़ी लाइन के 63 गर्डर लगाये जा चुके हैं और मीटर लाइन के 46 पुराने गर्डरों को पहले ही सुदृढ़ किया जा चुका है। पारव्बूर और बामनपुरम में पड़े पुलों की नीब गलाने का काम पूरा हो गया है। कोल्लम और तिरवनतपुरम सेन्ट्रल के बीच अन्य पुलों की उपसंरचनाओं को मजबूत करने, फिर से बनाने का काम हो रहा है। 16 नयी बास पुलियों के विस्तार/पुनर्निर्माण का काम पूरा हो गया है और 17 बक्स पुलियों पर ये काम हो रहे हैं। बड़ी लाइन की गाड़ी गुजारने के लिए 9 ऊपरी सड़क पुलों और 4 पैदल पुलों को ऊँचा किया गया है।

(ख) मार्च, 1976 तक इस काम के पूरा हो जाने की सम्भावना है।

केरल में कलाडा सिंचाई परियोजना

1382. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कलाडा परियोजना के निर्माण कार्य के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : कलाडा सिंचाई परियोजना में पाराप्पर पर एक चिनाई बांध, और बाई ओर दाई तक नहरों सहित ओट्टक्कल पर एक पिक-अप वियर का निर्माण परिकल्पित है। ओट्टक्कल वियर पर अंतिम पाया, शीर्ष नियामक और स्कौर स्लूसों को छोड़कर, सब कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पराप्पर बांध को कुछ पहुंचों में नींव खुदाई और चिनाई कार्य प्रगति पर है।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार, परियोजना के छठी योजना में पूर्ण होने की संभावना है परन्तु पांचवीं योजना के दौरान ही इससे आंशिक लाभ मिलने की संभावना है।

पंजाब सरकार का कोटा परमाणु विद्युत् संयंत्र से बिजली दिये जाने का अनुरोध

1383. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें कोटा परमाणु विद्युत संयंत्र से 100 मेगावाट बिजली दी जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) परमाणु केन्द्रों से विद्युत के बटवारे से संबंधित सामान्य सिद्धांतों की जांच की जा रही है।

राजस्थान को फालतू बिजली का पंजाब के उपभोग के लिये दिये जाना

1384. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राजस्थान के मुख्य मंत्री से सतपुड़ा की फालतू बिजली को पंजाब के उपभोग के लिये देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति राजस्थान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1972 में उस समय पंजाब में विद्युत् की भीषण कमी को दूर करने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री से मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से उन्हें प्राप्त हो रही अतिरिक्त विद्युत् में से प्रतिदिन 5 लाख यूनिटें पंजाब को देने का अनुरोध किया गया था।

राजस्थान सरकार ने उस हद तक पंजाब को मदद करने की इच्छा प्रकट की, जिस हद तक यह मदद उनकी आवश्यकताओं और प्रणाली स्थितियों के अनुकूल हों। सतपुड़ा से पंजाब को वास्तव में सप्लाई की गई विद्युत निम्न प्रकार थी :—

माह	लाख यूनिट/दिन
सितम्बर, 1972	2.7
अक्तूबर, 1972	3.7
नवम्बर, 1972	0.75
दिसम्बर, 1972	कुछ नहीं
जनवरी, 1973	0.074
फरवरी, 1973	0.12

थीन बांध

1385. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से थीन बांध के निर्माण से संबंधित प्राथमिक कार्य करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बांध के बारे में विभिन्न राज्यों के बीच समझौते की क्या सम्भावनायें हैं?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) थीम बांध परियोजना में अनेक अंतर्राज्यीय पहलू जैसे लागत तथा लाभ का विभाजन, परियोजना के लिए धन की व्यवस्था, क्रियान्वयन अधिकरण तथा विस्थापितों का पुनर्वास निहित है।

पंजाब सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि यह परियोजना अनन्तिम रूप से स्वीकृत कर दी जाए तथा उन्हें कार्य आरंभ करने को अनुमति दे दी जाए। क्योंकि इसमें एक से अधिक राज्य भागीदार हैं, यह आवश्यक होगा कि वास्तव में कार्य शुरू करने की अनुमति देने से पूर्व इस परियोजना से सम्बद्ध मामलों तथा इस पर काम शुरू करने पर राज्यों में मतैक्य हो जाए। इन सम्बद्ध मामलों पर संबंधित राज्यों के साथ इस समय विचार विमर्श किया जा रहा है।

रेलवे डिज़ाइन इंजीनियरों (दूसरी श्रेणी के अधिकारियों) को विशेष वेतन का बहाल किया जाना

1386. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 की विशेष अपील संख्या 11 के बारे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बैंच के निर्णय के अनुसार, सरकार ने उन तीन रेलवे डिज़ाइन इंजीनियरों (दूसरी श्रेणी के अधिकारियों) के 150 रुपये प्रतिमास के विशेष वेतन को बहाल कर दिया है जिन्होंने न्यायालय न्याय की मांग की थी;

(ख) उस श्रेणी और ग्रेड के अन्य अधिकारियों को वही 150 रुपये प्रतिमास के विशेष वेतन के बहाल किये जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त वेतन कब से बहाल किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर की गयी है। चूंकि मामला न्यायाधीन है इसलिए प्रभावित कर्मचारियों की विशेष वेतन पर बहाली सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय पर निर्भर करेगी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति और अधिक आकर्षक बनाने संबंधी प्रस्ताव

1388. **श्री श्री किशन मोदी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति और अधिक आकर्षक बनाने के प्रश्न की जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कौन-कौन सी अतिरिक्त परिलब्धियां दिये जाने पर विचार किया जा रहा है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) यह आम भावना है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें एसी नहीं हैं कि जिससे योग्य वकील न्यायाधीशों के पदों पर आने के लिये आकर्षित हों। इसलिये मामला सरकार के विचाराधीन है।

'रूपी ट्रैवलर चैकों' से यात्री किरायों तथा सामान शुल्क का भुगतान

1389. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे ने यात्री किरायों और सामान शुल्क के भुगतान के संबंध में "रूपी ट्रैवलर चैक" में स्वीकार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ में यह सुविधा किन स्टेशनों पर दी जायेगी; और

(ग) अन्य किन स्थानों पर यह सुविधा दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, परीक्षण के तौर पर यह विनिश्चय किया गया है कि स्टैट बैंक आफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बकों द्वारा जारी किये गये रुपया यात्रा चैक ऊचें दर्जे को टिकट खिड़कियों पर किराये तथा सामान शुल्क के भुगतान के लिये स्वीकार किया जायें।

(ख) उत्तर रेलवे पर यह सुविधा दिल्ली जंकशन, नयी दिल्ली, नयी दिल्ली कनाट प्लेस आरक्षण कार्यालय तथा कानपुर सैन्ट्रल स्टेशनों पर 1-9-1973 से लागू कर दी गयी है।

(ग) इसे उत्तर रेलवे के अन्य स्टेशनों पर लागू करने का अभी कोई विचार नहीं है।

भारतीय रेलवे में डिब्बों का वर्गीकरण

1390. **श्री श्रीकिशन मोदी** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेलवे से तीसरी श्रेणी को समाप्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो अब कितनी श्रेणियों का उपयोग किया जायेगा; और

(ग) उक्त नई व्यवस्था कब से लागू की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विनिश्चय यह है कि गाड़ियों में वर्तमान दूसरे दर्जे को समाप्त करने और दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों को तोसरे दर्जे में बदल देने के बाद वर्तमान तोसरे दर्जे का नाम बदलकर दूसरा दर्जा रख दिया जायेगा।

(ख) इस परिवर्तन के बाद वर्तमान वातानुकल दर्जे के अलावा मुख्यतः केवल दो दर्जे होंगे अर्थात् पहला दर्जा और दूसरा दर्जा।

(ग) तोसरे दर्जे का नया नाम 1 अप्रैल, 1974 से प्रभावी होगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल-संचार

1391. **श्री आर०के० सिन्हा : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र रेल-संचार की व्यवस्था करने संबन्धी पूर्वोत्तर परिषद् की मांगों पर विचार करने का है ; और

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में नई लाइनें खोलने के आर्थिक औचित्य के लिये अपेक्षित मान दंड में ढील देने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलों का विकास किसी राज्य अथवा क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि समग्र राष्ट्रीय हित के आधार पर किया जाता है । जहां तक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का संबन्ध है, निम्नलिखित प्रस्ताव विचाराधीन हैं :—

(1) असम राज्य में बोंगाई गांव-गुवाहाटी खण्ड का मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलाव।

(2) त्रिपुरा राज्य में धर्मनगर-कुमारघाट लाइन का निर्माण ।

(3) त्रिपुरा राज्य में धर्मनगर-अगरतला मीटर लाइन रेल संपर्क का निर्माण ।

(4) त्रिपुरा राज्य में सिंगरबेल-अगरतला-सान्तिर बाजार-साबरूम लाइन और बंगलादेश में बेलोनिया और अखोरा तक रेल सम्पर्क ।

(5) मणिपुर राज्य में सिलचर-जिरिबाम मीटर लाइन रेल सम्पर्क ।

(6) असम राज्य में तेजपुर से भूमरागुड़ी तक मीटर लाइन रेल संपर्क ।

मद सं० (1), (2), (3) और (4) में उल्लिखित परियोजनाओं का सर्वेक्षण हो चुका है और रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है । सभी दृष्टियों से इन रिपोर्टों की जांच हो जाने के बाद इन परियोजनाओं पर आगे विचार किया जायेगा। मद सं० (4) और (5) की परियोजनाओं का सर्वेक्षण हो रहा है और सर्वेक्षण की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड में प्राप्त हो जाने के बाद इनके बारे में आगे विचार किया जायेगा ।

(ख) केवल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए नयी लाइनें खोलने के आर्थिक माप दण्ड में ढील देने का कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन रेल मंत्री ने 1973-74 के अपने बजट भाषण के पैरा 41 में इस संबन्ध में देश भर के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रतिपादित किया है ।

विदेशी तेल कंपनियों द्वारा आयात किये गये अशोधित तेल के मूल्यों का पुनरीक्षण

1392. **श्री आर० के० सिन्हा : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य कर रही तीन विदेशी कम्पनियों में से किस कम्पनी ने उनके द्वारा सऊदी अरब से आयात किए गए संशोधित तेल के मूल्यों के पुनरीक्षण की सूचना दी है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) भारत में कार्य कर रही तीन विदेशी कम्पनियों में से केवल एस्सो सउदी अरब से अशोधित तेल का आयात कर रही है तथा इस कम्पनी ने 16-10-1973 से मूल्यों में वृद्धि करने को कहा है ।

सरकार ने इस वृद्धि की अनुमति देने का निश्चय किया है ।

"ड्राप इन रेवेन्यू अर्निंग ट्रैफिक आफ रेलवे" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1393. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्टूबर, 1973 के 'दी इंडियन एक्सप्रेस' में "ड्राप इन रेवेन्यू अर्निंग ट्रैफिक आफ रेलवे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) विवरण यथा तथ्य सही है । स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित उपचारी उपाय किये गये हैं :—

(i) औद्योगिक गतिविधियों में सुधार के साथ माल डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिए रेलें पूर्णत: कटिबन्ध हैं बशर्ते रेल प्रणाली पर किसी असाधारण स्थितियों के कारण प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

(ii) यातायात की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त मालडिब्बों के भी आर्डर दिये जा रहे हैं ।

(iii) हड़तालें और आन्दोलनों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विभिन्न कर्मचारी युनियनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है ।

असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स/स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) की मांगों का पूरा किया जाना

1394 **नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे की असिस्टेंट स्टेशन मास्टर/स्टेशन मार्स्टस एसोशिएशनों ने रेलवे मंत्री द्वारा स्पष्ट रूप से आश्वासन दिये जाने के कारण हड़ताल समाप्त कर दी थी किसी कर्मचारी को परेशान नहीं किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) और (ख) हड़ताल के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में किसी सहायक स्टेशन मास्टर या स्टेशन मास्टर को परेशान करने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की गयी हैं ।

कम्पनी कानून के उपबन्धों का उल्लंघन करना

1395. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन सी कम्पनियां है जिन्होंने 1970-71 और 1971-72 में कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है ;

(ख) प्रत्येक मामले में किस तरह का उल्लंघन हुआ है और प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इस बारे में इन कम्पनियों में से किसी कम्पनी के विरुद्ध कोई जांच विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियां कौन-कौन सी है और जांच के विचाराधीन होने के क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही तेलशोधन शालाओं का रख-रखाव

1396. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशी कम्पनियां भारत में स्थित अपने तेल-शोधक कारखानों और संयंत्रों के रख-रखाव में उपेक्षा कर रही है ताकि जब उनके करार समाप्त हो तो ये कारखाने और संयंत्र भारत के लिए लगभग बेकार सिद्ध हों, और

(ख) यदि हां, तो इस परिणाम को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उटाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) (क) इस प्रकार की कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

औषधियां बनाने वाली विदेशी फर्मों द्वारा पूंजी निवेश

1397. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियों को भारत में औषधियों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिये गये हैं जिनमें अधिकांश विदेशी पूंजी लगी है अथवा वे विदेशी प्रबन्ध के अधीन है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक कम्पनी ने कितना पूंजी निवेश किया तथा प्रत्येक कम्पनी को कितना शुद्ध लाभ हुआ ;

(ग) क्या यह आम शिकायत है कि उक्त कम्पनियां अपनी औषधियों के बहुत अधिक मूल्य ले रही है ; और

(घ) यदि हां, तो जनता के शोषण को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न हैं जिसमें 50% से अधिक विदेशी ईक्विटी वाली फर्मो के नाम जो पूर्णतः या अंशतः औषधियों और भेषजों के निर्माण में लगे हुए हैं और उनकी विदेशी ईक्विटी बताई गयी है। इन कम्पनियों द्वारा 1968-69, 1969-70, 1970-71 में अर्जित शुभ लाभ की सूचना 27-2-1973 को लोक सभा में पूछे गये अता० प्रश्न सं० 1191 के उत्तर में दी गई थी। 1971-72 के लिये इस प्रकार की सूचना कम्पनियों से एकत्र की जा रही है।

(ग) औषधियों का मूल्य औषधि (मूल्य-नियन्त्रण) आदेश 1970 की धाराओं के अधीन सरकार द्वारा नियन्त्रित अनुमोदित किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	जारी की गई साम्य पूंजी लाख रुपये
1.	ऐवट लेबोरेटेरीज लि० .	1.00
2.	एलकाली और कैमिकल्स कार० आफ इंडिया लि० .	434.00
3.	ऐंगलो फ्रेंच ड्रग्स कम्पनी लि० .	0.10
4.	बीकेम लि० . .	6.00
5.	वायर इंडिया लि०	300.00
6.	बोरिंगजर नोल लि०	60.00
7.	बुटस कम्पनी लि० .	75.00
8.	बरोज बेलकम एण्ड कं० लि०	50.00
9.	सीवा आफ इंडिया लि०	487.50
10.	सेनामिड लि०	70.14
11.	जरमन रेमीडीज लि०	52.00
12.	गलेक्सो लेबोरेटेरीज लि०	720.00
13.	जान्सन एण्ड जानसन लि०	36.00
14.	मे एण्ड बेकर लि० .	शाखा
15.	मर्क शर्प एण्ड डोम लि०	180.00
16.	ई मर्क लि०	66.81
17.	पार्क डेविस लि०	105.00
18.	फाईजर लि० .	560.00
19.	रेकिट एण्ड कालमन लि०	250.00
20.	रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि०	70.00
21.	रोश प्रोडक्ट्स लि० . .	100.00
22.	रेडोज इंडिया लि० . .	150.00
23.	सरले इंडिया लि० . . .	60.00
24.	स्मिथ एण्ड नेफ्यू लि०	11.25
25.	वाईट लेबोरेटीज लि०	75.00
26.	स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच लि० . . .	शाखा
27.	लेबोरेटेरीज ग्रीममाल्ट एण्ड कं०	2.00

38 LSS/73—10

विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	जारी की गई साम्य पूंजी लाख रुपये
28.	ऐंग्लो थाई कारपोरेशन लि०	शाखा
29.	चेस्वरो पोंड्स इंक	शाखा
30.	कूपर लेबोरेटेरीज	शाखा
31.	सी० डब्ल्यू० कारनेरिक (एशिया) . .	शाखा
32.	डेन्टल प्रोडक्ट्स ग्राफ इंडिया लि०	3.40
33.	इथनोर इंडिया लि० . .	5.00
34.	सी० ई० फुलफोल्ड लि०	5.00
35.	इंडियन शेयरिंग लि०	6.00
36.	निकोलास ग्राफ इंडिया लि०	शाखा
37.	रसल फर्मास्यूटिकल्स	6.54
38.	जान वाइथ ब्रदर्स . .	शाखा

ब्रैडी एण्ड कम्पनी, बम्बई के प्रबन्धकों पर ग्रारोप

1398. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रैडी एण्ड कम्पनी, बम्बई के प्रबन्धकों पर क्या ग्रारोप लगाये गये हैं ; ग्रौर

(ख) इस कम्पनी का समुचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुग्रा) : (क) डब्ल्यू० एच० ब्रेडी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध "मार्च ग्राफ दि नेशन" में ग्रारोप उस कम्पनी के 31 दिसम्बर, 1971 तक की ग्रवधि के लेखाग्रों को उन्तिम रूप दिये जाने में विलम्ब ग्रौर कम्पनी के ग्रध्यक्ष द्वारा भारी प्रासंगिक प्रभारों के व्यय से सम्बन्धित हैं।

(ख) कम्पनी ग्रौर उस के निदेशक, 31 दिसम्बर, 1971 तक के तुलन-पत्र को प्रस्तुत करने की ग्रसफलता पर, कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा ग्रभियोजित किये गये थे । कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा प्रेषित नोटिस में संदर्भित कुप्रबन्ध के मदों में भारी प्रासंगिक व्ययों को गठित किये जाने पर कम्पनी से पूछा गया कि कम्पनी कारण बताए कि कम्पनी ग्रधिनियम की धारा 408 के ग्रन्तर्गत कम्पनी के बोर्ड में 2 निदेशकों को क्यों नहीं नियुक्त किया जाए। सुनवाई 12 दिसम्बर, 1973 को निश्चित की गई है।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कदाचार

1399. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि हमारी ग्रर्थव्यवस्था का शोषण करने के लिए विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा गम्भीर कदाचार ग्रौर जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) एस्सो कम्पनी द्वारा आयात किए जाने वाले अशोधित तेल की प्रति बैरल कीमत में 95 सेन्ट की वृद्धि करने की एस्सो कम्पनी द्वारा सरकार को सूचना देने के क्या मूल कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मूल्य में वृद्धि 16-10-1973 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के गुल्फ सदस्यों द्वारा पोस्टेड मूल्यों में एक तरफा संशोधन के कारण है।

'केप्रोलेक्टम' की कमी की पूर्ति के लिये इसका आयात

1400. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैप्रोलेक्टम की अत्यधिक कमी को देखते हुए जिनके परिणामस्वरूप नायलोन धागे के मूल्य में 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो गयी है, सरकार ने हाल ही में लगभग 5 करोड़ रुपये के मूल्य के कैप्रोलेक्टम के आयात की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो इस कच्चे माल की कितनी मात्रा का आयात किया जाना है और किन-किन दलों को आयात लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) आयातित माल उपभोक्ता उद्योगों में किस प्रकार से बांटा जाना है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार ने कैप्रोमक्टम के आयात के लिये पहले ही 14 करोड़ रुपये का विनियोजन किया है और इतने ही और धन के विनियोजन का प्रायोगिक निश्चय किया गया है।

(ख) आयात के लिये अलग-अलग पार्टियों के दिये गये अधिकार पत्र निम्नलिखित मात्राओं के लिये हैं।

एकक का नाम	मद	मात्रा
1. जे० के० सिन्थेटिकस	कैप्रोलैक्टम/चिपस/अवशेष	780 मीटरी टन
2. निरलान .	कैप्रोलैक्स	700 मीटरी टन
3. जारबाड़े .	कैप्रोलैक्टम/चिपस	450 ,, ,,
4. सेन्चूरी एंका .	,,	100 ,, ,,
5. मोदीपान	,,	500 ,, ,,
6. श्री सिन्थेटिकस	,,	185 ,, ,,
7. गुजरात पाली माइड	,,	300 ,, ,,

(ग) अलग-अलग पार्टियों द्वारा इन अधिकार पत्रों पर आयातित कच्चा माल सम्बन्ध पार्टियों द्वारा प्रयोग किया जाता है । राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित माल यथानुपात आधार पर प्रत्येक उपभोक्ता के हक में लंबित रिलीज आर्डरों को ध्यान में रखकर वितरित किया जाता है ।

जुवारी स्थित उर्वरक कारखाने में कार्य को स्थगित करने के लिये गोवा सरकार का अनुरोध

1401. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **पट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या गोआ सरकार ने समुद्र जल के दूषण के कारण बालसौर तट के निकट मछलियों के बड़े पैमाने पर मरने को रोकने के लिए जुवारी स्थित उर्वरक कारखाने में कार्य को कुछ समय के लिए स्थगित करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) समुद्र जल को दूषित होने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) यद्यपि इस बारे में संयंत्र के परिचालन को बन्द करने के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है फिर भी गोआ की सरकार ने इस संयंत्र से वहि:स्राव से उत्पन्न प्रदूषण पर प्रभावशाली सामयिक नियंत्रण करने के लिए केन्द्र से प्रार्थना की है । प्रदूषण की सीमा तथा उसके स्वरूप का अनुमान लगाने तथा उसके लिए निवारक कदम उठाने के लिए विशेष अध्ययनों की शीघ्र ही व्यवस्था कर दी गई थी। अनुरक्षण तथा मरम्मत हेतु संयंत्र को अब बन्द कर दिया गया है और यह आशा की जाती है कि प्रभावशाली प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही इस माह के अन्त तक, जबकि संयंत्र चालू कर दिया जाएगा, पूरी कर ली जाएगी ।

उड़ीसा में निर्वाचन

1402. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन कार्य प्रगतिपूर्वक चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) क्या राज्य में निर्वाचन निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार होंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) जी हां। ऐसी आशा की जाती है कि जनवरी, 1974 के मध्य तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा।

(ग) निर्वाचन राज्य में संसदीय और विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र कराये जा सकेंगे।

———

सभा की बैठक का समय

TIMINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं ।

कुछ सदस्यों ने मुझ से लोक सभा की बैठक के नये समय के बारे में पूछा है । अभी तक हमने लोक सभा की बैठकों के समय के बारे में कोई परिवर्तन करने का निर्णय नहीं लिया है । इस संबन्ध में अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं । एक सुझाव सभा की बैठक दोपहर एक बजे से सांय 7 बजे तक करने का था। अन्य सुझाव सभा की बैठक दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक करने का था । तीसरा सुझाव सभा की बैठक प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक करने का था।

इस संबन्ध में एक प्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भी मुझसे भेंट की थी। उसने बताया था कि सभा की बैठक का समय दोपहर 1 बजे से सायं 7 बजे तक करना उनके लिये उपयुक्त नहीं होगा । सरकार भी उक्त परिवर्तन नहीं चाहती। अतः अभी हम पहले वाली ही व्यवस्था बनाये रखेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : प्रधान मंत्री इस के पक्ष में थीं।

अध्यक्ष महोदय : अभी सभा की बैठक का वही समय रहेगा। यदि सभा की बैठक के समय में कोई परिवर्तन किया जायेगा तो आपको इसकी सूचना दे दी जायेगी। लेकिन यदि हम मध्याह्न भोजन का समय समाप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस सम्बन्ध में हमेशा के लिये निर्णय लेना होगा ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय): मध्याह्न भोजन के समय को समाप्त करने का निर्णय क्यों लिया जाये ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : हम सभा की कार्यवाही में सरकार को सहयोग देने के लिये अनेक सुझाव दे चुके हैं । अब यदि सरकार कहेगी कि वह विधायी कार्य पूरा नहीं कर सकी, अतः मध्याह्न भोजन का समय समाप्त कर दिया जाय तो हम एक दिन के लिये भी ऐसा करने को सहमत नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा के समय में कोई परिवर्तन करना हुआ तो इसकी सूचना सदस्यों को एक सप्ताह अथवा दस दिन पूर्व दी जायेगी। वे अपने कार्यक्रम यथापूर्व रखें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

देश में अखबारी कागज की भारी कमी

श्री जी० विश्वनाथन् (वांडीवाश) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान अविलिम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :–

"देश में अखबारी कागज की कमी के परिणामस्वरूप कुछ समाचारपत्र बन्द हो गये हैं और सभी समाचारपत्रों ने पृष्ठों की संख्या कम कर दी है"

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : संसद के पिछले सत्र के दौरान सरकार ने यह बताने के लिए कि किस प्रकार अखबारी कागज की विश्वव्यापी कमी के कारण सन् 1973-74 के लिए देश के समाचारपत्रों को पिछले साल के लिए अधिकृत अखबारी कागज का उपयोग करते हुए उस साल की उनकी खपत पर आधारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अखबारी कागज हासिल करना संभव नहीं हुआ । उस समय यह अन्दाजा लगाया गया था कि देश के वर्तमान समाचारपत्रों को वितरणार्थ आयातित और दोनों देशीय प्रकार के अखबारी कागज की 1,57,100 टन मात्रा उपलब्ध होगी जबकि आवश्यकता 2,30,000 टन मात्रा की थी। इस प्रकार वास्तविक कमी 31.70 प्रतिशत थी । इसलिए सरकार को सभी समाचारपत्रों के अखबारी कागज के कोटे में 30 प्रतिशत की कटौती करनी पड़ी । 15,000 प्रतियों की खपत संख्या तथा 8 पृष्ठ स्तर के समाचारपत्रों को यह रियायत दी गई कि वे अखबारी कागज आबंटन संबंधी नीति में नये समाचारपत्रों के लिए किए गए उपबंध का सहारा लेकर कटौती से छूट की मांग कर सकते हैं ।

1,57,000 टन की अनुमानित उपलब्ध मात्रा में से, यह उम्मीद थी कि 1,26,700 टन विदेशों से आयात के माध्यम से उपलब्ध हो जायेगा—64,000 टन कनाडा से, 18,000 टन स्कैन्डेनेविया से, 10,000 टन बंगला देश से, 28.000 टन सोवियत संघ से, 1,000 टन पोलैंड से और 5,700 टन चैकोस्लोवाकिया से । जो स्थिति पहले ही कठिन थी, वह कनाडा के कुछ अखबारी कागज के मिलों में हड़ताल हो जाने और कुछ उन सप्लायरों, जिन से कन्ट्रेक्ट किए हुए थे, के द्वारा निर्धारित समय पर डिलिवरी न किए जाने के कारण और कठिन हो गई ।

विभिन्न कन्ट्रेक्टों के अन्तर्गत निर्धारित डिलीवरी समय के अनुसार, 71,000 टन अखबारी कागज दिसम्बर, 1973 के अंत तक देश में पहुंच जाना चाहिए। किन्तु अब तक केवल 9,580 टन अखबारी कागज ही—1,540 टन कनाडा से, 383 टन स्कैन्डेनेविया से, 1,451 टन बंगला देश से और 6,206 टन सोवियत संघ से पहुंचा है । 17,566 टन अखबारी कागज समुद्री रास्ते में है, 4,192 टन कनाडा से, 147 टन स्कैन्डेनेविया से, 993 टन बंगला देश से, 11,536 टन सोवियत संघ से और 698 टन पोलैंड से । 25,354 टन और अखबारी कागज साल के अंत तक प्राप्त होने की उम्मीद है, 10,808 टन कनाडा से, 1,703 टन स्कैन्डेनेविया से, 1,283 टन बंगला देश से, 10,258 टन सोवियत संघ से, 302 टन पोलैंड से और 1.000 टन चैकोस्लावाकिया से । इस प्रकार भेजे जाने वाली प्रत्याशित मात्रा और वास्तव म प्राप्त होने वाली मात्रा में 18,500 टन का अन्तर होगा । सप्लाई में इस कमी के कारण अखबारी कागज की कमी और विकट हो गई है । सप्लायरों को इस बात के लिए राजी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि वे कन्ट्रेक्ट की अखबारी कागज की मात्रा शीघ्र भेज दें ।

विश्वव्यापी कमी और उसके परिणामस्वरूप अखबारी कागज के कोटे में कटौती के कारण देश के समाचारपत्रों को अपनी पृष्ठ संख्या कम करनी पड़ी है। कुछ समाचारपत्र स्वेच्छा से अखबारी कागज की खपत और उपलब्धि में सन्तुलन कर रहे हैं । अखबारी कागज का कोटा प्राप्त करने वाला कोई भी समाचार-पत्र अखबारी कागज के अभाव के कारण बन्द हो गया हो, ऐसा अब तक कोई समाचार नहीं मिला है । चार समाचारपत्र थोड़ी अवधि के लिए बन्द हुए थे। जबकि अखबारी कागज की सामान्य कमी है, कुछ समाचारपत्रों के मामले में खपत हकदारी से ज्यादा हो जाने के कारण स्थिति विकट हो गई । अखबारी कागज की अत्यन्त कमी तथा कन्ट्रेक्ट की मात्रा के आयात में विलम्ब के कारण देश के सभी समाचारपत्रों के लिए यह और भी आवश्यक है कि वे अखबारी कागज की खपत अत्यन्त मितव्ययता से करें ।

श्री जी० विश्वनाथन् : अखबारी कागज की इस कमी से समाचारपत्रों के अतिरिक्त विपक्षी दलों को बहुत अधिक कठिनाई हुई है। अनेक छोटे समाचारपत्र बन्द हो गये हैं और देश में लगभग सब समाचारपत्रों ने अपनी पृष्ठ संख्या कम कर दी है। गत कुछ दिनों में अधिकांश समाचारपत्रों ने अपने मूल्य बढ़ा दिये हैं। राज्य व्यापार निगम देश का सबसे कुव्यवस्थित निगम है और इसी के कारण देश को कागज के संकट का सामना करना पड़ा रहा है।

हमारे देश में प्रति व्यक्ति कागज की खपत 1.5 किलोग्राम है जबकि अमरीका में 257 किलोग्राम है। हमारी अखबारी कागज की कुल आवश्यकता 2.45 लाख टन है। मेरी जानकारी के अनुसार राज्य व्यापार निगम ने केवल 1.66 लाख टन अखबारी कागज का करार किया है। देश में नेफा में किये जाने वाले कागज के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए भी वर्ष 1973-74 में 82,000 टन कागज की कमी रहेगी। राज्य व्यापार निगम इस मामले में बुरी तरह असफल रहा है। राज्य व्यापार निगम सप्लाई, विश्व में अखबारी कागज की कमी, विभिन्न देशों में मूल्य की भिन्नता का अनुमान लगाने में भी असफल रहा है और इसने अखबारी कागज की निरन्तर खरीद के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। राज्य व्यापार निगम त्रुटिपूर्ण नीति का अनुसरण कर रहा है और इसने कोई दीर्घावधि करार नहीं किये हैं। इसी कारण देश को अखबारी कागज के संकट का सामना करना पड़ रहा है।

सितम्बर, 1972 में आई० ई० एन० एस० ने विश्व में अखबारी कागज की कमी की ओर राज्य व्यापार निगम का ध्यान आकर्षित किया था और आग्रह किया था कि वह शीघ्र ही इस बारे में करार करे। लेकिन निगम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस बारे में 1973 में एक प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था लेकिन उनके प्रयासों के कोई परिणाम नहीं निकले। अन्य देशों ने इस सम्बन्ध में करार कर लिये लेकिन हमारे देश ने सबसे अन्त में मण्डी में प्रवेश किया है। कनाडा स्थित हमारे उच्चायुक्त ने अगस्त 1973 में दो सुझाव भेजे थे। लेकिन उनके बारे में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मन्त्री महोदय को मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखना चाहिए। हम मन्त्रालय के प्रतिवेदन का अध्ययन करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के सम्बन्ध में उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी विदेशी बैंक से इस प्रयोजन के लिए ऋण लेने का अनुरोध किया गया है? मुझे बताया गया है कि बैंक ऑफ अमरीका और फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक ऑफ न्यूयार्क ऋण देने के लिये तैयार थे। उन्होंने इस बारे में राज्य व्यापार निगम से सम्पर्क स्थापित किया था लेकिन निगम ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की।

राज्य व्यापार निगम ने विदेशी कम्पनियों से अधिक मूल्य पर करार कर निश्चित रूप से वित्तीय हानि उठाई है जिसे रोका जा सकता था।

करार की गई मात्रा में से भी केवल 7 प्रतिशत मात्रा पहुँची है। राज्य-व्यापार निगम की निष्क्रिय नीति के कारण अखबारी कागज देश में नहीं पहुँच सका। सरकार को दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। निगम की निष्क्रिय नीति के कारण समाचारपत्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा रहा है।

देश में नेपा स्थित संयंत्र ही अखबारी कागज का उत्पादन करता है। वह 15 वर्षों से अखबारी कागज का उत्पादन कर रहा है। अब सरकार उसका विस्तार करने पर विचार कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार 1969 से अब तक क्या करती रही?

यह भी बड़ी रोचक बात है कि लुगदी संयंत्र की स्थापना किये बिना कागज संयंत्र की स्थापना की गई है और कागज का उत्पादन करने वाली मशीन बेकार पड़ी है। कागज के मूल्य पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार कागज को समाचारपत्रों को देने की बजाये एजेन्टों को देती है। इसका परिणाम यह होता है कि जबकि नियंत्रित मूल्य 1500 रुपये हैं समाचारपत्रों को कागज का मूल्य 4000 से 4200 रुपये तक देना पड़ता है। इस प्रकार सरकार काले बाजार को स्वयं प्रोत्साहन दे रही है।

देश में कागज की इतनी अधिक कमी होने पर भी सरकार द्वारा उसके निर्यात की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

सरकार ने प्रेम आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

सरकार को रूस सरकार से अधिक से अधिक मात्रा में कागज आयात करने चाहिए।

चूंकि राज्य व्यापार निगम आवश्यक मात्रा में कागज उपलब्ध कराने में पूर्णतया असफल रहा है अतः सरकार को अखबारी कागज उद्योग को राज्य व्यापार निगम से लेकर किसी स्वतन्त्र संगठन को सौंप देना चाहिए, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करें।

देश में अखबारी कागज की कमी के लिए मंत्री महोदय को दोषी ठहराया जाना चाहिए और उन्हें इसके लिए त्याग पत्र देना चाहिए।

कागज के सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति नहीं है और यदि कोई नीति है भी तो वह कागज तक ही सीमित है।

श्री आई० के० गुजराल : यह दुर्भाग्य की बात है कि देश में अखबारी कागज की भारी कमी है। इस कमी का एक मुख्य कारण कीमतों में वृद्धि है। गत वर्ष हम अखबारी कागज 190 डालर की दर से खरीद रहे थे जो दर अब बढ़कर 300 डालर हो गई है। चार-पांच महीने पूर्व किये गये कागज के करार पूरे नहीं हुए क्योंकि कागज का मूल्य बढ़ जाने से उक्त देश अपने वायदों से मुकर गये हैं।

नीति की घोषणा करने के बाद अब भी 18,000 टन कागज की और कमी होगी क्योंकि एक मिल, जिससे करार किया गया था, बन्द हो गई है।

रूस सरकार से हम अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर अखबारी कागज खरीद रहे हैं। आई०ई०एन०एस० ने रूस सरकार से अखबारी कागज क्यों खरीदने की सलाह दी थी क्यों कि वह अखबारी कागज की अधिक कीमत मांग रहा था। यदि हमने उनकी सलाह पर ध्यान दिया होता तो आज संकट और अधिक गम्भीर होता। इस समय समस्या विदेशी मुद्रा की उपलब्धता की नहीं है बल्कि समस्या तो यह है कि अखबारी कागज उपलब्ध नहीं है। सौभाग्य से वित्त मन्त्रालय ने उदारतापूर्ण रुख अपनाया है और हमारी मांग के अनुसार हमें विदेशी मुद्रा दी है।

चूगर्ड फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव विचाराधीन है। वित्तीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस बारे में निर्णय लिया जायेगा।

इस समय देश का 185,000 टन अखबारी कागज की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

स्कैंडिनेवियाई देशों द्वारा 13,000 टन कागज की सप्लाई न करने पर यह कमी और बढ़ जायेगी। सरकार द्वारा उस स्थिति से बहुत चिन्तित है। हम अधिक से अधिक अखबारी कागज प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने आई०ई०एन०एस० और न्यूजप्रिन्ट सलाहकार समिति की पुनः बैठक बुलाई है। सरकार अधिकाधिक मात्रा में अखबारी कागज प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास करेगी।

सौभाग्य से नेपा स्थित संयंत्र अपना कार्य उचित रूप से कर रहा है और हमें उससे निर्धारित समय पर सप्लाई प्राप्त हो रही है। आशा है आगामी वर्ष के अन्त तक नेपा संयंत्र अपने उत्पादन में 70,000 टन की वृद्धि कर लेगा। केरल में भी एक संयंत्र की स्थापना की जा रही है। उसका निर्माण 1975-76 तक पूरा हो जायेगा। सरकार का विचार देश में दो और संयंत्र स्थापित करने का है क्योंकि देश में अखबारी कागज की मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और हमें उसे पूरा करने के लिये कुछ न कुछ कार्यवाही करनी होगी।

जहां तक साधारण कागज का सम्बन्ध है, देश में उसकी कमी नही है। मैंने उद्योग मन्त्री से इस सम्बन्ध में एक नीति बनाने का अनुरोध किया है और आशा है वह शीघ्र ही ऐसा करेंगे।

श्री जी० विश्वनाथन् : आप कागज का निर्यात क्यों कर रहे हैं।

श्री आई० के० गुजराल : आप उक्त प्रश्न उद्योग मन्त्री से पूछें। साधारण कागज और अखबारी कागज में अन्तर है। अखबारी कागज का निर्यात नहीं किया जा रहा है।

प्रेस आयोग की मुख्य सिफारिश यह है कि अखबारी कागज के उत्पादन के लिए और अधिक कारखाने स्थापित किये जाने चाहिएँ। साथ ही उसने यह भी कहा है कि अधिकांश मात्रा में अखबारी कागज का उपयोग करने वालों और बड़े उद्योग गृहों को पूंजी लगानी चाहिए जो पिछले 20 वर्षों से नहीं लगाई गई है।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : मैं श्री विश्वनाथन के इस कथन से सहमत नहीं हो सकता कि मंत्री महोदय को त्यागपत्र दे देना चाहिए। मानवीय मंत्री जी, श्री गुजराल आंकड़े प्रस्तुत करने में निपुण हैं।

मैं एक तथ्य की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में अनेक सिनेमा पत्रिकायें निकलती हैं। कोई भी सायराबानो अथवा डिम्पल कापड़िया के चित्रों को देखने में रुचि नही रखता (**व्यवधान**) यदि मन्त्री महोदय ऐसी सिनेमा पत्रिकाओं को दिये जाने वाले कोटे में कटौती कर दे तो इससे दैनिक समाचारपत्रों और इन को पढ़ने वालों को बहुत अधिक लाभ होगा।

मैं मन्त्री महोदय को एक और सुझाव देना चाहता हूँ। निहित स्वार्थ रखने वालों द्वारा चलाये जा रहे हमारे अधिकांश समाचारपत्र विज्ञापनों को अधिक और समाचारों को कम स्थान दे रहे हैं। समाचार पत्र विज्ञापन भरे होते हैं। इनमें समाचारों को देख पाना बहुत हो कठिन होता है। मेरा सुझाव है कि विज्ञापनों को दिये जाने वाले स्थान पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ताकि कम से कम बेचारे पाठक को तो लाभ हो सके।

हमें विदेशों के समाचारपत्रों को प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपने पृष्ठों में कटौती करें ताकि इससे हमारे जैसे निर्धन देश को लाभ पहुँच सके।

चूंकि मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह विश्वव्यापी संकट है और यदि यह विश्वव्यापी संकट है तो अमरीका, ब्रिटेन जैसे अधिक विकसित देशों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जैसे गरीब देश के समाचारपत्रों का विकास करने में समर्थ हो सकें।

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने पहले से राज्य व्यापार निगम को अपनी आवश्यकता बता दी थी और यदि ऐसी बात है तो राज्य व्यापार निगम ने अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया है । यदि उसने अपना कर्त्तव्य नहीं निभाया है, तो माननीय मंत्री महोदय विदेशों में जहां अखबारी कागज उपलब्ध हो, जायें और हमारे लिये अखबारी कागज लायें ।

सरकार कोल्हापुर में अखबारी कागज बनाना चाहती थी, उसका क्या हुआ ?

हम इस बारे में आत्म निर्भरता क्यों न प्राप्त करें ? हमें इसके लिए अपने उद्योग को विकसित करना चाहिए, क्योंकि देश में कच्ची सामग्री उपलब्ध है । हमें इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए विदेशों की ओर नहीं देखना चाहिये ।

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दे कर उनका उचित उत्तर देंगे।

श्री आई० के० गुजराल : मैं माननीय मित्र द्वारा उठायी गयी दो या तीन बातों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा ।

जैसा कि मुझे बताया गया है कि टोक्यों सम्मेलन में भारत के प्रमुख समाचारपत्रों ने भाग लिया था । उसमें सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था कि वे विश्वव्यापी कमी को समझते हैं और कि कोई विश्व्यापी समाधान भी ढूंढ़ा जाना चाहिये।

मेरे विचार में किसी प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये, ताकि एशिया के देशों को, जिन पर इस कमी का सब से अधिक कुप्रभाव पड़ा है, कुछ राहत मिले । एशिया के कुछ ऐसे देश जिन पर भारत से भी अधिक कुप्रभाव पड़ा है ।

जहां तक विज्ञापनों को स्थान देने का सम्बन्ध हैं, इसके दो पहलू हैं । आपको याद होगा कि इस सभा में सरकार ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि हम इस बारे में कुछ मानक निर्धारित किये जाने चाहियें। प्रेस आयोग ने एक सिफारिश भी की है कि समाचारपत्रों में 40 प्रतिशत विज्ञापन और 60 प्रतिशत पढ़ने की सामग्री होनी चाहिए । किन्तु दुर्भाग्यवश कुछ प्रमुख समाचारपत्रों ने इसे स्वीकार नहीं किया ।

अखबारी कागज की कटौती से पूर्व कुछ समाचारपत्रों ने 60 प्रतिशत विज्ञापना और 40 प्रतिशत पढ़ने की सामग्री के अनुपात को अपना लिया था । इसकी कटौती के पश्चात् कुछ समाचारपत्रों ने कई बार तो 70 प्रतिशत स्थान विज्ञापनों को देना शुरू कर दिया है ।

श्री विश्वनाथन अथवा कोई अन्य व्यक्ति ऐसी स्वैच्छिक आचार संहिता बना सकते हैं जिसके द्वारा समाचारपत्र 60 प्रतिशत पढ़ने योग्य सामग्री देने में समर्थ हो जाय .... (**व्यवधान**) । मैं श्री विश्वनाथन को आश्वासन दे सकता हूँ। यदि वह ऐसा चाहते हैं, तो उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा।

फिल्म पत्रिकाओं के संबंध में यह प्रश्न नहीं हैं कि हम किन पत्रिकाओं को पसंद अथवा नापसंद करते है।

हमारे देश में सभी को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता है । मैं कई बार यह भी महसूस करता हूँ कि यदि कोई भी फिल्म पत्रिका न हो, तो द्रमुक के मेरे मित्र इससे अप्रसन्न हो जायेंगे ।

महाराष्ट्र सहकारी समिति ने उद्योग मन्त्रालय को अखबारी कागज बनाने के लिए खोई का उपयोग करने की एक योजना भेजी है। कई चीनी के कारखाने खोई का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। शायद उद्योग मन्त्रालय इस पहलू को भी ध्यान में रखेगा। किन्तु मुझे बताया गया है कि उद्योग मन्त्रालय इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है। मध्य प्रदेश में बांस उपलब्ध है और 'नेपा' में इसका उपयोग किया जा रहा है। अतः, कच्ची सामग्री की कमी नहीं है। मूलतः प्रश्न यह है कि अधिक कारखानें स्थापित किये जाने चाहियें।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी): हम सरकार के आभारी हैं कि उसने इस समस्या के बारे में स्पष्ट स्थिति बता दी है। दुर्भाग्यवश इस देश में अखबारी कागज की कमी को प्रेस के एकाधिकारियों द्वारा सरकार के भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को कम करने के इरादे के साथ जोड़ा गया है जोकि सर्वथा निराधार है। मन्त्री महोदय को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि अखबारी कागज की कमी और सरकार द्वारा इसका राशन करने के इरादे का भाषण तथा अभिव्यक्ति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस देश के समाचार पत्र उद्योग को न केवल इस देश में अखबारी कागज के उद्योग स्थापित करते, बल्कि अन्य देशों में भी इस उद्योग की स्थापना का पता लगाने का परामर्श देगी? क्या सरकार इस संबंध में किसी उद्यम को काफी आर्थिक सहायता देगी जैसा कि वह अन्य आवश्यक उद्योगों के संबंध में दे रही है?

सरकार को इस मामले पर 'यूनेस्को' को एक विश्वव्यापी सम्मेलन बुलाने के लिये विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। 'यूनेस्को' को इस सम्मेलन में अखबारी कागज की खपत के संबंध में एक अन्तर्राष्ट्रीय राशन प्रणाली लागू करने के लिए लोकमत तैयार करना चाहिए। मेरे विचार में यदि अमरीका में अखबारी कागज में केवल 1 प्रतिशत की कमी कर दी जाय, तो विश्व के विकासशील देशों में काफी सीमा तक अखबारी कागज की कमी दूर हो सकती है।

समाचार पत्र उद्योग के मालिकों को अपनी कागज की प्रौद्योगिकी का, जिसका व्यापक रूप से अखबारी कागज का निर्माण करने के लिये उपयोग किया जाता है, उपयोग करने के लिये कहा जाना चाहिये।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह रूस की सरकार को कम-से-कम 50,000 टन अखबारी कागज सप्लाई करने की प्रार्थना करे, क्योंकि जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, रूस ही एक मात्र देश है जो हमारे देश को अखबारी कागज देने के लिए अपने वचनों को पूरा कर रहा है।

श्री आई० के० गुजराल: जहां तक अखबारी कागज के उद्योग का संबंध है, सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना लगाया जा रहा है। मुझे पता चला है कि प्रस्तावित अखबारी कागज निगम दो और कारखानों की स्थापना करने की संभावना पर विचार कर सकता है।

इस संबंध में गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक वर्ष पूर्व दो आशय-पत्र जारी किये गये थे किन्तु उन्हें वास्तविक रूप नहीं दिया गया है। यदि अपने हित में गैर-सरकारी क्षेत्र वाले इन क्षेत्रों में आते हैं तथा पूंजी निवेश करने का प्रयास करते हैं तो मुझे आशा है कि वह माननीय सदस्य के सुझाव को मान लेंगें।

'यूनेस्को' से साथ मामला उठाने का सुझाव समर्थनीय है और मेरा इरादा इस मामले को उठाने का है।

जहां तक रूस का संबंध है, चालू करार के अन्तर्गत वह हमें 50,000 टन, अर्थात् 28,000 टन इस वर्ष और शेष आगामी वर्ष, अखबारी कागज सप्लाई कर रहा है। हम उसे और अखबारी कागज सप्लाई करने के लिये प्रार्थना करेंगे।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : ऐसा प्रतीत होता है कि देश जिस किसी संकट का सामना करता है, वह विश्वव्यापी हो जाता है। प्रधान मंत्री महोदया बार-बार यह कह रहीं हैं कि मूल्यवृद्धि एक विश्वव्यापी घटना है। इसी प्रकार सूचना और प्रसारण मंत्री भी इसे विश्वव्यापी घटना बता रहे हैं। हमें इस कठिनाई का सामना करना चाहिए।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान स्थिति ठीक प्रकार से आयोजन न करने के कारण पैदा हुई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग इसके लिये जिम्मेदार है और यदि योजना आयोग जिम्मेदार है, तो आखिरकार सरकार पर जिम्मेदारी आ जाती है। हमने अपनी घरेलू मांगों की पूर्ति के मामले में पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर बनने के लिए योजना क्यों नहीं बनायी ? यह भी मालूम हुआ है कि राज्य व्यापार निगम ने विदेशों से अखबारी कागज़ प्राप्त करने के अनेक अवसरों को खो दिया। यदि ऐसी बात है तो राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री विश्वनाथन के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या सरकार का विचार एक स्वतन्त्र निगम बनाने का है, क्योंकि राज्य व्यापार निगम इस मामले में सतर्क तथा जागरूक नहीं रहा है। यह भी संदेह है कि कुछ अखबारी कागज़ को उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के लिये दे दिया गया है। मंत्री महोदय को मूल्यों तथा उपलब्धता के बारे में पूर्ण विवरण उपलब्ध करने चाहियें। क्या वह आगामी वर्षों के लिये पहले से कोई आयोजन कर रहे हैं ?

मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने समाचार पत्रों ने अपने पृष्ठ कम कर दिये हैं। कितने समाचार-पत्रों ने अपनी प्रतियां कम कर दी हैं और कितने समाचार पत्रों ने अपने मूल्य बढ़ा दिये हैं ?

सभा को याद होगा कि पिछली बार जब मैंने यह प्रश्न उठाया था, तो मंत्री महोदय ने बताया था कि समाचार पत्रों को मूल्य नहीं बढ़ाने दिये जायेंगे। मंत्री महोदय को चाहिये कि वह सभा को बतायें कि क्या कुछ समाचारपत्रों ने पहले ही मूल्य बढ़ा दिये हैं और यदि उन्होंने मूल्य बढ़ाये हैं, तो क्या सरकार की अनुमति से ऐसा किया गया है।

क्या कुछ राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने प्रकाशन बन्द करने के नोटिस दिये हैं

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अखबारी कागज के निर्माण के लिये गैर-सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं और कितनी परियोजनाएं बनायी गयी हैं और इस संबंध में कितने व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं।

क्या सरकार पर समाचार पत्रों और अखबारी कागज के नियंत्रित मूल्यों को बढ़ाने के लिए दबाव डाला जा रहा है ?

क्या सरकार का प्रस्ताव कागज निगम के स्थान पर एक स्वतन्त्र निगम की स्थापना करने का है ? मैं मंत्री महोदय से कुछ अन्य प्रश्नों का उत्तर भी चाहता हूं।

श्री आई० के० गुजराल : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह संकट विश्वव्यापी है। हमने इसे पैदा नहीं किया है। यदि हम समय पर कोई करार करते हैं, किन्तु सप्लाई करने वाला उसके अनुसार सप्लाई नहीं करता, तो इसमें हमारा दोष क्या है। अतः मैं माननीय सदस्य को सुझाव देता हूं कि वह इस मामले को दलगत दृष्टिकोण से न देखे, क्योंकि ये हम सब के लिये चिंता पैदा करने वाला मामला है। जैसा कि माननीय मित्र का भी विश्वास रहा है, आज बनायी गयी योजनाओं का दूरगामी प्रभाव होता है, तो योजना मंत्री रहते उन्होंने जो योजनायें बनायीं थीं, उनका प्रभाव हम पर आज पड़ रहा है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैंने योजना विभाग को 12 वर्ष पूर्व छोड़ दिया था।

श्री आई० के० गुजराल : उसके लिए हमें आज हानि उठानी पड़ रही है।

जहां तक एक स्वतन्त्र निगम की स्थापना का संबंध है, एक अखबारी कागज निगम की स्थापना की जा रही है। यह कागज के निर्माण कार्यक्रम तथा आयात, वितरण आदि का ध्यान रखेगा।

जहां तक आगामी वर्ष की संभावनाओं का संबंध है, मुझे काफ़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि वे अच्छी नहीं हैं। इस समय उच्चतर मूल्यों पर करार किये जा रहे हैं। मध्यम और छोटे समाचार पत्र ये मूल्य देने में असमर्थ हैं। आज भी 300 डालर प्रति टन की दर तक मूल्य मांगा जा रहा है। मैं नहीं जानता कि सभी करारों को कार्यरूप देने तक यह क्या होगा।

इसी प्रकार, आगामी वर्ष के लिए सप्लाई की स्थिति भी आशाजनक नहीं है। कनाडा में जो प्रतिनिधि मंडल गया था, वह आगामी वर्ष के लिये केवल 53,000 टन के लिये करार करने में समर्थ हो पाया है, जबकि हम कनाडा से समान्यतय: औसतन 80,000 टन तक का आयात करते रहे हैं।

जहां तक कुछ समाचार पत्रों के कभी-कभी न छपने का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि ऐसा केवल मध्यप्रदेश क्रानिकल, नवभारत टाइम्स (हिंदी), भोपाल, राजपत्रिका आदि के बारे में हुआ है।

यह उन समाचार पत्रों का निजी मामला है, उस पर इस सभा में चर्चा करना उचित नहीं है।

जहां तक समाचार पत्रों द्वारा मूल्य-वृद्धि का संबंध है, इस के बारे में सभा ने एक विधेयक पारित किया हुआ है। आई०ई०एन०एस० ने गत मास सुझाव दिया था कि मूल्य-वृद्धि की जानी चाहिए। इस पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों का एक दल गठित किया गया जिसमें आई०ई०एन०एस० और सरकार के प्रतिनिधि शामिल किये गये।

कुछ समाचार पत्रों ने पहले ही मूल्य वृद्धि कर दी है। मैं यह महसूस करता हूं कि समाचार पत्र कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेरे विचार में प्रत्येक समाचार पत्र कठिनाई का सामना कर रहा है।

जहां तक प्रकाशन बन्द करने के किसी नोटिस का संबंध है, मुझे प्रकाशन को बन्द करने का कोई नोटिस अभी तक नहीं मिला है **(व्यवधान)**

श्री श्यामनन्दन मिश्र : परिचालन की क्या स्थिति है ?

श्री आई० के० गुजराल : यह उनका आंतरिक मामला है। सामान्यतया समाचारपत्रों ने अपने पृष्ठ कम कर दिये हैं।

जहां तक परियोजनाओ का संबंध है, 'नेपा' में आगामी वर्ष तक उत्पादन दुगुना हो रहा है। केरल परियोजना का निर्माण हो रहा है। दो गैर-सरकारी तथा दो सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें स्थापित किये जाने की संभावना है।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : क्या आप का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का है ?

श्री आई० के० गुजराल: नहीं, क्योंकि आज हमारी कुल आवयश्कता लगभग, 2,30,000 टन की है। ऐसी संभावना है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह बढ़कर 3½ लाख टन हो जायेगी। यदि सभी परियोजनाओं में उत्पादन होने लगे, तो उत्पादन लगभग, 40,000 टन प्रति दिन से बढ़ कर लगभग, 50,000 टन हो जायेगा।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : माननीय मंत्री की हम सभी के साथ, जो समाचार पत्र चलाते हैं, सहानुभूति है, अतः मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता कि उन्हें त्यागपत्र देने के लिये कहा जाये। मेरे विचार में उन्हें मंत्रिमंडल रैंक के मंत्री के रूप में पदोन्नति दी जानी चाहिये, ताकि वह वर्तमान संकट का सामना करने के लिये अधिक जिम्मेदारी से काम कर सकें।

मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि भविष्य में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर केवल विरोधी पक्ष के सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये, ताकि प्रश्नों और उत्तर में कोई भ्रांति न पैदा हो सके।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इसकी विश्व भर में कमी है। प्रत्येक कमी को विश्वव्यापी कमी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मंत्री महोदय ने विश्व के .06 प्रतिशत उत्पादन को प्राप्त करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। अतः हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी अक्षमता स्वीकार की है। ऐसा उनके नियंत्रण में कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के कारण हुआ है। हम उन पर इसलिये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस कमी का लाभकारी समाधान क्या ढूंढा है ?

मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि 50 से 60 प्रतिशत अखबारी कागज का उपभोग करने वाले 4 अथवा 5 बड़े गृहों को सरकारी मूल्य पर सप्लाई की जाती है, जबकि छोटे समाचार पत्रों को अपना प्रबंध स्वयं करना होता है।

विदेशों में कमी की असमानता को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं कहा जाता जैसा कि भारत में, क्योंकि वहां की सरकारें प्रत्येक बात में हस्तक्षेप नहीं करती रहतीं।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को क्या समझते हैं? सरकार यदि उत्पादन नहीं करती तो वह मूल्य निश्चित करने वाली कौन है ?

मूल्य तो मांग और सप्लाई के अनुसार स्वयं निश्चित हो जाते हैं। अतः, सरकार को बाजार में इसके स्टाक से भर देना चाहिये था। उस का अर्थ यह होगा कि सभी को अखबारी कागज मिलने लगता। किन्तु, आज स्थिति यह है कि इस समय छोटे समाचार पत्र अधिक मूल्य पर तथा बड़े समाचार पत्र कम मूल्य पर अखबारी कागज खरीद रहे हैं। अभी भी समय है जबकि इसका स्टाक बाजार में भर दीजिए। बाजार में मूल्य अपने आप निश्चित हो जायेंगे, सप्लाई के काम में हस्तक्षेप मत कीजिए।

श्री आई० के० गुजराल : समाचार पत्रों को सहायता देते समय मुझे श्री पीलू मोदी के लिये फार्म भरने तथा अखबारी कागज दिलाने के लिये सहायता करनी पड़ी और उन्हें यह प्राप्त हो गया। अतः उनका यह कहना कि छोटे अखबारों को कागज नहीं मिल रहा है, उचित नहीं है।

मुझे विश्वास है कि उनके इस सुझाव से कि स्टाक को बाजार में भर दीजिए, श्री बाजपेयी भी सहमत नहीं होंगे।

श्री पीलू मोदी : वे सभी सामाजवादी हैं।

श्री आई० के० गुजराल : लोग बाजार में ऊंचे मूल्यों पर इसे खरीदने में असमर्थ हैं। इस समय मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि उन्हें कठिनाई अनुभव हो रही है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां॰ आ॰ 553 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो भारत के राजपत्र दिनांक 20 अक्तूबर, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसमें उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 6 दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 5738/73]

मिट्टी के तेल और डीजल के अधिकतम मूल्यों के निर्धारण के बारे में अधिसूचना आदि

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 10 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰ नि॰ 472 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰ नि॰ 485(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) हल्का डीजल तेल (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) तीसरा संशोधन आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा॰ सां॰ नि॰ 486(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) चौथा संशोधन आदेश, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 8 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा॰सां॰नि॰ 493(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल॰ टी॰ 5739/73]

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) कठिनाइयों का निवारण आदेश तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 में कतिपय संशोधन करने वाली अधिसूचनायें

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बदव्रत बरुआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 87 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) कठिनाइयों का निवारण आदेश संख्या 2 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां॰ आ॰ 3085 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰ 5740/73)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 494 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 9 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की छठी अनुसूची में कतिपय परिवर्तन किये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5741/73]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1185 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 443(ङ) में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5742/73]

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

ARREST AND RELEASE OF MEMBER

(श्री एस. राधाकृष्णन)

अध्यक्ष महोदय : मैं पुलिस आयुक्त, मद्रास से प्राप्त दिनांक 19 नवम्बर, 1973 के दो तारों के बारे में सभा को सूचित करता हूं जिनमें बताया गया है कि श्री एस० राधाकृष्णन, सदस्य, लोक सभा, को, जिन्हें फोर्ट सेंट जार्ज, मद्रास में तथा उसके आस-पास लागू निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के कारण 19 नवम्बर, 1973 को 11-10 बजे गिरफ्तार किया गया था, उसी दिन 12-30 बजे छोड़ दिया गया।

Shri Madhu Limaye (Banka): Sir, what about my question regarding Shri Shiv Shankar Yadav ?

Mr. Speaker : I have got no information. I have asked for information from the Ministry of Home Affairs.

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : कृपया आप मुझे लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 222 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दें......

मैंने 14 नवम्बर, 1973 को बर्दवान में नौ वामबंथी दलों के सिविल अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। प्रदर्शन में भाग लेते हुए न्यायालय प्रांगण में मुझे लगभग 12 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ अन्य स्वयंसेवकों सहित मुझे पुलिस की बन्दी गाड़ी में ले गये। बन्दी गाड़ी हमें बर्दवान से 15 मील दूर गाल्सी ले गई। गाल्सी से कुछ दूर हमें गाड़ी से उतरने के लिये कहा गया। बर्दवान वापस भेजने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, परिणामतः बड़ी कठिनाई से हम बर्दवान पहुंच पाये। मेरे विचार से पुलिस अथवा जिला प्रशासन ने आपको मेरी गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी है, जो विशेषाधिकार का हनन है।

यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिये जिससे कि इस मामले में उचित कार्यवाही की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं गिरफ्तारी के बारे में पूरे तथ्य प्राप्त करूंगा। जहां तक सदस्य के दायित्व को निभाने की बात है वह दिल्ली में हो सकती है पश्चिम बंगाल में नहीं।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मुख्य बात यह है कि माननीय सदस्य को गिरफ्तार किया गया. . .। मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये। तथ्यों की जांच कराई जानी चाहिये। समय बचाने के विचार से मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में जांच करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु।

समिति के लिए निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

लोक लेखा समिति

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री धर्मराव शरणप्पा अफ़जलपुर के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, लोक लेखा समिति के शेष कार्य-काल के लिये सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री धर्मराव शरणप्पा अफजलपुरकर के स्थान पर, जिनका निधन हो गया है, लोक लेखा समिति के शेष कार्य-काल के लिये सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Madhu Limaye : Sir, you object to the policy statements being made by the Ministers outside the House during session period. But why it is not so in the case of Prime Minister ? The Prime Minister has announced a cut in the States, allocations in the Fifth Plan in U.P. Everybody has got the same rights in this House. Prime Minister should not be allowed to dishonour this august House. Discussion on Finance Commission has not been allowed.

अध्यक्ष महोदय: प्रधान मंत्री को लोगों को सूचित करने तथा उनकी प्रतिक्रिया जानने का अधिकार है।

---

38 LSS/73—11

नियम 377 के अंतर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

अलीगढ़ जेल में एक हरिजन सत्याग्राही की मृत्यु का समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I would like to raise a matter of public importance under rule 377. The Harijans from Haryana are on Satyagraha in Delhi for the last two months against anti Harijan policy of Haryana Government. It is alleged that they have been evicted from the land which was given to them 19 years back. They have been deprived of their crops and 25 thousand Harijan families have been uprooted. Four thousand Harijans are still in jails.

It is a sorry state of affair that the Harijans arrested in Delhi are sent to the jails in the neighbouring States due to lack of accommodation in Delhi jail.

A Satyagrahi named Jeero Ram was sent to Aligarh jail and on 10th he died in the jail. Jail authorities did not inform the family members of the Satyagrahi about his illness. Even his dead body was not handed over to his family members. Only the ashes have been given to them.

Parliament cannot be silent spectator of the atrocities on Harijans. We are aware of the fact that under directive principle No. 46 the Central Government is responsible to safeguard the educational and economic interests of scheduled castes and scheduled tribes. Hon. Home Minister should be asked to make a statement about the agitation of Harijans in Haryana and the cirumstances in which a Harijan Satyagrahi died in Aligarh jail. The Central Government should ask the Government of Uttar Pradesh to order a judicial inquiry into the death. The Centre should also ask the Haryana Government to find a peaceful solution to the problem.

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री इसे नोट कर लें और सम्बद्ध मंत्री से एक वक्तव्य देने के लिये कहें।

इसके पश्चात लोकसभा मध्याहन भोजन के लिए 2 बज कर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for lunch till half past fourteen of the clock

मध्याहन भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बज कर 32 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha re-assembled at Thirty-five minutes past fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
The Deputy Speaker in the Chair

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: REPORTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर (अमीरपुर) : सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिये बहुत उत्सुक है। शिक्षा मंत्री ने सदन में 23 जुलाई, 1973 को कहा था कि सेन समिति पर शिक्षकों के वेतन आदि के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार किया जा रहा है। 19 नवम्बर, 1973

को भी शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा ही उत्तर दिया था और वह पहले की अपेक्षा भी कम शब्दों में। इससे प्रकट हो जाता है कि सरकार शिक्षकों के कल्याण के लिये कितनी उत्सुक है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से इतना तो अनुरोध करता हूं कि वह शिक्षकों के नए वेतनमानों को शीघ्र कार्यरूप दिलाने का प्रयत्न करें।

दूसरे, केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। केन्द्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालयों की बराबर स्थापना हो रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक समिति की स्थापना की जानी चाहिये जो इस बात की जांच करे कि राज्य विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक छात्र पर कितना व्यय आता है। विश्वविद्यालय केवल शहरों में ही स्थापित नहीं किये जाने चाहियें अपितु पिछड़े क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिये जहां राज्य अपने विश्वविद्यालय स्थापित नहीं कर सकते।

मूल्यवृद्धि के कारण निर्माणकार्य बहुत महंगा हो बनाया है। हिमाचल-प्रदेश जैसे विश्वविद्यालय में छात्रावास बनाये जाने की बहुत आवश्यकता है। ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्र की ओर से नियतन किया जाना चाहिये। ऐसा नहीं किया गया तो वहां के छात्र दिल्ली के छात्रों के समान लाभान्वित नहीं होंगे। केन्द्र तथा राज्यों द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों में समानता होनी चाहिये।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को, इस बात का पता लगाने के लिये कि उच्च शिक्षा की दिशा में केन्द्रीय सरकार का क्या योगदान हो एक विशेषज्ञ समिति बनाने का अधिकार दिया गया था। काफ़ी विलम्ब के पश्चात् इस वर्ष मई में वह समिति बनाई गई है। समिति का प्रतिवेदन भी प्राप्त हो गया है।

उच्च शिक्षा के मामले में पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों के बिश्वविद्यालयों में एक और समस्या सामने आ रही है। सरकार ने कुछ समितियों की स्थापना की है। आवश्यकता इस बात की है कि शहरों के समान ही पिछड़े तथा पर्वतीय क्षेत्रों में उदारतापूर्वक कालिज खोले जाएं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सभी राज्यों के विश्वविद्यालयों की सहायता करनी चाहिये।

सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिये उपकुलपतियों की एक समिति नियुक्त की है। यह आश्चर्य की बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ही एक समिति बनाई जाए। जैसी कि लोक लेखा समिति ने सिफ़ारिश की है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिये ऐसे विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जानी चाहिये जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्बन्धित न हो।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : हमारे सार्वजनिक जीवन में संसद में तथा सरकार में शिक्षा अभी भी उपेक्षित प्रतीत होती है। शिक्षा तथा आर्थिक विकास के बीच आंगिक सम्बन्ध है। आज हमारा आर्थिक विकास अवरुद्ध है, शिक्षा का विकास भी आशानुकूल नहीं है। मंत्री महोदय को शिक्षा के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम से बड़ी आशाएं थीं। हम समझते थे कि ऐसे उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के रहते शिक्षास्तर में सुधार के लिये अवश्य ही कार्य किये जाएंगे। परन्तु वास्तव में हुआ क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानता है कि शिक्षा में विकास हुआ है? विभिन्न क्षेत्रों के पाठ्यस्तरों में सुधार हुआ है। परन्तु मेरे विचार से यह अतिशयोक्ति है। जहां तक देश में उच्च शिक्षा की समग्र स्थिति का सम्बन्ध है यह स्थिति बहुत खराब है। शिक्षकों, छात्रों, प्रशासन तथा जनता सभी के दृष्टिकोण में यह स्थिति निराशाजनक है।

शिक्षा के विषय में एक भावना जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले विद्यमान थी, शिक्षा प्रसार से जो भावात्मक सान्निध्य था वह लुप्त होता जा रहा है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हम विभिन्न विज्ञानों तथा कलाओं के सृजनात्मक कार्यों के क्षेत्रों में बड़े-बड़े विद्वानों की बात सुनते थे और वे भावात्मक कठिनाइयों की क्षतिपूर्ति करते थे। अतः विद्या-अर्जन राजनैतिक दबाव के कारण उत्पन्न तथा विश्वज्ञान-कोष में योगदान देने का विचार शिक्षा प्रसार की भावना हमारे जीवन के वातावरण में बसी हुई थी परन्तु आज ऐसा नहीं है।

एक स्वतंत्र देश में, उस देश में जिसे आगे बढ़ना है और अपना समुचित विकास करना है, ज्ञान ही शक्ति है। समाज में सजीव शक्तियों का ज्ञान ही इच्छानुकूल समाज परिवर्तन में सहायक सिद्ध हो सकता है। विद्या विकास से हमारा भावात्मक सान्निध्य होना चाहिये। परन्तु इसके विपरीत हमारे विश्व-विद्यालय शिक्षा की दुकान बन गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र की सामान्य स्थिति बहुत ही निराशाजनक है, इसके विषय में कुछ किया जाना चाहिये।

केवल राज्य ही इसके लिये उत्तरदायी नहीं हैं, इसका दायित्व शिक्षकों, छात्रों, जनता, विभिन्न राजनैतिक दलों, सभी पर है। सभी को इस विषय में गतिशील होना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश की विचारधारा के अनुसार कार्य करना चाहिये।

सुना है कि कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति निराशाजनक है। जहां भी दृष्टि जाती है आशापूर्ण स्थिति नज़र नहीं आती है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और ऐसी नीतियां अपनानी चाहिये जिनसे निश्चित रूप से विद्या विकास हो सके।

विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है। उदाहरण के लिये पंजाब विश्व-विद्यालय में सेवानिवृत होने के उपरान्त भी प्राध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं तथा वहां वनस्पति विज्ञान विभाग में उच्च अध्ययन की व्यवस्था नहीं है इसी प्रकार अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में अनेकों आरोप हैं।

संबद्ध कालेजों की समस्या भी बड़ी उग्र है। इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 23 लाख है। सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा उन्हें सहायता देनी चाहिये। विद्यार्थियों की भी अपनी अनेक समस्याएं हैं। आज विद्यार्थी और प्राध्यापकों के बीच संपर्क का अभाव है। पिलानी विश्वविद्यालय में जो कुछ हो रहा है, वह इसका उदाहरण है। हमें विद्यार्थी आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिये और उनकी आवाज़ को सुनना चाहिये।

संसद के गत अधिवेशन में डा० वी० के० आर० वी० राव ने विश्वविद्यालय के नीति निर्धारण में विद्यार्थियों के भाग लेने संबंधी श्री मधु लिमये के संकल्प को स्वीकार किया था, यह एक गंभीर विषय है जिस पर विचार किया जाना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार परीक्षा सुधार योजना के बारे में कार्यवाही कर रही है। इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं परन्तु इसका परीक्षण किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि इस परीक्षा सुधार योजना से विद्यार्थियों का योग्यता निर्धारण केवल परीक्षा पर ही नहीं होगा अपितु उसकी अन्य बातें भी देखी जानी चाहिये। यदि इस नई योजना से लाभ होता है तो हमें इसे जारी रखना चाहिये। इस संबंध में होने वाली आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिये।

उच्च शिक्षा का स्तर बहुत सीमा तक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है। यदि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का स्तर गिरा हुआ होगा तो इसका प्रभाव उच्च शिक्षा के स्तर पर पड़ेगा। सरकार को इस दिशा में कुछ करना पड़ेगा अन्यथा हमें मनोवांछित लाभ नहीं मिलेगा।

शिक्षा के विस्तार से ही शिक्षा के स्तर में सुधार हो सकता है। हम ऐसी आशा नहीं कर सकते हैं कि उच्च शिक्षा केवल कुछ लोगों को प्राप्त हो और शेष लोग निम्न शिक्षा में ही संतुष्ट रह जाएं, हमें शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिये।

विश्वविद्यालय जो पुस्तकें छपवाते हैं वे केवल अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों का पुनर्मुद्रण होती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकें छपवाई जाएं, अंग्रेजी भाषा पुस्तकालयों तक रहनी चाहिये। उच्च अध्ययन मातृ भाषा में ही दी जानी चाहिये तथा इसका आरम्भ प्राथमिक शिक्षा से होना चाहिये। सरकार विश्वविद्यालयों को पर्याप्त धन देती है परन्तु अंग्रेजीदां वर्ग उनका उपयोग भारतीय भाषाओं में पुस्तकें छापने में नहीं करता है। इसके बिना हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। हमें कम-से-कम अपने लोगों के भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिये।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : Going through the U.G.C. report, one find that even its members are not clear in their role. It has worked only as a link to distribute Government money among Universities. The members are highly qualified. Besides giving grants they should try to bring readical changes in educational field. They should try to eliminate defects in educational system also.

It seems that distribution of grants is not based on sound basis. Different states have their own characteristics. Some are prosperous while other are not. The U.G.C. should give special attention to such States. In the district of Darbhanga of Bihar only last year a University was established but it is not getting grants from the U.G.C. The hon. Minister may look into it.

The student of today has no principle in his life. There is no programme before them. They only follow the conduct of their political leaders. The political leaders particularly our Jan Sangh Colleagues should think over this.

Sir, there is no ceiling on the admission of students in the University. This exemption invites students to make hooliganism and trouble in the colleges. Why the U.G.C. does not impose ceiling on the admission of students? Students should be given admission in the University or in the hostel on the basis of merits. This will make meritorious students to work more hard. The U.G.C. should take this into consideration.

I am not against the autonomy of Universities. But I am opposed to the way of its use. For example Chandigarh University did not reply inspite of many reminders. The same case is with other Universities. My contention is this that the hon. Minister may take note that the posts of Vice Chancellor, Registrars, Asstt. Registrar should be made transferable.

Sir, students are the assests of the nation. Their role during Independence struggle cannot—be forgotten. It is sad that gap between us and students is increasing. We should bring them nearer. They should be invited to participate in the University affairs. In this way their energy will be utilised in a better way.

38LSS/73—12

The education system needs radical changes. It should be made job orientated. At the conclusion I want to say that the Government should be Considerate in the appointment of Vice-Chancellor. He should be the embodiment of greatness so that he may command the respects of students.

Shri Jagannathan Joshi (Shajapur) : It seems that after independence, the field of education did not get proper attention. The report says that while there is increase in the number of Universities, colleges and students, lawlessness and indiscipline have also crept into it. It means that we have not shouldered our responsibility to educate our new generation during the last twenty five years. There are two aspects of education. The one aspect of education is to make the student cultured and the other is to make him capable of shouldering the responsibility. But we failed in both the aspects.

The cry of making the education job orientated came only when the student realized after finishing the education that his future is in dark. There is not parity between education and the duty of life, Twenty five years have passed but we have no adopted clear cut policy regarding the medium of instruction. We have recognized Hindi as our National language but what steps we have taken to popularize it. I do not mind about the brain drain that is taking place in our country. But my mind is agitated when I see that a village boy prefer to stay in the city after finishing his education. Even a pensioner does not like to go to villages. It is all due to defects in our education system.

Here many Education Ministers came and voiced that our education pattern should bee changed. They should see that our students are educated in term sense and become capable of shouldering responsibilities. I am surprised that the recommendations of Gajendragadkar Committee have not been implemented so far. No action has been taken for the participations of students in the University's affairs. Facilities in respect of sports, Auditorium, library etc. are not available in the colleges. The report says that hostel accomodation is acute for large number of students.

The report has given important place to the teachers. But according to the newspaper report Dayal Singh College had to be closed down because its teacher did not get salaries. When in Colleges of Delhi have no amenities like water then what to take of other University in the Country. Unless we fulfill the basic needs of teachers, we cannot expect good results from them. Why not the recommendations of Kothari Commission regarding teachers are not implemented.

The U.G.C. is not impartial in giving grants. Universities like Jawaharlal Nehru University in Delhi and Indira Sangeet Kala Vidyalaya in Madhya Pradesh get huge grants. The number of students are less there but they receive handsome grants.

New Universities are coming up but we should see that quality of education is maintained. We should ensure that proper changes should take place in our educational system. Discrimination should be eliminated and the student be prepared to shoulder the future responsibilities.

श्री राजा राम शास्त्री (वाराणसी) : मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रतिवेदन में अच्छा कार्य दिखाने के लिये बधाई देना चाहूंगा। मेरा अनुरोध है कि आगामी पांचवीं योजना में शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक धन की व्यवस्था की जाए। धन के आबंटन में कटौती करने से हम कठिनाई में पड़ जाएंगे और हमारे विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। इस प्रतिवेदन में छात्र और असंतोष के कोई वास्तविक कारण नहीं दिये गए हैं। इस संबंध में मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा जामिया मिलिया इस्लामिया के दीक्षांत समारोह में दिये गए उस वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने मूल्यों की शिक्षा तथा एकीकृत शिक्षा की वकालत की है। आश्चर्य है कि इस प्रतिवेदन में उनके विचारों की झलक नहीं मिलती है। मुझे आशा है कि आयोग शिक्षा के प्रति उनके जीवन दर्शन पर विचार करेगा। यदि हम समाजिक, लोकतंत्र, समाजवाद आदि मूल्यों का एकीकृत रूप अपनी शिक्षा के लिये अपनाते हैं तभी हमें समस्या का समाधान मिल सकता है और हम सही दिशा की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि शिक्षा क्षेत्र की कुछ बुराइयों के कारण इस क्षेत्र के बाहर वर्तमान है। मैं यह बताना चाहूंगा कि स्वयं शिक्षा इस बाहरी कारणों को दूर कर सकती है। उदाहरण के लिये प्रत्येक कारखाने, फार्म आदि का उपयोग इस कार्य में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिये किया जा सकता है इस दिशा में राष्ट्रीय समाज सेवा योजना भी बहुत कुछ कर सकता है। शिक्षा का एकीकृत रूप को अपनाने से ही विद्यार्थी रोजगार का प्रशिक्षण लेने के साथ-साथ अध्ययन भी जारी रख सकेंगे, शिक्षा को इस जिम्मेदारी से यह कह कर अलग नहीं किया जा सकता है कि इसके कुछ कारण शिक्षा क्षेत्र से बाहर स्थित हैं।

अनुसंधान के क्षेत्र हमें बाहरी प्रभावों को दूर करना पड़ेगा। अनुसंधान कार्यक्रमों में राजनीति तथा बाहरी तत्व घुसे हुए हैं। अनुसंधान क्षेत्र का राष्टीयकरण किये जाने की आवश्यकता है। अनुसंधान क्षेत्र में विदेशी सहयोग लेने की वजह से हम अपनी समस्याओं की ओर ध्यान न देकर विषय के लिये अन्य देशों की ओर ताकते हैं। विना अनुसंधान क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किये हम समस्या को हल नहीं कर सकते हैं।

***श्री जे० माता० गौडर (नीलगिरि)** : कुछ वर्षों से विश्वविद्यालयों में तरह-तरह के हिंसात्मक उपद्रव हो रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने प्रतिवेदन में स्वयं इस बात को स्वीकार किया है, उसने इसके कई कारण बताए हैं जैसे अनिश्चित भविष्य के कारण शिक्षित बेरोजगारों में व्याप्त नैराश्य की भावना, अध्यापन तथा अध्ययन की अपर्याप्त सुविधाएं, विद्यार्थी-अध्यापक के बीच संबंध का न होना आदि। मैं जानना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश को इस संकट से उभारने के लिए क्या कर रहा है।

वर्ष 1971-72 में 89.6 प्रतिशत छात्रों ने आर्टस्, साइंस, कामर्स आदि विषयों में अपना नाम दर्ज करवाया था। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में इन विषयों के छात्रों का भविष्य क्या है?

केवल 1.3 प्रतिशत छात्रों ने कृषि शिक्षा पाठ्यक्रमों में और 0.2 प्रतिशत छात्रों ने पशु-विज्ञान विषयों में दाखिला लिया है। भारत कृषि-प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक एवं आधुनिक कृषि उपकरणों के अभाव के कारण हमारे देश में कृषि विकास में अब भी पशुधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या ऐसी परिस्थितियों में इन विषयों में इतने कम छात्रों का दाखिला लेना निराशाजनक स्थिति नहीं है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जिम्मेदारी अनुदान देने तक ही सीमित नहीं, उन्हें छात्रों के लिये पाठ्यक्रमों की ओर उचित ध्यान देना चाहिए जिससे राष्ट्र की प्रगति भी होगी और भावी संतति खुशहाल भी होगी। अब तक जितने शिक्षा मंत्री बने हैं, सभी ने कहा

*तामिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summaried Hindi translated varsion based on English translation of the speech delivered in Tamil.

है कि शिक्षा में आमूल सुधार किये जाने चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है ? चीन में विश्वविद्यालय और कालेजों में प्रवेश से पहले छात्रों को दो वर्ष तक कारखानों में काम करना पड़ता है जिससे उन्हें कठोर परिश्रम करने का अभ्यास और व्यावहारिक समस्याओं का ज्ञान हो जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को हमारे देश में भी इसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में समान रूप से धन वितरित करना चाहिए। परन्तु वर्ष 1966-67 से 1973-74 तक इन्होंने 66 विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली 8 संस्थाओं को लगभग 56.30 करोड़ रुपये दिये हैं। जैसाकि आपको पता है देश में 86 विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय मानी जाने वाली 9 संस्थाएं हैं। प्रतिवेदन में इस बात का कोई उल्लेख नहीं कि कौन से विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता नहीं मिली। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

जब तक सरकार शिक्षा की ओर प्रमुख रूप से ध्यान नहीं देती तब तक हमारे देश की जनता की आशाएं और आकांक्षाएं स्वपन मात्र बनी रहेंगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रर्याप्त धन उपलब्ध किया जाना और उसका समुचित वितरण भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

उच्चतर शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें देश में प्रकाशित नहीं होती हैं। चिकित्सा शिक्षा संबंधी पुस्तकें अब भी आयात की जाता हैं और छात्र इनको खरीदने में असमर्थ हैं। अच्छे मेडिकल उपकरणों का भी आयात किया जा रहा है। 25 वर्ष की स्वाधीनता के बाद भी यह स्थिति है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्चतर शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें देश में ही प्रकाशित करने के बारे में कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri Anant Prasad Dhussia(Basti): University grants Commission was set up to reform education but I am sorry to say that its performance has not been satisfactory. The Gajendragadkar Committee had submitted its report to University Grants Commission and unemployment among the educated young men was highlighted in that report but University Grants Commission has not taken any action on that. The present education will be useless if the same is not made purposive . If the present situation regarding unemployment among educated youngmen is allowed to continue, the future generations will neither excuse this education department nor this administration.

श्री के० एन तिवारी पीठासीन हुए

[Shri K. N. Tiwary in the chair]

University Grants Commission has given stepmotherly treatment to the affiliated Colleges in the matter of giving grants in which 85 percent University education is imparked. I think the main reason for such treatment is that affiliated Colleges do not have any representation in the University Grants Commission. The amount which is spent on research work in Universities is spent through Professors who undertake research work and guide others in this field. But these professors work in Study Boards Selection Committees and they are also their examiners. They spend almost three months in these assignments and are unable to guide the research students. Moreover, they are always in search of better jobs. There should be some restraint over them. I hope the Minister of education will look into it.

Mr. Chairman : The discussion will be taken up later on. Now we shall take up discussion under rule 193.

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE: REPORTS OF TARIFF COMMISSION

Shri Madhu Limaye (Banka) : The Government have delayed the Tariff Commission Reports very much.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए

Shri N. K. P. Salve in the chair

The prices of synthetic yarn have been increasing due to non-publication of these reports. After the publication of these reports, the prices had come down temporarily but the capitalist took advantage of indecision of the Ministry and increased the prices steeply in the month of July and August. A voluntary agreement between the weavers and the yarn manufacturers had emerged according to which 75 per cent production should go to the weavers at the rates fixed by them and 25 per cent would go in the open market. But the point is whether 75 percent production is being sold to the weavers or not and whether central Nylon committee has any control over it or not. I have come to know that only 60 percent yarn is being sold at the rates fixed voluntarily and 40 percent yarn is sold arbitrarily. It was decided that the companies which were not concerned by this voluntary agreement would be asked to follow it but no effort has been made in this direction. Century Enka, Shree Synthetics and Stretchlon have been selling their entire production in the open market at the prevalent prices. I would like to know the action taken to bring them under the purview of the aforesaid agreement.

Birla Companies are manufacturing 75 percent yarn from rayon. An agreement was signed that 60 percent production would be sold at the rates fixed in the voluntary agreement and 40 percent would be sold in the open market. The Tariff Commission has recomended that with a view to cope with the growing demand of synthetic yarn, it is necessary to augment the Capacity of production in our country. With this point of view, not only present plants should be expanded but new Units should also be established in public sector, co-operative sector, joint sector and in small sector. But that has not been done because if the production capacity increased in other section it would go against the interests of big businessmen like Mody, J.K. and Birlas who have monoply over production of nylon and other synthetic yarn. Birla companies have increased the production of Staple fibre three to four times. Similarly, the production of tyre chord is also in the hands of Birlas. J.K. was given a licence for manufacturing Nylons taple fibre but they have installed the machinery for Polyster fibre in their Kota factory. Neither customs Department nor this Ministry has taken any action against them. On the other hand, they are being supplied which costly and imported material like D.N.T. although no licence has been given to them for Polyster fibre. Century Enka has been given a new letter of intent. There is 40 percent foreign capital in this concern and a large amount of profit is being sent to foreign countries. In spite of this, Government is quite indifferent and not taking any action againt J.K.

It is understood that the Chief Minister of Mysore and Tamil Nadu have complained that Central Government is standing in the way of setting up of Nylon Filament yarn Plants. Why it is so? The Production of Nylon Filament yarn must be increased because it is now being used by Common man. We have to depend on rain for the production of Cotton. In view of this, we should pay more attention to synthetic yarn industry. We should, therefore, set up more units in joint sector, public sector and co-operative sector.

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

[Shri K. N. Tiwari in the Chair]

If the for producing yarn and cloth caprolactum and D.T.M. are utilized and then that cloth is exported foreign countries, we can increase our earnings from Rs. 18 crores to Rs. 100 crores.

The prices of cloth should also come down. In case the price of yarn is reduced, the prices of cloth can also be reduced. The Government should formulate an integrated textile policy for this purpose. The Ministries should be reorganised on rational and scientific basis. The voluntary agreement with the nylon and royon yarn manufacturing companies should be reviewed and all the synthetics yarn producing companies should be brought within the gemut of the agreement.

The by-product of petroleum should be properly used. Every effort should be made to produce caprolactum in the country itself. This will save huge amounts of foreign exchange.

श्री धामनकर (भिवंड) : आजकल रेयन, स्टेपल, नायलोन आदि सभी किस्मों के धागों का जन साधारण प्रयोग करता है। स्टेपल फाइबर यार्न उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के अन्य भागों में लुंगी बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब इनके मूल्यों में वृद्धि होती है तब बुनकर उसको खरीद नहीं सकते और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर कपड़ा बेच नहीं सकते। हमारे देश में वर्ष 1950 के बाद ये उद्योग स्थापित किये गये। उससे पूर्व सभी प्रकार के कृत्रिम धागों और रेशों का जापान, हॉलैंड, ब्रिटेन, तथा अन्य देशों से आयात किया जाता था। सबसे पहले ट्रावनकोर रेयन्स और फिर नेशनल रेयंस की स्थापना हुई। सरकार ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। परन्तु वर्ष 1963 में एक ऐसी स्थिति आई जब इन सभी निर्माताओं ने बुनकरों को मंहगा भाव पर धागा सप्लाई करना शुरू किया। जब आयात कम होने लगा तो इन देशी निर्माताओं में एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। वे जो भी मूल्य मांगते, बुनकरों और उपभोक्ताओं को देना पड़ता। देश के विभिन्न भागों में इस समय 11,000 एकक काम कर रहे हैं। लगभग 1,08,000 विद्युतचालित करघे भी कृत्रिम धागों से चल रहे हैं। उन्हें एकाधिकारी निर्माताओं पेर निर्भर करना पड़ता है। वर्ष 1968 में जब मूल्य बढ़ रहे थे तब 1951 के अधिनियम के अंतर्गत यह काम टैरिफ आयोग को सौंपा गया। उनके प्रतिवेदन वर्ष 1970 और 1972 में प्रस्तुत किये गये थे परन्तु उन्हें बहुत विलंब से सभा-पटल पर रखा गया। जब सरकार ने देखा कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है और निर्माता बुनकरों का शोषण कर रहे हैं तब सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक पुनर्विलोकन समिति बनाई जिसके लिये बुनाई उद्योग के दो प्रतिनिधि, कताई उद्योग के दो प्रतिनिधि और एक सरकारी अधिकारी को चुना गया। इस समिति की समय समय पर बैठकें होती रहीं और वे बुनकरो की सीधे सप्लाई करने के लिये धागे के मूल्यों और कपड़े के मूल्य निर्धारित करते रहे हैं। रेयन निर्माताओं को बुनकर एसोसिएशन को 60.5 प्रतिशत रेयन धागा सप्लाई करना होता है। इसी प्रकार 75 प्रतिशत नायलोन धागा बुनकर ऐसोसिएशन को सप्लाई किया जाना होता है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या इस कदार को क्रियान्वित किया गया या नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि बुनकरों को मुश्किल से 30-40 प्रतिशत ही की सप्लाई की गयी। शेष धागा काफी ऊंचे दामों पर खुले बाजार में बेच दिया गया। इससे बुनकरों को अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ा और करोड़ों रुपये का काला धन प्रयोग में आने लगा। मंत्रालय के प्रयत्नों के बावजूद, निर्माताओं ने बुनकरों की कठिनाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सेंचुरी एनका करार पर हस्ताक्षर करने के लिये सहमत नहीं हुई। उनका लाभ 32 प्रतिशत से अधिक था। सरकार ने टैरिफ आयोग

के प्रतिवेदनों को न तो स्वीकार किया और है न ही कोई कार्यवाही की। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रेयन और नायलोन कारखानों का शतप्रतिशत उत्पादन अपने नियंत्रण में लेले और वास्तविक बुनकरों उसे वितरित करे। अन्यथा इस प्रकार से करार बुनकरों पर जबरदस्ती लागू किये जायेंगे और निर्माण उनका उल्लंघन करते रहेंगे।

टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन अब पुराने हो गये हैं। विभिन्न वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं और मजूरी में भी वृद्धि हो गई है। अतः इन पर फिर से विचार किया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं श्री मधु लिमये का समर्थन करता हूं जिन्होंने इस मामले को सदन में उठाया है। कुछ समय पहले लगभग 70 लाख बुनकरों को बेरोजगार कर दिया गया था। उस समय यह आश्वासन दिलाया गया था कि सूत के वितरण पर कानूनी नियंत्रण लगाया जाएगा। किंतु जब सूत के मूल्यों में वृद्धि हुई तो बुनकरों को भूखों मरना पड़ा तथा उन्हें विवश होकर एक गोदाम को लूटना पड़ा जहां सूत रखा हुआ था।

वर्तमान स्थिति यह है कि 40 से 60 प्रतिशत तक सूत का वितरण इन बड़े मगरमच्छों के अधिकार में है। हमारी मांग है कि नायलन, रेयन, तथा सूती धागे के समस्त उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण हो तथा उसका वितरण ऐसे सहकारी समितियों द्वारा किया जाए जिनका कार्य न्यायसंगत है। मैं वर्तमान समस्या के लिये कपड़ा आयुक्त को उत्तरदायी मानता हूं। इस आयुक्त का कार्य राज्य सरकारों को सूत का कोटा आवंटित करना था।

बुनकरों की स्थिति दयनीय है किन्तु बिड़ला और कपाड़िया जैसे बड़े उद्योगपति भारी लाभ अर्जित कर रहे हैं। ये उद्योगपति बुनकरों का खून चूस रहे हैं।

बड़े उद्योग गृहों ने सहकारी समितियों के नाम से अपने छोटे एकक भी खोल रखे हैं तथा अपनी मिलों से करोड़ों रुपयों का लाभ अर्जित करने में साथ-साथ वे इन छोटे एककों से लाभ कमाते हैं। इन्हीं कारणों से सूरत और अमृतसर आदि में बुनकरों ने हड़ताल की है।

मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात उर्वरक निगम कैप्रोलेक्टम कारखाना स्थापित करने में सफल हुआ कि नहीं और यदि नहीं तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं। क्या इस कारखाने को अब गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है, और यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की इस मामले में उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की मधु लिमये के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी कि धागे के पूरे उत्पादन का वितरण सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस सदन की एक समिति नियुक्त करेगी जो इस संपूर्ण समस्या की जांच करे क्योंकि टैरिफ आयोग की विभिन्न रिपोर्टों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस व्यापार में कितना घोटाला किया जाता है। क्या सरकार भविष्य में ऐसे कारखानों की स्थापना सरकारी क्षेत्र में करेगी? सरकार केवल संकट-ग्रस्त मिलों को ही अपने अधिकार में लेती है? ऐसे कारखानों को अपने अधिकार में क्यों नहीं लेती जो इतना अधिक लाभ कमा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री बसंत साठे (अरोला) : श्री मधु लिमये ने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया है किन्तु उन्होंने उस चर्चा में दलगत भावना के वशीभूत होकर श्री० सुब्रह्मण्यम पर० जे० के० बंधुओं

से 10 लाख रुपया लेने का आरोप लगाकर अच्छा नहीं किया। यह आरोप निराधार है। यदि माननीय सदस्य इस आरोप की पुष्टि कर सकें तो इस आरोप को सभा के बाहर लगाएं।

श्री मधु लिमये : ठीक है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : यह आरोप निराधार है तथा उसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय ने इसका खंडन कर दिया है तथा अब इस बारे में आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बसन्त साठे : यह मामला 1968 में टेरिफ आयोग को सौंपा गया था जिसने अपना पहला प्रतिवेदन 1970 में तथा दूसरा 1972 में दिया था। टैरिफ आयोग ने ही प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब किया। प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय ने इन प्रतिवेदनों को सभा में प्रस्तुत किया। किन्तु 1968 से सम्बन्धित कुछ आंकड़ों को पुनरीक्षित करना पड़ा क्योंकि उनमें भारी परिवर्तन हो गया था। हमें मंत्री महोदय के उन प्रयत्नों की अवश्य सराहना करनी चाहिये जिनके परिणामस्वरूप नायलन के धागे की कीमतों में 50 प्रतिशत से भी अधिक की कमी हुई तथा उससे छोटे बुनकरों को लाभ हुआ। 75 रुपया प्रति किलो ग्राम के भाव से बुनकरों को 75 प्रतिशत धागा उपलब्ध कराये जाने की भी व्यवस्था की गई थी। किन्तु इस व्यवस्था को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। उसके लिये मंत्रालय उत्तरदायी है तथा उसे ऐसे एककों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये जो बुनकरों को 75 प्रतिशत धागा नहीं देते।

रेयन धागे का बाजारभाव 22.50 रुपया प्रति पौंड था तथा यह निर्णय किया गया था कि 8 रुपया प्रति पौंड के हिसाब से बुनकरों को रेयन यार्न मिलना चाहिये। स्टेपल यार्न के बारे में यह निर्णय किया गया था कि शत प्रतिशत स्टेपल यार्न बुनकरों को दिया जाये। मैं श्री मधु लिमये की इस मांग का समर्थन करता हूं कि जो कारखाने उन करारों का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए।

जहां तक केप्रोलेक्टम का सम्बन्ध है विश्व की मण्डियों में उसके मूल्यों में 470 डालर से 2100 डालर की वृद्धि हुई है। मुझे ज्ञात हुआ है कि रूस में इसकी बहुतायत है तथा रूस इसे जापान को दे रहा है। अतः सरकार रूस के सहयोग से देश में केप्रोलेक्टम का कारखाना स्थापित करने तथा इसका रूस से आयात करने के मामले में सरकार गम्भीरता से क्यों नहीं विचार करती? सरकारी क्षेत्र में इस संयंत्र की स्थापना की बहुत आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में सरकार वर्तमान कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग कराये तथा नए एकक भी स्थापित करे। इनकी स्थापना निगमित क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र तथा संयुक्त क्षेत्र में की जानी चाहिये। यदि सरकार अपनी नीतियों को दृढ़ता से पालन करे तथा उन सुझावों का स्वीकार करे तो स्थिति में पूरा सुधार हो जाएगा। आशा है सरकार दोषी एककों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : It was stated by the hon. Minister that Hind version of the Report of the Tariff Commission would be laid on the Table shortly. But it has not be laid on the Table of the House as yet.

Companies manufacturing man made fibre, are engaged in doing various kinds of malpractices. In the statement while placing the Report the hon. Minister stated that the percentage of profit permitted to be earned by the companies was under consideration of the Government. May I know the time to be taken by the Government in taking a decision in this matter ? These companies have been earning enormous profits, for example Gwalior Rayon, Magda of Birlas has been earning more than Rs. one crore a day. Being a weaver I personally know the difficulties being faced by the weaver, due to the defective system of distribution of yarn. I, therefore, demand an early decision in this matter.

I also demand that a Committee of the Members of the Parliament should be constituted to look into this matter so that all kinds of malpractices could be brought to the notice of the House.

I would also like to brought it to the notice of the House that the licence given to Gwalior Rayon would enable the company to enjoy monopoly position in Madhya Pradesh and no plant could come up for next 30 years there. This step of the Government creats suspicion in the minds of the people that certain 'give and take' procedure has been adopted. Besides the profit earned by them is not distributed among the workers. When they demand bonus they are treated with firing or sent to jail.

सभापति महोदय : मूल विषय टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन के बारे में है। आप कहां से कहां पहुंच गये ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The owner of the factory has earned the profit of Rs. 17 crores in accordance with the prices fixed by the Government. Apart from this profit they have earned more than Rs. 20 crores which is black money with them. Is it not an apparent reason to prove that some body is there to share this profit. Certain quantity of yarn is also smuggled in our country resulting in adverse effects on the production of yarn in our country. I reiterate may demand for appointing a committee to look into the whole problem.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : टैरिफ आयोग के चारों प्रतिवेदन बड़े भारी भारी दस्तावेज हैं जिनका मैं पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर पाया । मैं श्री मधु लिमये की इस बात के लिये सराहना करता हूं कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में सभा में चर्चा किये जाने का अवसर दिया है जो भविष्य में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा । मुझे अधिक प्रसन्नता होती यदि श्री मधु लिमये ने सरकार से कुछ ऐसे क्रांतिकारी उपाय करने की मांग की होती जिनसे इस उद्योग में विद्यमान बहुत से कदाचारों का अन्त होता । उन्होंने गरीब बुनकरों का शोषण करने वाली वर्तमान प्रणाली को पूर्णतः समाप्त किये जाने की मांग की बजाये एक ऐसी मांग की है जो वर्तमान दोषपूर्ण प्रणाली से समझौता मात्र है । मुझे श्री मधु लिमये जैसे जनता के वास्तविक और निर्भीक प्रतिनिधि से ऐसी आशा नहीं थी । उन्हे यह मांग करनी चाहिये थी कि मंत्री महोदय सम्पूर्ण उत्पादन को अपने नियंत्रण में ले लें । उन्होंने कुछ कारखानों को बुरा बताया है । सम्भव है वे बुरे हों। किन्तु मरा विचार है कि इतने महत्वपूर्ण उद्योग के बारे में कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिये ।

उन्होंने एक सुझाव यह दिया है कि केप्रोलेक्टम का बड़ पैमाने पर आयात किया जाए तथा नए कारखानों की स्थापना के लिये अधिक से अधिक लाइसेंस दिये जाएं उन्होंने विकास और सामाजिक न्याय के साथ साथ उपलब्धि पर बल दिया है । निःसंदेह बिना सामाजिक न्याय दिये विकास की कल्पना

भी नहीं की जा सकती । किन्तु समस्या यह है कि धागा किस प्रकार प्राप्त किया जाए तथा उसे बुनकरों को उचित मूल्य पर किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए । यदि कारखानों द्वारा स्वतः न्यायोचित मूल्य पर धागा उपलब्ध नहीं कराया जाता तो सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये।

अभाव की स्थिति में व्यापारियों तथा उत्पादकों ने देश की अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक जटिल बना दिया है । वे अधिक लाभ कमाना चाहते हैं जिससे सामान्य जनता को भारी कठिनाई होती है। यदि सरकार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती तो भविष्य में जनता के सभी प्रतिनिधियों को बुरे दिन देखने होंगे ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कुछ लोगों ने स्वैच्छिक करार को मंजूर नहीं किया है । इस बात में मैं श्री मधुलिमये का समर्थन करता हूं कि यदि कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये तथा उन्हें इस करार का पालन करने के लिये विवश किया जाना चाहिये।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : स्वैच्छिक करार के बारे में किसी को सम्मिलित होने को कैसे विवश किया जा सकता है ?

श्री धामनकर : उन्हें कच्चा माल न दिया जाए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यह प्रश्न न्यायसंगत है और इसका उत्तर भी श्री धामनकर ने बिल्कुल सही दिया है । ऐसी स्थिति में सरकार उनके पूरे उत्पादन को अपने नियंत्र में लेकर उचित मूल्य पर वितरित करे । मेरे विचार से सरकार इतनी असमर्थ नहीं है कि वह ऐसे व्यक्तियों से न निपट सके । ऐसी स्थिति में ो कुछ भी नहीं किया जा सकता ।

श्री लिमये की दूसरा सुझाव भी महत्वपूर्ण है जहां तक उत्पादन क्षमता में वृद्धि का सम्बन्ध है मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूं । वास्तव में मैं गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र को एक राष्ट्रीय क्षेत्र मानता हूं तथा दोनों के हितों में कोई विरोध नहीं मानता । यदि गैर-सरकारी क्षेत्र मुनाफाखोरी और शोषण को प्रवृत्ति छोड़ दे तो दोनों क्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं है ।

मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में संयुक्त क्षेत्र में कितने-कितने आशय पत्र दिये गये हैं तथा निगमित क्षेत्र को कितने आशयपत्र दिये गये हैं ।

मैं श्री साठे के इस सुझाव से भी सहमत हूं कि रूस से केप्रोलेक्टम का अधिकाधिक आयात किया जाए तथा सभी सहयोग से देश में एक बड़ा संयंत्र स्थापित किया जाए । आशा है मंत्री महोदय जो प्रगतिशील विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, इस उद्योग में विद्यमान समस्याओं को दूर करेंगे तथा बुनकरों को कठिनाइयों से मुक्त करेंगे ।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सेलम) : इस समय कृत्रिम रेशम धागे के मूल्य और वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। स्वैच्छक करार योजना के अन्तर्गत कताई मिलों और बुनकरों की केन्द्रीय समिति देश में उत्पादित धागे के 50 प्रतिशत धागे को राज्यों और क्षेत्रीय समितियों को नियतन करती है। ये समितियां विद्युत चालित तथा हथकरघों को धागे का नियतन करती है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूप र ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

गत छः महीनों में इस केन्द्रीय समिति ने तमिलनाडु को आर्ट सिल्क का नियतन नहीं किया। बार-बार आग्रह किए जाने पर टेक्सटाइल कमिशनर ने जून, 1973 में 8.20 लाख किलोग्राम तथा सितम्बर, 1973 में 4.07 लाख किलोग्राम का नियतन किया।

धागे के वितरण के बारे में न्यायालयों में बहुत से मुकदमें दायर किये गये हैं। स्वैच्छिक करार का पालन नहीं किया गया जिससे बुनकरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरा सुझाव है कि 31 दिसम्बर, 1973 के बाद इस योजना को लागू नहीं रखा जाए। इस बारे में सभी प्रकार की समितियां आती है। अतः धागे के वितरण पर कानूनी नियंत्रण किया जाए तथा उसका राशन किया जाए।

तमिलनाडु में आर्ट सिल्क के लगभग पांच लाख किलोग्राम धागे की मांग है किन्तु वहां केवल 2 लाख किलोग्राम धागा सप्लाई किया जा राहा है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि आर्ट सिल्क के धागे के वितरण का मामला पूरी तरह से तमिलनाडु सरकार पर छोड़ दिया जाए।

स्टेपल यार्न के लिए तमिलनाडु में प्रतिमास लगभग 12,000 गांठों की आवश्यकता है। साउथ इन्डिया मिल्स एसोसिएशन द्वारा तमिलनाडु को केवल 2,000 गांठ सप्लाई की जाती हैं। इससे वहां कमी की स्थिति रहती है। अतः मेरा सुझाव है कि स्टेपल फाइबर का वितरण कानूनी ढंग से किया जाए।

कृत्रिम धागे के उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता 142.10 मिलियन किलोग्राम है। किन्तु 1972 में केवल 131.18 मिलियन किलोग्राम का उत्पादन हुआ। मुझे कोई आशा नहीं है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकेगी।

टैरिफ आयोग ने सितम्बर, 1970 में यह सिफारिश की थी कि मूल्य नियंत्रण से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। उन्होंने सिफारिश की थी कि आर्ट सिल्क के धागे के उत्पादन और वितरण पर भी नियंत्रण होना चाहिए। किन्तु सरकार ने इस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया।

यदि देश में स्थापित आठों मिलों में अधिष्टापित क्षमता के अनुसार कृत्रिम धागे का उत्पादन किया जाए तो कोई कमी नहीं रहेगी। किन्तु सरकार नहीं चाहती कि मिलें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करे। सेंचुरी रेयन मिल्स को केन्द्रीय सरकार ने यह आदेश दिया है कि वह अपने उत्पादन में कमी करें।

मैं दिनांक 11 अगस्त, 1973 के 'करेंट' में प्रकाशित एक लेख का उल्लेख करना चाहुंगा, जिसमें कहा गया है कि सत्ताधारी कांग्रेस दल में एक बार फिर शासन तंत्र का उपयोग राजनीतिक कार्यों के लिए किया है और नायलोन कातने वालों पर दबाव डाल कर उनसे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों के लिए आठ करोड़ रूपये वसूल किये हैं। इस लेख में आगे कहा गया है कि प्रशुल्क आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि नायलोन के धागे का मूल्य वर्तमान मूल्य से काफी कम होना चाहिए। उस प्रतिवेदन को इन वर्षों में बुनकरों और कातनेवालों के बीच तथा कथित समझौते का तर्क दे कर दबा दिया गया। इस लेख में और भी कई बातें बताई गई हैं लेकिन में उनका उल्लेख नहीं करना चाहता।

रेयन के धागे के उत्पादन में कमी और ऊंचे मूल्यों का एक कारण यह भी है कि राज्य व्यापार निगम रेयन के धागे के उत्पादन के लिये लकड़ी की लुगदी पर्याप्त मात्रा में आयात नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप, कई मिलों के लिये अपने एकक बंद कर देने का खतरा पैदा हो गया। रेयन के धागे के उत्पादन के लिये प्रतिवर्ष 40 हजार टन लकड़ी की लुगदी की आवश्यकता होती है। अमरीका

की एक कम्पनी ने सूचना दी है कि वह केवल 24 हजार टन लकड़ी की लुगदी सप्लाई कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने उसका मूल्य 25 प्रतिशत बढ़ा दिया। इस घटना के बाद राज्य व्यापार निगम की आंख खुली और उसने लकड़ी की लुगदी का आयात करने के लिये अन्य साधन खोजने शुरू कर दिये। यह पता नहीं है कि इस बीच सरकार इस स्थिति का किस प्रकार मुकाबला करेगी।

सरकार ने लकड़ी की लुगदी का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही की है जो समर्थनीय है।

मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह ये कदम तुरंत उठायें: (1) बम्बई स्थित कतैय्यों और बुनकरों की केन्द्रीय समिति को समाप्त किया जाना चाहिये तथा उसे स्वेच्छिक समझौते के 31-12-73 को समाप्त हो जाने के बाद कदापि बने रहने नहीं दिया जाना चाहिये; (2) हर राज्य की रेयन के धागे की मांग को पूरा किया जाना चाहिये तथा इसके वितरण का भार राज्य सरकार को, बुनकरों के परिचय-पत्र के माध्यम से, सौंपा जाना चाहिये; (3) विद्युत चालित करघों से हथकरघों को अलग किया जाना चाहिये; (4) रेयन के धागे और 'स्टेपल यार्न' का उत्पादन करने वाली सभी 8 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये तथा उनके पूरे उत्पादन को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : जब सरकार को पता चला कि कृत्रिम रेशे की भारी मांग है तो उसने प्रशुल्क आयोग गठित किया ताकि वह कृत्रिम रेशे के मूल्यों की जांच कर सके।

प्रशुल्क आयोग का निर्णय होने तक बुनकरों और कतैय्यों के बीच अन्तरिम समझौता हुआ ताकि बुनकरों को धागा वितरित किया जा सके। समूचे भारत के बुनकरों ने सरकार से स्पष्ट प्रणाली निश्चित करने का अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में बुनकरों और कतैय्यों के बीच बैठक हुई। फिर एक उमदा व्यवस्था की गई जिससे समूचे भारत के बुनकर संतुष्ट हैं; इस व्यवस्था के अनुसार 76 रुपये प्रति किलोग्राम की उचित दर पर नायलोन के उत्पादन का 75 प्रतिशत भाग बुनकरों को दिया जाना चाहिये।

रेयन फिलामेंट रेशे के सम्बन्ध में उत्पादन का 60 प्रतिशत भाग 8 रुपये की उचित दर से देने की व्यवस्था की गई।

स्टेपल रेशे के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई कि 50 प्रतिशत बुनकरों को सप्लाई किया जायेगा और 50 प्रतिशत खुले बाजार में बेचा जायेगा।

इस प्रकार पिछले वर्षों में बुनकरों को ये धागे पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किये जा रहे हैं और उद्योग संतोषजनक रूप से चल रहा है।

कपरोलैक्टम की विश्वव्यापी कमी है। कैपरोलैक्टम का उत्पादन हमारे देश में किया जाना चाहिये। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये और सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

Dr. Kailas (Bombay South) : The Goverment referred this matter to the Tariff Commission to ensure proper supply of raw material to the weavers. The report of the Tariff Commission has been laid on the Table in 1973. Why the officials have delayed this matter ? An agreement was concluded for supply of 75 per cent of the fibre to the weavers at reasonable price but the spinners have earned huge profit to the tune of 50 to 60 per cent. Therefore, they do not deserve any mercy.

The three firms *viz.* Century Enka, Shri Synthetic and Stretchlon Fabric, which have tried to exclude themselves from this agreement should be brought under its perview and they should be brought to book for not participating in the agreement.

श्री प्रसन्न भाई मेहता (भावनगर) : बुनकरों को स्वैच्छिक समझौते के अनुसार धागा नहीं मिल रहा है, उन्होंने समय-समय पर सरकार से शिकायत की परन्तु सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। क्या श्री चट्टोपाध्याय और उनसे पहले के मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात नहीं थी कि कतैय्ये भारी मुनाफा कमा रहे हैं? सरकार ने उन्हें मुनाफा कमाने दिया है।

प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों को जानबूझ कर दबा दिया गया क्योंकि सांविधिक आदेशों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि मंत्री महोदय प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखें और सभा को प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों की जानकारी दें।

स्वैच्छिक समझौते के अनुसार 60 प्रतिशत एसोसियेशन के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिये और 40 प्रतिशत सीधी बिक्री के द्वारा। अक्टूबर में जब उत्पादन लगभग 2604 टन था तो समूचे उत्पादन पर 5.72 करोड़ रुपये का लाभ बनता है। सरकार केवल रेयन पर कतैय्यों को 5.72 करोड़ रुपये का लाभ उठाने दे रही है। इसी प्रकार अन्य कृत्रिम धागों पर भी सरकार कतैय्यों को भारी मुनाफा कमाने दे रही है। इस नीति से उपभोक्ताओं और गरीब बुनकरों को हानि हुई है।

कृत्रिम रेशम के कपड़े को ही लीजिए। सात महीने पूर्व यह 2-3 रुपये की दर पर मिल रहा था अब यह 5–8 रुपये प्रति मीटर की दर पर मिल रहा है।

आज भी स्वैच्छिक समझौते के अनुसार बुनकरों को धागा नहीं मिल रहा है और इस समझौते का कोई कानुनी महत्व नहीं है। कतैय्ये बुनकरों को धागा नहीं दे रहे हैं और उसे खुले बाजार में बेचकर अत्यधिक लाभ कमा रहे हैं। मंत्री महोदय को मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रो० मधु दंडवते। आप बोलना नहीं चाहते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जी, नहीं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय।

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय) : कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया है। एक बात यह कही गई है कि क्या कुछ बड़े औद्योगिक गृहों या सेंच्युरी एन्का, श्री सिंथेटिक्स और स्टिर्च फाईबर्स जैसी कम्पनियों को स्वैच्छिक समझौते से अलग रखा गया है। इस बारे में मेरा स्पष्ट उत्तर है--"नहीं"। सैंच्युरी एन्का और श्री सिंथेटिक्स इस स्वैच्छिक योजना के लिये 50 प्रतिशत योगदान देने को सहमत हो गई हैं परन्तु वे 25 प्रतिशत और योगदान देने में हिचकिचा रही हैं। मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दिये गये किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया है। हम अपने सूत्र पर दृढ़ हैं।

यह भी सुझाव दिया गया है कि हम इसका उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करें। लगभग 13 राज्य औद्योगिक विकास निगमों को 2100 टन कृत्रिम रेशे के लिये आवश्यक कच्च माल तैयार करने हेतु आशय पत्र जारी किये गए हैं। हमारा सोचने का दृष्टिकोण यह है कि अधिकाधिक सरकारी क्षेत्र / संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां इस क्षेत्र में आयें और इस कमी को पूरा करें।

कुछ मित्रों ने सुझाव दिया है कि क्यों ना कैपरीलैक्टम का उत्पादन किया जाये। गुजरात उर्वरक कारखाना इसका ,उत्पादन करने जा रहा है। हीरे से भी अधिक मूल्यवान इस वस्तु के लिये हमने समूचे विश्व में सर्वेक्षण किया परन्तु यह कहीं नहीं मिली । हमारी कुल आवश्यकता 23,000 टन की है परन्तु हम 10,000 टन से अधिक प्राप्त नहीं कर पाये, इसी कारण मूल्य बढ़ गए हैं ।

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय ने बताया कि वह इस मामले पर विचार कर रहे हैं परन्तु परियोजना पर अनुमति दिये जाने का मैसूर के मुख्य मंत्री ने विरोध किया है । उस बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

ो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस पर शीघ्रातिशीघ्र अनुमति दी जायेगी । यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक लाइसेंस पर 90 दिन के अन्दर-अन्दर अनुमति दे दी जाये।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : सोवियत संघ के साथ सहयोग समझौते की संभावनाओं का पता लगाने का क्या हुआ ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस बारे में मंत्रिमंडलीय समिति है, जहां सामूहिक रूप से निर्णय होते हैं ।

कतैग्यों को जो लाभ हुआ है उस सम्बन्ध में भी आंकड़े दिये गये हैं । सभा की जानकारी के लिये मैं इतना बताना चाहूंगा कि 20 डेनियर वाले नाइलोन फिलामेंट धागे का बाजार मूल्य 160 पैसे प्रति किलोग्राम है परन्तु स्वैच्छिक समझौते के अनुसार इसका निर्धारित मूल्य 74.85 रुपये है । सरकार ने हस्तक्षेप करके इन मूल्यों को कम कराया । श्री लिमये तथा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदनों को विलम्ब से प्रस्तुत किया गया । यह विलम्ब जान बूझ कर नहीं किया गया । इसका कारण प्रशुल्क आयोग द्वारा लगायी गई उत्पादन लागत का अनुमान लगाने की पद्धति है । ये कार्य कुछ ऐसे हैं कि इनमें जटिलता के कारण विलम्ब हो जाता है । आयोग के चार प्रतिवेदन हैं। उनकी प्राप्ति तथा उन्हें सभा पटल पर रखे जाने की तारीखें निम्न प्रकार हैं ।

विस्कोस स्टेपल रेशे, विस्कोस फिलामेंट धागे, एसेटेट स्टेपल रेशे और फिलामेंट धागे के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन मंत्रालय को अप्रैल, 1970 में मिला तथा उस पर अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ विचार किया गया । काफी बातचीत के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि रेशे की उत्पादन पद्धति तथा उसकी मात्रा में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है । सरकार द्वारा अपने विचारों को अन्तिम रूप दिये जाने से पहले उद्योग के विचारों पर ध्यान दिया जाना था ।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं सरकार प्रशुल्क आयोग की उस पद्धति से संतुष्ट नहीं थी जिसे आयोग ने सिफारिश का आधार माना था । ध्यानपूर्वक विचार के बाद यह निर्णय किया गया कि इस मामले को पुनः प्रशुल्क आयोग को सौंपा जाये । अब प्रतिवेदन प्राप्त होने में दो महीने और लग जायेंगे तब हम निर्णय कर सकेंगे ।

दूसरा प्रतिवेदन संश्लिष्ट रेशे और धागे का उत्पादन करने वाले उद्योग से सम्बन्धित है । संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन की पद्धति में गत कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकीय सुधार हुए हैं । हमने प्रशुल्क आयोग के लागत सम्बन्धी आकड़ों पर विचार किया है और उचित बिक्री मूल्य के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी ।

इन उद्योगों को डी० एम० टी० और कैप्रोलैक्टम जैसा आधारभूत कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं। इन वस्तुओं की कमी विश्व-व्यापी है। हम इन उद्योगों को 50 से 60 प्रतिशत अधिस्थापित क्षमता के बराबर भी कच्चा माल प्राप्त नहीं कर सके हैं।

श्री धामनकर : अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कैप्रोलक्टम प्राप्त करने में राज्य व्यापार निगम ने देरी कर दी ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : हमने राज्य व्यापार निगम से कहा कि उसे थोड़ी शीघ्रता करनी चाहिये थी ।

Shri Madhu Limaye : The Government may get the information with regard to the case in which the STC had to give more price for the purchase of caprolactum from the agent of a Japanese firm.

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह सर्वविदित है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय जमाखोर हैं। मैं इस विषय पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री धामनकर : स्वैच्छिक समझौते को जिन फर्मों ने नहीं माना और जिन्होंने खुले बाजार में माल बेचा, उनके दोष के लिये उनसे मुआवजा लिया जाना चाहिये ।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करुंगा ।

रेयन टायर कौर्ड से सम्बन्धित पहला प्रतिवेदन सरकार ने फरवरी, 1971 में स्वीकार किया था और सरकारी संकल्प सभा पटल पर रखा गया था। प्रशुल्क आयोग ने रेयन टायर कौर्ड की जिस कीमत की सिफारिश की थी उसे उद्योग ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि उस समय उनकी सांविधिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। अब हम 1972–74 के लिये उचित बिक्री मूल्य से सम्बन्धित प्रशुल्क आयोग के दूसरे प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा ।

मेरा विश्वास है कि डी० एम० टी० और कैप्रोलैक्टम जैसे कच्चे माल का उत्पादन देश में होने लगेगा। इस उद्योग को सुदृढ़ बनाया जायेगा और मशीनों तथा कच्चे माल का आयात कम किया जायेगा।

ज्योंही अन्य प्रतिवेदन हमें प्रशुल्क आयोग से मिलेंगे हम उन पर शीघ्र निर्णय करेंगे ।

जैसा कि अभी-अभी माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने कहा है कि निर्यात बढ़ाया जाये हमारा यह प्रयास होगा कि हम उस दशा में कार्य करें तथा श्री प्रसन्न भाई मेहता के प्रश्न के बारे में जो रेयन धागे के वितरण के सम्बन्ध में है, मेरा कहना है कि ज्योंही मामला मेरे ध्यान में लाया जायेगा मैं उस पर कार्यवाही करुंगा ।

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 21 नवम्बर, 1973/30 कार्तिक, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourued till eleven of the Clock on Wednesday, November 21, 1973/Kartika 30, 1895 (Saka).

MGIPRRND—Sec. IV—38 LSS/73—490—5-2-74